

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 जनवरी 2016—पौष 25, शक 1937

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2015

क्र. ई-5-684-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अमित राठौर, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा आयुक्त-सह संचालक, संस्थागत वित्त को दिनांक 21 से 23 दिसम्बर 2015 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 एवं 24, 25 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अमित राठौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा आयुक्त-सह संचालक, संस्थागत वित्त के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अमित राठौर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित राठौर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-791-आयएएस-लीव-5.—(1) श्री निशांत वरवड़े, आयएएस., कलेक्टर, जिला भोपाल को दिनांक 28 दिसम्बर 2015 से 2 जनवरी 2016 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 27 दिसम्बर 2015 एवं 3 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री निशांत वरवड़े की अवकाश अवधि में श्री बी. एस. जामोद, अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री निशांत वरवड़े को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री निशांत वरवड़े द्वारा कलेक्टर, जिला भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. एस. जामोद कलेक्टर, जिला भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री निशांत वरवड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निशांत वरवड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-851-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एम. बी. ओझा, आयएस., कलेक्टर जिला विदिशा को दिनांक 22 से 23 दिसम्बर 2015 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री एम. बी. ओझा की अवकाश अवधि में श्रीमती अंजू पवन भदौरिया, राप्रसे अपर कलेक्टर जिला विदिशा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला विदिशा का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एम. बी. ओझा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला विदिशा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एम. बी. ओझा द्वारा कलेक्टर, जिला विदिशा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया कलेक्टर, जिला विदिशा के प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री एम. बी. ओझा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. बी. ओझा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-873-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अभिषेक सिंह, आयएस., संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास, भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 5 दिसम्बर 2015 द्वारा दिनांक 7 से 23 दिसम्बर 2015 तक 17 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 14 से 23 दिसम्बर 2015 तक दस दिन का पुनरीक्षित/संशोधित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 5 दिसम्बर 2015 की शेष कंडिकाएं यथावत्।

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

क्र. ई-1-448-2015-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है।

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री रघुवीर श्रीवास्तव (1992) आयुक्त, पंचायती राज	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग
2	श्री व्ही. के. बाथम (1992) कमिश्नर, नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग.

(2) श्री एस. बी. सिंह, भाप्रसे (1993), कमिश्नर, भोपाल संभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कमिश्नर, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(3) उपरोक्तानुसार श्री व्ही. के. बाथम द्वारा सचिव, संसदीय कार्य विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती रश्मि अरूण शमी, भाप्रसे (1994) सचिव "कार्मिक", मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन एवं संसदीय कार्य विभाग केवल संसदीय कार्य विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

क्र. ई-5-689-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री उमाकांत, उमराव, आयएस., आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन को समसंख्यक आदेश दिनांक 1 दिसम्बर 2015 द्वारा दिनांक 4 से 20 नवम्बर 2015 तक सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 4 से 10 नवम्बर 2015 तक सात दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 1 दिसम्बर 2015 अनुसार यथावत्।

क्र. ई-5-761-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री जी. पी. श्रीवास्तव, आयएस., (1997) तत्कालीन सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल (वर्तमान में सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग) को दिनांक 16 से 20 नवम्बर 2015 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री जी. पी. श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. पी. श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2015

क्र. ई-5-531-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एम. के. सिंह, आयएस., सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर को दिनांक 26 दिसम्बर 2015 से 2 जनवरी 2016 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 24, 25 दिसम्बर 2015 एवं 3 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सदस्य, राजस्व मंडल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) श्री एम. के. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-570-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अजीत केसरी, भाप्रसे प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग को दिनांक 21 से 28 दिसम्बर 2015 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19 एवं 20 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री अजीत केसरी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री पी. सी. मीना, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अजीत केसरी द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. सी. मीना उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-776-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बी. चन्द्रशेखर, आयएस., कलेक्टर, जिला रतलाम को दिनांक 26 दिसम्बर 2015 से 2 जनवरी 2016 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24, 25 दिसम्बर

2015 एवं 3 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री बी. चन्द्रशेखर की अवकाश अवधि में श्री हरजिंदर सिंह, अपर कलेक्टर, (विकास) जिला रतलाम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला रतलाम का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. चन्द्रशेखर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर जिला रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री बी. चन्द्रशेखर द्वारा कलेक्टर, जिला रतलाम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री हरजिंदर सिंह, कलेक्टर जिला रतलाम के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री बी. चन्द्रशेखर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. चन्द्रशेखर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-810-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती पुष्पलता सिंह, आयएस., आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा, म. प्र. को दिनांक 26 दिसम्बर 2015 से 1 जनवरी 2016 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती पुष्पलता सिंह, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा, म. प्र. के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती पुष्पलता सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पुष्पलता सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-862-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री सिबी चक्रवर्ती एम., आयएस., संचालक, कौशल विकास म. प्र. जबलपुर को दिनांक 26 दिसम्बर 2015 से 8 जनवरी 2016 तक चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ 24, 25 दिसम्बर 2015 एवं 9, 10 जनवरी 2016 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सिबी चक्रवर्ती, एम. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, कौशल विकास म. प्र. जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री सिबी चक्रवर्ती एम., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिबी चक्रवर्ती एम., अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-897-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री जे. के. जैन, आयएस., कलेक्टर, जिला रायसेन को दिनांक 26 दिसम्बर 2015 से 2 जनवरी 2016 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24, 25 दिसम्बर 2015 एवं दिनांक 3 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री जे. के. जैन की अवकाश अवधि में श्री एस. बी. सिंह, अपर कलेक्टर, जिला रायसेन को अपने कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला रायसेन का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जे. के. जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रायसेन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री जे. के. जैन द्वारा कलेक्टर, जिला रायसेन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. बी. सिंह कलेक्टर, जिला रायसेन के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री जे. के. जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. के. जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र.-ई-1-20-2015-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में उल्लिखित अधिकारीगण, जो भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2015-एआईएस (I)-बी (2) दिनांक 22 दिसम्बर, 2015 द्वारा गैर राज्य प्रशासनिक सेवा से चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए हैं और वर्तमान में नीचे तालिका के खाना क्रमांक (3) में दर्शाये असंवर्गीय पदों पर पदस्थ हैं, को दिनांक 22 दिसम्बर 2015 से उक्त असंवर्गीय पदों को उक्त अधिकारियों के इन पदों पर पदस्थ रहने की तिथि तक, भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी में उक्त नियमों की अनुसूची-II में सम्मिलित खाना (4) में दर्शाये गये संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करते हुए नीचे तालिका के खाना (3) में अंकित पदों पर पदस्थ घोषित किया जाता है :-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	भाप्रसे में नियुक्ति दिनांक को धारित असंवर्गीय पद का नाम	भाप्रसे संवर्ग में शामिल पद का नाम जिसके समकक्ष घोषित किया जाता है
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री संजय गुप्ता	सलाहकार, राज्य योजना आयोग	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
2	डॉ. मंजू शर्मा	वित्तीय सलाहकार, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल (संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के वित्त, लेखा एवं बजट शाखा का कार्य)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
3	डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय	उप महानिरीक्षक, पंजीयन, भोपाल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
4	श्री शमीम उद्दीन	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत

क्र.-ई-1-102-2014-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में उल्लिखित अधिकारीगण, जो भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2015-एआईएस (I)-बी (1) दिनांक 22 दिसम्बर,

2015 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए हैं और वर्तमान में नीचे तालिका के खाना क्रमांक (3) में दर्शाये राप्रसे संवर्ग के संवर्गीय पदों पर पदस्थ हैं, को दिनांक 22 दिसम्बर 2015 से भाप्रसे संवर्ग के उसी पद पर पदस्थ घोषित किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री आशीष सक्सेना	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
2	श्री अजय कुमार शर्मा	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग
3	श्री अनिल सुचारी	उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय
4	श्री रवि डफरिया	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
5	श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

(2) नीचे तालिका के खाना (2) में उल्लिखित अधिकारीगण, जो भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2015-एआईएस (I)-बी (1) दिनांक 22 दिसम्बर, 2015 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए हैं और वर्तमान में नीचे तालिका के खाना क्रमांक (3) में दर्शाये राप्रसे संवर्ग के असंवर्गीय पदों पर पदस्थ हैं, को दिनांक 22 दिसम्बर 2015 से उक्त असंवर्गीय पदों को उक्त अधिकारियों के इन पदों पर पदस्थ रहने की तिथि तक, भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी में उक्त नियमों की अनुसूची-II में सम्मिलित खाना (4) में दर्शाये गये संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करते हुए नीचे तालिका के खाना (3) में अंकित पदों पर पदस्थ घोषित किया जाता है :—

क्रमांक	अधिकारी का नाम	भाप्रसे में नियुक्ति दिनांक को धारित असंवर्गीय पद का नाम	भाप्रसे संवर्ग में शामिल पद का नाम जिसके समकक्ष घोषित किया जाता है
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री पतिराम कतरौलिया	अपर कलेक्टर, खरगौन	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
2	श्री अमरसिंह बघेल	अपर कलेक्टर, धार	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
3	श्री भगतसिंह कुलेश	अपर कलेक्टर, राजगढ़	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
4	श्री सभाजीत यादव	उपायुक्त (राजस्व), जबलपुर संभाग	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
5	श्री आशकृत तिवारी	उपायुक्त, भू-अभिलेख, रीवा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
6	श्री बाबूसिंह जामौद	अपर कलेक्टर, भोपाल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
7	श्री मालसिंह भयडिया	संयुक्त आयुक्त, रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
8	डॉ. रामराव भौंसले	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सीहोर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
9	श्री राजेश कुमार कौल	संयुक्त आयुक्त, प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय, भोपाल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
10	श्री अभय कुमार वर्मा	महाप्रबंधक, पाठ्यपुस्तक निगम, भोपाल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
11	श्री दीपक सिंह	अपर कलेक्टर, इन्दौर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2015

क्र. ई-1-458-2015-5-एक.—श्री आशीष भार्गव, भाप्रसे (2012), सहायक कलेक्टर, जिला भोपाल को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैरसिया जिला भोपाल पदस्थ किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2015

क्र. ई-5-454-आयएस-लीव-एक-5-एक.—(1) श्री बी. पी. सिंह, आयएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2015 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री बी. पी. सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती अरूणा शर्मा, भाप्रसे विकअ-सह-विकास आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. पी. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री बी. पी. सिंह द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती अरूणा शर्मा डूक प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री बी. पी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. पी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2015

क्र. ई-1-102-2014-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 दिसम्बर, 2015 के पद 2 की तालिका के अनुक्रमांक 10 के कॉलम 3 में अंकित "महाप्रबंधक, पाठ्य पुस्तक निगम, भोपाल" के स्थान पर "महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डर गृह निगम" पढ़ा जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुभा श्रीवास्तव, उपसचिव "कार्मिक"

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2015

क्र. एफ-3-5-2015-एक-4.—राज्य शासन एतद्वारा संलग्न परिशिष्ट-एक में दर्शाये गये नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2015 (उत्तरार्द्ध) हेतु मतदान दिनांक 22 दिसम्बर 2015 मंगलवार को जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के लिये सामान्य अवकाश तथा परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार मिश्र, उपसचिव।

परिशिष्ट-एक

नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2015 (उत्तरार्द्ध)

स. क्र. (1)	जिला (2)	नगरीय निकाय का नाम (3)
1	रतलाम	नगर परिषद्, धामनोद
2	सीहोर	नगरपालिका परिषद् सीहोर*
3	सीहोर	नगर परिषद्, शाहगंज
4	टीकमगढ़	नगर परिषद्, ओरछा
5	जबलपुर	नगर परिषद्, भेड़ाघाट
6	मंदसौर	नगरपालिका परिषद्, मंदसौर
7	शाजापुर	नगरपालिका परिषद्, शाजापुर
8	सीधी	नगर परिषद्, मझौली

*नगरपालिका परिषद् सीहोर के आम निर्वाचन की उक्त सूचना अनुसार की जा रही समस्त कार्रवाई म. प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक WP NO 17665/2015 में दिनांक 20 अक्टूबर 2015 को जारी निर्देशों के अधीन रहेगी।

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2015

क्र. एफ 11-78-2010-बी-ग्यारह.—राज्य शासन एतद्वारा मंत्रि-परिषद् के निर्णय दिनांक 25 अगस्त 2015 अनुसार हुकुमचन्द मिल की भूमि का व्यावसायिक उपयोग कर मिल के मजदूरों के बकाया स्वत्वों तथा सुरक्षित लेनदारों के दायित्वों का भुगतान किये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति के निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

- मेसर्स हुकुमचंद मिल लिमिटेड के मजदूरों तथा सिक्वोर्ड क्रेडिटर्स के दायित्वों के भुगतान हेतु भूमि का आर्थिक रूप से लाभप्रद उपयोग करने के लिये नगर निगम इंदौर को क्रियान्वयन एजेन्सी बनाया जाता है, जो विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर प्रशासकीय विभाग (नगरीय विकास

एवं पर्यावरण) से अनुमोदन प्राप्त करेगी।

2. भूमि का स्वामित्व राज्य शासन का माना जावेगा. भूमि के निवर्तन से होने वाली आय में से मजदूरों तथा सिव्कोर्ड क्रेडिटर्स के भुगतान उपरांत शेष राशि का (आधा हिस्सा) नगर पालिक निगम, इंदौर को प्राप्त होगा. शेष राशि राज्य शासन के खाते में जमा की जावे. नगर निगम इन्दौर को प्राप्त राशि का उपयोग इन्दौर नगर निगम द्वारा उसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न अधोसंरचना विकास की योजनाओं तथा निकट भविष्य में प्रारंभ होने वाली योजनाओं यथा अमृत प्रधानमंत्री, सबके लिए आवास योजना आदि के लिये ही करना सुनिश्चित किया जावे. नगर पालिक निगम, इन्दौर उनके द्वारा स्वामित्व को लेकर न्यायालयों में दायर किए गए सभी वाद वापस लेगा.
3. इन्दौर नगर के मास्टर प्लान के अनुसार भूमि का वर्तमान उपयोग औद्योगिक है. कार्ययोजना को व्यावसायिक रूप से साध्य बनाने के लिये भू उपयोग में युक्तियुक्त परिवर्तन आवश्यक है. इस हेतु क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा कुल 42.49 एकड़ भूमि का स्थल विकास योजना (Site Development Plan) तैयार किया जावे और उसका मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया जावे.
4. भूखण्डों के आकार एवं भू-उपयोग इस दृष्टिकोण से निर्धारित किया जावे जिससे भूमि का अधिकतम मूल्य प्राप्त होने की सम्भावना हो. भू-खण्डों का विपणन पारदर्शी प्रक्रिया से किया जावे तथा विपणन प्रक्रिया कार्ययोजना में दर्शायी जावे.

उपरोक्तानुसार भू-उपयोग तथा भूखण्डों के आकार निर्धारण उपरान्त मुख्य अधोसंरचना (Trunk Infrastructure) जिसमें सड़क, बिजली, पानी, सिवरेज इत्यादि सम्मिलित हो, की व्यवस्था करने हेतु विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जावे. मुख्य अधोसंरचना विकास के लिये कुल आवश्यक राशि का उल्लेख भी कार्ययोजना में किया जावे. यह राशि भूमि के निवर्तन से प्राप्त होने वाली राशि में से देय होगी. इसका स्पष्ट उल्लेख कार्ययोजना में किया जावे. मुख्य अधोसंरचना विकास कार्य प्रारंभ करने हेतु आवश्यकता होने पर क्रियान्वयन एजेन्सी व्यावसायिक बैंकों से ऋण ले सकेगी जिस हेतु राज्य शासन द्वारा गारंटी दी जावेगी.

5. भू-उपयोग निर्धारित करने के पश्चात् क्रियान्वयन एजेन्सी इस 42.49 एकड़ भूमि को विकसित करने की आवश्यक अनुमति भी संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश से प्राप्त कर आवश्यक विकास का कार्य करेगी, परन्तु भू-उपयोग में परिवर्तन एवं विकास कार्य तभी शुरू किया जाएगा जब माननीय उच्च न्यायालय से कार्ययोजना पर सहमति प्राप्त हो जावे. माननीय उच्च न्यायालय से कार्ययोजना तथा उसके क्रियान्वयन पर स्वीकृति प्राप्त करने की जिम्मेदारी

क्रियान्वयन एजेन्सी की होगी.

6. कार्ययोजना में मजदूरों के भुगतान तथा सिव्कोर्ड क्रेडिटर्स की माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कुल देय बकाया राशि (रुपये 196.97 करोड़ +153.12 करोड़) का उल्लेख करते हुए उस पर स्पष्ट टीप अंकित की जावे कि इस राशि में आगे कोई ब्याज इत्यादि देय नहीं होगा.
7. चूंकि भूमि का स्वामित्व राज्य शासन का मान्य किया जाना है तथा इंदौर नगर पालिक निगम कार्ययोजना की क्रियान्वयन एजेन्सी है, अतः भूखण्ड में सफल आवंटितियों को राज्य शासन की ओर दी जाने वाली लीज कलेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित की जावेगी. लीड डीड की अवधि 99 वर्ष रखी जावेगी तथा इसमें सब लीज तथा भूमि को मार्टगेज करने की स्वतंत्रता आवंटित को स्वमेव होगी. तदनुसार क्रियान्वयन एजेन्सी लीज प्रारूप को राजस्व विभाग से परामर्श कर अंतिम करेगी.
8. भू-खण्डों के विपणन से प्राप्त होने वाली राशि आफिशियल लिक्विडिटर के साथ समन्वय करते हुए क्रियान्वयन एजेन्सी के द्वारा खोले गये एक एस्करो अकाउन्ट में रखी जावेगी. इस एस्करो अकाउन्ट से राशि आहरण को प्राथमिकता (Dra down Priority) निम्नानुसार होगी :-
 - (1) मुख्य अधोसंरचना विकास पर व्यय,
 - (2) मजदूरों के बकाया स्वत्वों का भुगतान
 - (3) Secured Creditors के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनुमत दायित्वों का भुगतान.
 - (4) राज्य शासन का अंश
 - (5) नगर पालिक निगम का अंश
9. कलेक्टर लीज हस्ताक्षरित करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी लीज में सम्मिलित भूमि के प्रीमियम की संपूर्ण राशि सफल आवंटित द्वारा क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा इस हेतु खोले गये एस्करो अकाउंट में जमा करा दी गई है.
10. उपरोक्त उल्लेखित बिन्दुओं को समाहित करते हुए क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा हुकुमचन्द मिल के मजदूरों तथा Secured Creditors के दायित्व के भुगतान की विस्तृत कार्य योजना तैयार की जावे. इस कार्ययोजना को नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के अनुमोदन उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय, इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत किया जावे. कार्ययोजना तथा आवेदन में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जावे कि उपरोक्तानुसार मजदूरों तथा Secured Creditors के अतिरिक्त मेसर्स हुकुमचन्द मिल पर किसी अन्य दायित्व के भुगतान की जिम्मेदारी राज्य शासन की नहीं होगी और न ही ऐसे दायित्व का भुगतान भूमि के निवर्तन द्वारा किया जावेगा. माननीय उच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त होने पर क्रियान्वयन एजेन्सी इस कार्ययोजना का क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित करे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 दिसम्बर 2015

क्र. 2064.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल (1) ग्राम हिरदागढ़ प. ह. नं. 33 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल-151.464 हेक्टेयर	राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं. (2) ग्राम-मेंहदावीर प. ह. नं. 33
--	--

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरभि गुप्ता, प्रभारी कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

प्र. क्र. 02-अ-82-2014-2015.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि छीपानेर उद्वहन सिंचाई योजना तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर की नहर के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार, सर्वे क्रमांक वार विवरण निम्न अनुसूची में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यक है :-

अनुसूची

छीपानेर उद्वहन सिंचाई योजना (आर.बी. सी. नहर)

स.क्र. (1)	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम (2)	खसरा क्रमांक (3)	भूमि का कुल रकबा (4)			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (5)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	श्रीकिशन आ. हेमराज जाति सुतार ग्राम बगवाड़ा	424/1/1/क/1, 425/3	0.607	-	0.607	0.092	-	0.092
2	गब्बर ना. बा. पुत्र श्रीकिशन पालनकर्ता माता सुशीला बाई जाति सुतार ग्राम बगवाड़ा	424/1/1/ख, 425/3/1	0.669	-	0.669	0.016	-	0.016
कुल योग . .			1.276	-	1.276	0.108	-	0.108

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व कार्पासन यंत्री; जल संसाधन विभाग सीहोर के कार्यालय में किया सकता है.

(3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर (भू. अर्जन), सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.sehore.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सारांश.—

छीपानेर उ. सिं. यो. सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं है। अतः धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सारांश निरंक है।

प्र. क्र. 03-अ-82-2014-2015.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में घोषरा मध्यम परियोजना तहसील नसरुल्लागंज जिली सीहोर की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

ग्राम—गोपालपुर, तहसील—नसरुल्लागंज

अनुसूची

गोपालपुर वितरिका की कुमनताल उपनहर

स.क्र. (1)	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम (2)	खसरा क्रमांक (3)	भूमि का कुल रकबा (4)			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (5)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	रेवागिर आ. रामगिर जाति गोस्वामी नि. ग्राम भू स्वामी.	53/1/2/1	2.258	0.000	2.258	0.080	0.000	0.080
2	बाबूलाल आ. डालूराम जाति अहीर नि. ग्राम भू स्वामी.	53/1/1/1/1क 53, 54, 55, 56/2, 57/2	2.633	0.000	2.633	0.165	0.000	0.165
3	नरेन्द्र कुमार आ. कालूराम जाति महाजन नि. ग्राम भू स्वामी.	53/1/1/2 53/2, 54, 55, 56/2, 57/2	0.000	1.619	1.619	0.000	0.134	0.134
4	फूलियाबाई बेवा नारायणदास मोहन, महेश आ. गेंदालाल जाति महाजन नि. ग्राम भू स्वामी.	39	3.161	0.000	3.161	0.142	0.000	0.142
5	संध्या पत्नि मोहनलाल जाति महाजन नि. ग्राम भू स्वामी.	38/2	3.236	0.000	3.236	0.225	0.000	0.225
6	महेश आ. गेंदालाल जाति महाजन नि. ग्राम भू स्वामी	35, 36, 308/36/1, 308/36/2/1	5.633	0.000	5.633	0.062	0.000	0.062
7	शन्तिबाई पत्नि महेश जाति महाजन नि. ग्राम भू स्वामी.	53/1/1/1क/2 53/1, 53/2, 54, 55, 56/2, 57/2	0.608	0.000	0.608	0.105	0.000	0.105
		53/1/1/1क/353/2, 54, 55, 56/2, 57/2	0.809	0.000	0.809	0.049	0.000	0.049
	योग . .		18.338	1.619	19.957	0.828	0.134	0.962

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व कार्पासन यंत्री, जल संसाधन विभाग सीहोर के कार्यालय में किया सकता है.
- (3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर (भू अर्जन), सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.
- (4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.sehore.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सारांश.—

घोघरा सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं है. अतः धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सारांश निरंक है.

प्र. क्र. -अ-82-2014-2015.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में घोघरा मध्यम परियोजना, तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर के बांध निर्माण के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि की अनुसूची में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यक है :-

ग्राम—पिपलानी तहसील—नसरुल्लागंज

अनुसूची

घोघरा मध्यम परियोजना ग्राम पिपलानी डूब क्षेत्र

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)	(5)	(5)	(5)
1	सुभाष सिंह आ. रामलाल जाति राजपूत	427	1.635	-	1.635	1.635	-	1.635
2	इन्दरसिंह आ. खुशाल जाति राजपूत	428/1/3/4	1.739	-	1.739	1.739	-	1.739
3	अमरसिंह आ. खुशाल जाति राजपूत	428/1/3/5	1.739	-	1.739	1.739	-	1.739
4	विक्रमसिंह आ. हेमराज जाति खाती	428/1/2	-	1.739	1.739	-	1.439	1.439
5	चिन्ताराम आ. गंगाराम जाति गवली	428/4/2	-	0.870	0.870	-	0.870	0.870
6	आंशाराम आ. गंगाराम जाति गवली	428/4/1	0.869	-	0.869	0.869	-	0.869
		428/3	-	1.739	1.739	-	0.300	0.300
	योग . .		0.869	1.739	2.608	0.869	0.300	1.169
7	नर्बदा प्रसाद, रामचन्द्र रामविलास आ. रंगलाल, बसंतीबाई वेवा रंगलाल जाति बलाई.	451/2	-	0.967	0.967	-	0.967	0.967
8	रेवाबाई बेवा रामप्रसाद भागीरथ, रामसिंह, बदामी लाल, सूरज सिंह फूलकुंवर बाई, कृष्णबाई, लीलाबाई आ. रामप्रसाद जाति खाती.	428/1/3/3	5.217	-	5.217	2.200	-	2.200
	कुल योग . .		11.199	5.315	16.514	8.182	3.576	11.758

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व कार्पासन यंत्री, जल संसाधन विभाग सीहोर के कार्यालय में किया सकता है.

(3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर (भू-अर्जन), सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लगम सृजित नहीं करेगा.

(4) पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन सारांश :-

घोघरा मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक / पूर्ण भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं है. अतः धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सारांश निरंक है.

प्र. क्र. 6-अ-82-2014-2015.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में घोघरा मध्यम परियोजना तहसील नसरुल्लागंज, जिला सीहोर के बांध निर्माण के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि की अनुसूची में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची

घोघरा मध्यम परियोजना ग्राम घुटवानी डूब क्षेत्र

ग्राम—घुटवानी, तहसील—नसरुल्लागंज

स.क्र. (1)	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम (2)	खसरा क्रमांक (3)	भूमि का कुल रकबा (4)			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (5)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1.	मुकेश आ. कचरूलाल, जाति चमार, नि. ग्राम भूस्वामी.	248/1/1/2/2क/1	-	1.457	1.457	-	0.397	0.397
2.	रामबगस आ. हजारी, जाति बलाई, नि. ग्राम भू-स्वामी.	248/1/2/4/2	0.405	-	0.405	0.405	-	0.405
3.	रामनिवास आ. रामबगस जाति बलाई नि. ग्राम भू-स्वामी.	248/1/2/4/1	0.809	-	0.809	0.659	-	0.659
4.	गुरूप्रसाद ना. बा. आ. रामबगस, संरक्षक माता राधा बाई, जाति बलाई, नि. ग्राम भूस्वामी.	248/1/2/4/3	0.809	-	0.809	0.589	-	0.589
योग . .			2.023	1.457	3.480	1.653	0.397	2.050

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, सीहोर के कार्यालय में किया सकता है.

(3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर (भू-अर्जन), सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लगम सृजित नहीं करेगा.

(4) पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन सारांश:-

घोघरा मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक / पूर्ण भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं है. अतः धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सारांश निरंक है.

प्र. क्र. 7-अ-82-2014-2015.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में घोघरा मध्यम परियोजना, तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर के बांध निर्माण के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार, सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि की अनुसूची में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

ग्राम—ग्राम इटावाखुर्द, तहसील—नसरुल्लागंज

अनुसूची

घोघरा मध्यम परियोजना ग्राम इटावाखुर्द डूब क्षेत्र

स.क्र. (1)	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम (2)	खसरा क्रमांक (3)	भूमि का कुल रकबा (4)			अर्जित की जाने वाली का रकबा (5)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	कंचन सिंह आ. भगवत सिंह जाति गवली	72, 73/2/2	-	0.714	0.714	-	0.200	0.200
		72, 73/2/5	-	0.150	0.150	-	0.150	0.150
		74/2/2	-	0.350	0.350	-	0.350	0.350
		योग . .	-	1.214	1.214	-	0.700	0.700
2	अनूपसिंह आ. भगवत सिंह जाति गवली.	72, 73/2/3	-	1.164	1.164	-	0.600	0.600
		74/2/3	-	0.050	0.050	-	0.050	0.050
		योग . .	-	1.124	1.214	-	0.650	0.650
		72, 73/2/4	-	1.214	1.214	-	0.700	0.700
3	अतुल सिंह आ. भगवान सिंह जाति गवली.	72, 73/2/6	-	0.160	0.160	-	0.160	0.160
		72, 73/2/1	-	0.360	0.360	-	0.150	0.150
		74/2/1	-	0.568	0.568	-	0.568	0.568
		310/275/1/2/1	-	0.126	0.126	-	0.126	0.126
		योग . .	-	1.214	1.214	-	1.004	1.004
5	किशोर, गोविन्द, रामदीन, रामनारायण, प्रेमनारायण आ. देवा, अतरबाई, कैलाशबाई, क्षमाबाई, मनाबाई, सुधाबाई पुत्रियों देवा, लक्ष्मीबाई वेबा देवा जाति गवली.	75, 76/3	-	4.333	4.333	-	0.606	0.606
6	बद्री आ. मोती जाति गलवी	77/2/1	-	0.433	0.433	-	0.150	0.150
		310/275/1/2/2	-	0.032	0.032	-	0.032	0.032
		योग . .	-	0.465	0.465	-	0.182	0.182
7	हलराम आ. गन्या जाति गवली	310/275/1/1	-	0.324	0.324	-	0.324	0.324
8	भगवत सिंह आ. बद्री प्रसाद जाति गवली.	310/275/2	-	0.243	0.243	-	0.243	0.243
		272/2/1, 273, 5.000	5.000	0.330	5.330	2.720	-	2.720
		274, 354/272/2/1	-	5.000	0.573	5.573	2.720	0.243
योग . .	-	5.000	0.573	5.573	2.720	0.243	2.963	
कुल योग . .	-	5.000	10.551	15.551	2.720	4.409	7.129	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व कार्पालन यंत्री, जल संसाधन विभाग सीहोर के कार्यालय में किया सकता है.

(3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर (भू. अर्जन), सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

(4) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सारांश.—

घोघरा मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक/पूर्ण भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं है. अतः धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सारांश निरंक है.

प्र. क्र. 7-अ-82-2013-2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि घोघरा मध्यम परियोजना तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण निम्न अनुसूची में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

ग्राम—कुमनताल, तहसील—नसरुल्लागंज

अनुसूची

गोपालपुर वितरिका की डोभा उपनहर—1

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			(4)	(4)	(4)	(5)	(5)	(5)
(1)	(2)	(3)	सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	भगवतसिंह आ. रामनारायण जाति देशवाली, नि. ग्राम भू स्वामी.	224, 225, 227/3/1	1.692	0.000	1.692	0.105	0.000	0.105
2	माखनसिंह आ. रामनारायण जाति देशवाली, नि. ग्राम भू स्वामी.	224, 225, 227/4	2.428	0.000	2.428	0.218	0.000	0.218
3	मदन आ. पून्या, गुलाबबाई पति मदन जाति चनार नि. ग्राम भू स्वामी.	222/1/1/3	0.000	0.500	0.500	0.000	0.064	0.064
4	कैलाश आ. बाबूलाल, कमलाबाई जाति बलाई नि. ग्राम भू स्वामी.	222/1/1/7	0.000	0.500	0.500	0.000	0.169	0.169
5	रामप्रसाद आ. भागीरथ, ताराबाई पति रामप्रसाद जाति चमार नि. ग्राम भू स्वामी.	222/1/1/8	0.000	0.500	0.500	0.000	0.048	0.048
6	सोमा आ. चून्या व नानरानी पति सोमा जाति चनार नि. ग्राम भू स्वामी.	222/1/1/4	0.000	0.500	0.500	0.000	0.048	0.048
योग . . .		06	4.120	2.000	6.120	0.323	0.329	0.652

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व कार्पालन यंत्री, जल संसाधन विभाग सीहोर के कार्यालय में किया सकता है.

(3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर (भू. अर्जन), सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.sehore.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सारांश.—

घोघरा सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं है. अतः धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सारांश निरंक है.

प्र. क्र. 08-अ-82-2013-2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में घोघरा मध्यम परियोजना तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार, सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित भूमि की अनुसूची में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

ग्राम—सुकरवास, तहसील—नसरुल्लागंज

अनुसूची

बगबाड़ा वितरिका की डोभा उपनहर

स.क्र. (1)	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम (2)	खसरा क्रमांक (3)	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित (4)	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	अनूपसिंह आ. मनोहरसिंह जाति देशवाली, नि. ग्राम भू स्वामी.	60/2/2क	3.238	0.000	3.238	0.182	0.000	0.182
2	चम्पालाल आ. रामनारायण जाति देशवाली, नि. ग्राम बाँकोट भू स्वामी.	60/2/1	4.047	0.000	4.047	0.040	0.000	0.040
3	चम्पालाल आ. रामलाल जाति देशवाली बाँकोट न. ग्राम भू स्वामी.	60/1/1/1/1	0.405	0.000	0.405	0.040	0.000	0.040
4	गोविंदसिंह आ. रामसिंह जाति देशवाली नि. ग्राम भू स्वामी.	60/1/1/1/2	0.000	2.833	2.833	0.000	0.194	0.194
5	गुलाबबाई पत्नि अमरसिंह जाति देशवाली नि. ग्राम भू स्वामी.	60/1/1/2	0.000	3.642	3.642	0.000	0.024	0.024
6	गोविन्दसिंह आ. चम्पालाल जाति देशवाली नि. ग्राम भू स्वामी.	55/1/3/1 क, 56, 68, 70	1.214	0.000	1.214	0.064	0.000	0.064
7	जीवनसिंह पुत्र रतनलाल जाति देशवाली नि. ग्राम भूमि स्वामी.	55/1/3/ख 56, 68, 70	0.660	0.000	0.660	0.024	0.000	0.024
8	अवधनारायण आ. रतनलाल जाति देशवाली नि. ग्राम भूमि स्वामी.	55/1/3/2 56, 68, 70	2.448	0.000	2.448	0.105	0.000	0.105
9	मोहित पुत्र हेमसिंह जाति देशवाली नि. ग्राम भूमि स्वामी.	62/2/1 62, 64/2	3.379	0.000	3.379	0.137	0.000	0.137
10	आशीष पुत्र हेमसिंह जाति देशवाली नि. ग्राम भूमि स्वामी.	62/2/2 63, 64	3.383	0.000	3.383	0.028	0.000	0.028
11	देवीसिंह आ. श्रीकिशन सोद्राबाई बेवा श्रीकिशन जाति देशवाली नि. ग्राम भू स्वामी.	66/1, 81/1	6.414	0.000	6.414	0.065	0.000	0.065

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	रतनलाल आ. रामलाल जाति देशवाली नि. ग्राम भूमि स्वामी.	66/2/1, 81/2/1	3.169	0.000	3.169	0.117	0.000	0.117
13	हुकुमसिंह आ. रमेश जाति देशवाली नि. ग्राम भू स्वामी.	84/2/1 277/84, 287/277/84 /2/1	3.966	0.000	3.966	0.251	0.000	0.251
14	रमेश पुत्र सुखदेव जाति देशवाली नि. ग्राम भूमि स्वामी.	84/1/1 277/84, 287/277/84 /1/1	1.987	0.000	1.987	0.040	0.000	0.040
15	रामौतार आ. रामचंद्र जाति देशवाली नि. ग्राम भूमि स्वामी.	85/1	4.703	0.000	4.703	0.218	0.000	0.218
16	हरिओम आ. बाबूलाल जाति देशवाली नि. ग्राम भूमि स्वामी.	86/1/2	1.011	0.000	1.011	0.137	0.000	0.137
17	नर्बदाप्रसाद आ. जगन्नाथ जाति माली नि. ग्राम भूमि स्वामी.	88/1/2	0.000	1.214	1.214	0.000	0.008	0.008
18	नारायण आ. जगन्नाथ जाति माली नि. ग्राम भूमि स्वामी.	88/1/4	1.214	0.000	1.214	1.190	0.000	1.190
19	गोपाल आ. जगन्नाथ जाति माली नि. ग्राम भूमि स्वामी.	88/1//3	1.214	0.000	1.214	0.048	0.000	0.048
20	रतनलाल हरिराम चन्दर अमरसिंह, छगनलाल पुत्र . . . बराबर सुखराम भोलाराम, कैलाश, रामहत पुत्र . . . राधाबाई बेबा पन्नलाल जाति माली. नि. ग्राम भूमि स्वामी.	88/2	4.743	0.000	4.743	0.194	0.000	0.194
21	दिनेश आ. गोरधन जाति माली नि. ग्राम भूमि स्वामी.	88/3/4	0.000	0.947	0.947	0.000	0.105	0.105
22	राधेश्याम आ. सुखदेव जाति माली नि. ग्राम भूमि स्वामी.	84/4/4	2.428	0.000	2.428	0.162	0.000	0.162
23	सीताराम आ. सुखदेव जाति माली नि. ग्राम भूमि स्वामी.	84/4/3	2.428	0.000	2.428	0.142	0.000	0.142
24	रमेश, केदार, सीताराम, राधेश्याम आ. सुखदेव जाति माली नि. ग्राम भूमि स्वामी.	240/2	0.809	0.000	0.809	0.032	0.000	0.032
25	रामसिंह आ. बन्नीप्रसाद जाति माली नि. ग्राम भूमि स्वामी.	249/2/3 251/2/3	1.348	0.000	1.348	0.048	0.000	0.048
26	जयनारायण आ. बन्नीप्रसाद जाति माली नि. ग्राम भूमि स्वामी.	249/2/2,	1.348	0.000	1.348	0.073	0.000	0.073
27	कमला पुत्री हीरालाल जाति माली नि. ग्राम भूमि स्वामी.	249/1, 251/1, 252	3.394 1.461	0.000 0.000	3.394 1.461	0.073 0.048	0.000 0.000	0.073 0.048

(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		
28	अवधनारायण, हरिओम आ. बाबूलाल ममताबाई, प्रभाबाई पुत्री बाबूलाल बेवा बाबूलाल नि. ग्राम भूमि स्वामी.	249/2/1, 251/2/1	1.352	0.000	1.352	0.101	0.000	0.101
29	राधेश्याम पुत्र प्रहलाद अयोध्याबाई पुत्री प्रहलाद सुमन बेवा प्रहलाद जाति माली हिस्सा बराबर नि. ग्राम भूमि स्वामी.	249/3/1, 251	3.833	0.000	3.833	0.227	0.000	0.227
30	चम्पालाल आ. हजारीलाल जाति देशवाली नि. ग्राम भूमि स्वामी.	249/3/2, 251	0.809	0.000	0.809	0.080	0.000	0.080
योग . .		12	66.405	8.636	75.041	2.866	0.331	3.197

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग सीहोर के कार्यालय में किया सकता है.
- (3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर (भू अर्जन), सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.
- (4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.sehore.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सारांश.—

घोघरा सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं है. अतः धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सारांश निरंक है.

प्र. क्र. 10-अ-82-2013-2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में घोघरा मध्यम परियोजना तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार, सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

ग्राम—इटावाकलां, तहसील—नसरुल्लागंज

अनुसूची

बगबाड़ा वितरिका की इटावाकलां उपनहर

स.क्र. (1)	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम (2)	खसरा क्रमांक (3)	भूमि का कुल रकबा (4)			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (5)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	जगदीश आ. मोतीलाल, जाति दर्जी नि. ग्राम भूमि स्वामी.	194, 195, 196/1/1/1	0.960	0.000	0.960	0.145	0.000	0.145
2	अमृतलाल आ. मोतीलाल, जाति दर्जी नि. ग्राम भूमि स्वामी.	194, 195, 196/1/2	3.331	0.000	3.331	0.174	0.000	0.174
3	मन्जूबाई पति अमृतलाल, जाति दर्जी नि. ग्राम भूमि स्वामी	194, 195, 196/2/2	6.070	0.000	6.070	0.202	0.000	0.202

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	संजय पुत्र अमृतलाल, जाति दर्जा नि. ग्राम भूमि स्वामी.	194, 195, 196/2/1	4.047	0.000	4.047	0.117	0.000	0.117
5	जवारीलाल आ. माँगीलाल जाति बलाई नि. ग्राम इटारसी भूमि स्वामी	186/1ख	1.619	0.000	1.619	0.129	0.000	0.129
6	महेन्द्र आ. माँगीलाल जाति बलाई नि. ग्राम इटारसी भूमि स्वामी.	186/1ग	1.376	0.000	1.376	0.008	0.000	0.008
7	मोहसिनखाँ आ. कमालखाँ, जाति पिंजारा नि. ग्राम भूमि स्वामी.	173/1	4.002	0.000	4.002	0.235	0.000	0.235
8	तौसिफ खाँ कमालखाँ, जाति पिंजारा नि. ग्राम भूमि स्वामी	173/5 170/2, 171	1.199 1.862	0.000 0.000	1.119 1.862	0.056 0.080	0.000 0.000	0.056 0.080
9	कमालखाँ आ बाबूखाँ, जाति पिंजारा नि. ग्राम भूमि स्वामी.	170/1क, 171 170/1ग, 171	1.637 1.619	0.000 0.000	1.637 1.619	0.073 0.093	0.000 0.000	0.073 0.093
10	शमीमबानो पत्नि कमालखाँ, जाति ग्राम भूमि स्वामी.	170/1ख, 171	1.821	0.000	1.821	0.097	0.000	0.097
योग . .		12	29.543	0.000	29.543	1.409	0.000	1.409

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग सीहोर के कार्यालय में किया सकता है.

(3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर (भू. अर्जन), सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.sehore.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सारांश.—

घोघरा सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं है. अतः धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सारांश निरंक है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 30 दिसम्बर 2015

प्र. क्र. 19038-अ-82-2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 1 में इंदौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अंतर्गत ग्राम बक्साना तहसील व जिला धार के लिये वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है. प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है. अतः सोशल इन्वेस्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची (1)

ग्राम-बक्साना

तहसील-धार

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टेयर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)		
1	इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना	11.957	1.218	13.175
	योग . .	11.957	1.218	13.175

अनुसूची (2)

इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अंतर्गत ग्राम बक्साना की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम-बक्साना

तहसील-धार

क्र.	कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टेयर)		
			(4)			(5)		
(1)	(2)	(3)	सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	राजेन्द्रकुमार पिता जानूराव जाति मराठा निवासी नयापुरा.	39	0.836	0.000	0.836	0.012	0.000	0.012
2	तेजुबाई पति रतनसिंह राजपूत नि. नावदा, तह. इन्दौर.	40	2.090	0.000	0.836	0.374	0.000	0.374
3	अवन्तिबाई पति भीमसिंह कुशनाथ काछी निवासी दतौदा, तह. महु.	54/1 55/1	1.367 0.791	0.000 0.000	1.367 0.791	0.461 0.017	0.000 0.000	0.461 0.017
4	रामचन्द्र पिता खण्डू जाति मराठा नि. नयापुरा.	54/2 55/2	1.277 0.881	0.000 0.000	1.277 0.881	0.298 0.247	0.000 0.000	0.298 0.247
5	प्रेमसिंह नांगूसिंह राजपूत नि. निजामपुरा	63/1 71/1 57	0.898 0.423 0.502	0.000 0.000 0.000	0.898 0.423 0.502	0.130 0.225 0.010	0.000 0.000 0.000	0.130 0.225 0.010
6	कालू पिता रूगनाथ जाति भील नि. बक्साना	62	1.494	0.000	1.494	0.500	0.000	0.500
7	कलाबाई बेवा देवीसिंह, भगवानसिंह पिता देवीसिंह जाति राजपूत निवासी निजामपुरा.	63/2 71/2	0.899 0.925	0.000 0.000	0.899 0.925	0.465 0.220	0.000 0.000	0.465 0.220
8	श्रीमति अमीना बाई पति याकूब मोहम्मद जाति नायता.	70 75	1.254 0.627	0.000 0.000	1.254 0.627	0.010 0.015	0.000 0.000	0.010 0.015
9	चतरसिंह पिता बलवंत जाति राजपूत नि. बक्साना.	202 382	3.113 0.815	0.000 0.000	3.113 0.815	1.045 0.425	0.000 0.000	1.045 0.425
10	रतन पिता नन्दा जाति बलाई नि. बक्साना	84	1.996	0.000	1.996	0.513	0.000	0.513

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	मोहन, ओमप्रकाश शांतिलाल पिता स्तनलाल	85	1.933	0.000	1.933	0.060	0.000	0.060
	भगवती बाई विधवा करणसिंह जाति बलाई	86	2.330	0.000	2.330	0.850	0.000	0.850
	नि. बकसाना.	101	1.129	0.000	1.129	0.410	0.000	0.410
		102	0.930	0.000	0.930	0.016	0.000	0.016
12	शांताबाई विधवा अर्जुनसिंह, संतोष, संजू	129	1.756	0.000	0.836	0.424	0.000	0.424
	पिता अर्जुनसिंह मलखान सिंह पिता							
	देवीसिंह उमराव बाई विधवा देवीसिंह,							
	भंवरसिंह, हटेसिंह पिता सालमसिंह,							
	गीताबाई वि. महाराजसिंह, लाखनसिंह पिता							
	महाराजसिंह जाति जाट, नि. बकसाना.							
13	नंदू पिता रोशन पटेल जाति नायता नि.	132/1	0.000	1.045	1.045	0.000	0.230	0.230
	घाटाबिल्लोद							
14	गुलाब पिता भूरा जाति बलाई, नि. बकसाना	134/3	0.000	0.418	0.418	0.000	0.310	0.310
15	शंकरसिंह पिता रामसिंह राजपूत, नि.	135	1.045	0.000	1.045	0.718	0.000	0.718
	निजामपुरा.	136	0.930	0.000	0.930	0.020	0.000	0.020
16	प्रेमसिंह पिता भेरूसिंह जाति राजपूत,	203/1	0.000	0.454	0.454	0.000	0.276	0.276
	नि. बकसाना.	205/1	0.000	1.149	1.149	0.000	0.234	0.234
		205/2	0.000	0.523	0.523	0.000	0.015	0.015
17	गब्बूसिंह, जसवंतसिंह पिता मानसिंह राजपूत	207	0.408	0.000	0.408	0.047	0.000	0.047
	नि. बकसाना.	209	1.264	0.000	1.264	0.580	0.000	0.580
		330	3.992	0.000	3.992	0.139	0.000	0.139
		331/1	1.045	0.000	1.045	0.110	0.000	0.110
		375/1	1.912	0.000	1.912	0.245	0.000	0.245
18	रामसिंह, मोहनसिंह पिता चंदरसिंह	331/2	2.947	0.000	2.947	0.109	0.000	0.109
	दरयावबाई बेवा चन्दरसिंह राजपूत, नि.	337	0.982	0.000	0.982	0.310	0.000	0.310
	बकसाना.							
19	चन्दरसिंह, कल्याण सिंह, रामसिंह,	380/3	0.836	0.000	0.836	0.247	0.000	0.247
	ओमकारसिंह माधोसिंह पिता तोलाराम	383/2	1.463	0.000	1.463	0.296	0.000	0.296
	नादानबाई विधवा तोलाराम जाति राजपूत							
	नि. सांगवी.							
20	भागीरथ पिता लूना जी राजपूत, नि. सांगली,	407/1	1.045	0.000	1.045	0.140	0.000	0.140
	जिला इन्दौर.	408	0.460	0.000	0.460	0.015	0.000	0.015
21	प्रहलादसिंह पिता रतनसिंह संतोषबाई पति	87	0.000	0.773	0.773	0.000	0.020	0.020
	रतनसिंह नि. निजामपुरा.							
22	अजबबाई पति शंकरसिंह जाति राजपूत	132/2	0.000	0.418	0.418	0.000	0.060	0.060
	निजामपुरा.							
23	नंदराम पिता अमरसिंह जाति राजपूत	210/2	0.000	0.364	0.364	0.000	0.073	0.073
	नि. बकसाना.							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
24	उमराबाई विधवा भेरूसिंह जाति राजपूत, निवासी देह.	325/2	1.599	0.000	1.599	0.190	0.000	0.190
25	भारतसिंह पिता भेरूसिंह जाति राजपूत, निवासी बकसाना.	328	2.393	0.000	2.393	0.174	0.000	0.174
26	लाखनसिंह पिता निर्भयासिंह जाति राजपूत निवासी देह.	340	2.926	0.000	2.926	0.225	0.000	0.225
27	रामसिंह, मोहनसिंह पिता चन्द्रसिंह जाति राजपूत नि. बकसाना.	339/2	0.836	0.000	1.599	0.222	0.000	0.222
28	विक्रमसिंह पिता भेरूसिंह जाति राजपूत निवासी ढेहरी.	336	2.511	0.000	2.511	0.083	0.000	0.083
29	अमृतबाई मानसिंह जाति राजपूत निवासी बकसाना.	347/3 374/2/1	1.637 1.673	0.000 0.000	1.637 1.673	0.047 0.390	0.000 0.000	0.047 0.390
30	नादानबाई पति तोलाराम चन्द्रसिंह कल्याणसिंह पिता तोलाराम राजपूत, निवासी सांगवी.	374/2/2	2.508	0.000	1.599	0.408	0.000	0.408
31	प्रताप पिता नरसिंह, जाति राजपूत, निवासी सढवान.	380/1	0.920	0.000	0.920	0.060	0.000	0.060
32	कमलाबाई पति नरसिंह जाति राजपूत, निवासी बकसाना.	380/2	1.672	0.000	1.672	0.455	0.000	0.455
योग . .			65.270	5.144	68.094	11.957	1.218	13.175

प्र. क्र. 19040-अ-82-2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. (1) में इंदौर दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अंतर्गत ग्राम कुमार कराडिया तहसील व जिला धार के लिये वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है. प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है. अतः सोशल इन्वेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची (1)

ग्राम-कुमार कराडिया

तहसील-धार

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टेयर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)		
1	इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना	2.954	0.105	3.059
योग . .		2.954	0.105	3.059

अनुसूची (2)

इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अंतर्गत ग्राम कुमार कराडिया की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम-कुमार कराडिया

तहसील-धार

क्र.	कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टेयर)		
			(4)			(5)		
(1)	(2)	(3)	सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	राजाबाई बेवा कोडीराव जाति मराठा नि. देह	110/4	0.868	0.000	0.868	0.135	0.000	0.135
		110/5	0.868	0.000	0.868	0.247	0.000	0.247
		119/1	0.867	0.000	0.867	0.295	0.000	0.295
2	जगदीश पिता गणपत जाति कुलमी नि. एकलदूना (दिगठान).	112/4	1.463	0.000	1.463	0.055	0.000	0.055
3	अनीताबाई बेवा ईश्वर आकाश मनीषा ना. बा. पिता ईश्वर ना. बा. पा. कर्ता माता अनीताबाई बेवा ईश्वर जाति बलाई, नि. नारायणपुरा.	112/5	1.463	0.000	1.463	0.135	0.000	0.135
4	मोहनलाल पिता काशीराम जाति कुलमी नि. एकलदुना.	114/1/1	0.602	0.000	0.602	0.180	0.000	0.180
5	गोविंद पिता रामा वकलाबाई पिता कोण्डीराव व जगदीश, प्रकाश पिता कोण्डीराव, घोंदुरावजी, बालकृष्ण पिता गणपत व रामा बालीग, श्यामू, लक्ष्मण नाबालिग पिता रामचन्द्र पालनकर्ता माता द्रोपतीबाई व द्रोपतीबाई बेवा रामचन्द्र, बाबूराव, सदाशिवराव पिता दगडू, लीलाबाई बेवा किसन, रोहितदास पिता किसन व अलकाबाई बेवा राधेश्याम, कमल, सरीता पिता राधेश्याम जाति मराठा निवासी ग्राम कुमारकराडिया.	117	1.045	0.000	1.045	0.202	0.000	0.202
6	फुलावतीबाई पति विठ्ठलराव जाति मराठा, निवासी कुमार नयापुरा.	118/2	1.307	0.000	1.307	0.209	0.000	0.209
7	राजूबाई पति कल्याणसिंह जाति बलाई नि. पिपलिया.	118/3/1	0.000	0.627	0.627	0.000	0.105	0.105
8	विठ्ठलराव पिता केशवराव जाति मराठा, नि. कुमार कराडिया.	118/3/2	0.680	0.000	0.680	0.105	0.000	0.105
9	साईबाई बेवा बाबूराव गजानंद नाना लक्ष्मण श्रीपत सुशिलाबाई चन्द्रकाता पिता बाबूराव जाति मराठा, नि. कुमार कराडिया.	151/1	0.522	0.000	0.522	0.125	0.000	0.125
10	लीलाबाई बेवा किशन रोहितदास पिता किशन, अलकाबाई बेवा राधेश्याम, कमल, सरीता पिता राधेश्याम जाति मराठा नि. कुमार कराडिया.	151/2	0.523	0.000	0.523	0.125	0.000	0.125

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	सदाशिवराव पिता दगडू जाति मराठा, नि. कुमार कराडिया.	151/3	0.523	0.000	0.523	0.125	0.000	0.125
12	सदु, बाबु, नरान पिता भैरा जाति भील, नि. कुमार कराडिया.	150/1	3.303	0.000	3.303	0.420	0.000	0.420
13	भगवतसिंह, हरिराम पिता कालूसिंह, जितेन्द्र पिता पर्वतसिंह जाति भील नि. निजामपुरा.	150/2	1.254	0.000	1.254	0.030	0.000	0.030
14	गजानन्द पिता बाबुराव चालके, जाति मराठा, नि. कुमार कराडिया.	118/4	1.306	0.000	1.306	0.021	0.000	0.021
15	राधेश्याम पिता गोविन्द जाति कुनबी निवासी कुमार कराडिया.	113/1	1.002	0.000	1.002	0.244	0.000	0.244
16	कलाबाई बेवा कोण्डीराव, जगदीश प्रकाश पिता कोण्डीराव जाति मराठा, नि. कुमार कराडिया.	113/2	0.301	0.000	0.301	0.301	0.000	0.301
योग . .			17.987	0.627	18.524	2.954	0.105	3.059

प्र. क्र. 19042-अ-82-2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. (1) में इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अंतर्गत ग्राम भिचोली तहसील व जिला धार के लिये वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है. प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है. अतः सोशल इन्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची (1)

ग्राम-भिचोली

तहसील-धार

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टेयर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना	2.049	0.466	2.515
योग . .		2.049	0.466	2.515

अनुसूची (2)

इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अंतर्गत ग्राम भिचोली की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम-भिचोली

तहसील-धार

क्र.	कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टेयर)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	घनश्याम सिंह, मदनसिंह पिता सरदार सिंह, जाति राजपूत नि. भिचोली.	282	3.554	0	3.554	0.018	0	0.018

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	रामचन्द्र पिता धनसिंह जाति राजपूत, नि. भिचोली.	284/1	0.418	0	0.418	0.062	0	0.062
3	रामचन्द्र पिता धनसिंह जाति राजपूत, नि. भिचोली.	284/2	0.245	0	1.348	0.245	0	0.245
4	पार्वतीबाई पति रामसिंह रघुवंशी, नि. खेडा	286/1	0.836	0	0.836	0.286	0	0.286
		293/4	0.209	0	0.209	0.065	0	0.065
		2	1.045	0	1.045	0.351	0	0.351
5	माधोसिंह पिता तोलाराम राजपूत नि. भिचोली	293/1/1	0.000	0.523	0.523	0.000	0.136	0.136
6	कल्याणसिंह पिता तोलाराम राजपूत नि. भिचोली	293/1/2	0.000	0.522	0.522	0.000	0.136	0.136
7	संतोषबाई पति उंकारसिंह राजपूत नि. सांधवी	293/2	1.181	0	1.181	0.250	0	0.25
8	रतनबाई पति प्रेमसिंह राजपूत नि. भिचोली	293/3	0.836	0	0.836	0.190	0	0.19
9	भारतसिंह पिता लालसिंह राजपूत नि. भिचोली	295/3	1.254	0	1.254	0.002	0	0.002
		297/1	0.487	0	0.487	0.001	0	0.001
		2	1.741	0	1.741	0.003	0	0.003
10	प्रहलादसिंह पिता रतनसिंह राजपूत नि. सुलावड	295/2	1.045	0	1.045	0.160	0	0.16
11	सन्तोष पिता सरदारसिंह जाति जाट नि. घाटा विल्लोद.	295/5	0.000	0.627	0.627	0.000	0.084	0.084
12	रामूबाई पति पोपसिंह राजपूत नि. देह	295/6	0.836	0	0.836	0.197	0	0.197
13	प्रहलादसिंह पिता रतनसिंह राजपूत नि. सुलावड	302/1/1	0.564	0	0.564	0.209	0	0.209
14	सीतादेवी पति अशोक कुमार जाति नाई नि. इन्दौर.	302/1/2	0.000	0.627	0.627	0.000	0.110	0.11
15	निर्भयसिंह पिता उमरावसिंह राजपूत भूमि स्वामी निवासी भिचोली.	302/2	2.069	0	2.069	0.198	0	0.198
		301	1.233	0	1.233	0.166	0	0.166
		2	3.302	0	3.302	0.364	0	0.364
योग . . .			14.767	2.299	18.169	2.049	0.466	2.515

क्र. 19044-अ-82-2014-15.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. (1) में इंदौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अंतर्गत ग्राम एकलदुना (द्विठान) तहसील व जिला धार के लिये वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है. प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है. अतः सोशल इन्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक

प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची (1)

ग्राम-एकलदुना (दिगठान)

तहसील-धार

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टेयर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)		
1	इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना	3.192	1.335	4.527
	योग . .	3.192	1.335	4.527

अनुसूची (2)

• इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अंतर्गत ग्राम एकलदुना (दिगठान) की प्रभावित भूमि का विवरण
ग्राम-एकलदुना (दिगठान)

तहसील-धार

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टेयर)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		
1	नागेश्वर पिता नरसिंग जाति कुलमी नि. ग्राम एकलदुना.	557/2/1/1	1.797	0.000	1.797	0.220	0.000	0.220
2	राजाराम पिता नरसिंग जाति कुलमी नि. ग्राम एकलदुना.	557/2/1/2	1.463	0.000	1.463	0.180	0.000	0.180
3	राजकुमार पिता मोहनलाल जाति कुलमी नि. ग्राम एकलदुना.	557/2/2/1	1.245	0.000	1.245	0.177	0.000	0.177
4	हीरालाल पिता मोहनलाल जाति कुलमी नि. ग्राम एकलदुना.	557/2/2/2	1.244	0.000	1.244	0.177	0.000	0.177
5	निर्मला पति महेश जाति कुलमी नि. ग्राम बिजूर.	557/2/2/3	1.245	0.000	1.245	0.177	0.000	0.177
6	भगवन्ताबाई बेवा उदयराम, विपिन पिता आनन्दीलाल, जया ना.बा. पिता आनन्दीलाल, पा.कर्ता दादी भगवन्ताबाई बेवा उदयराम जाति कुलमी नि. ग्राम एकलदुना.	576	0.000	1.839	1.839	0.000	0.732	0.732
7	गीताबाई पति मंगा जाति कुलमी नि. ग्राम एकलदुना.	572	0.732	0.000	0.732	0.042	0.000	0.042
8	कमलाबाई बेवा भागीरथ, रघुनाथ, जगदीश पिता भागीरथ जाति गारी नि. ग्राम एकलदुना.	575	1.275	0.000	1.275	0.082	0.000	0.082
9	रमेश शंकर मोहन सोहन, पप्पु, नानु पिता गेन्दालाल, मांगुबाई गुड्डीबाई पिता गेंदालाल जाति नाई नि. ग्राम एकलदुना.	573/1	0.590	0.000	0.590	0.152	0.000	0.152
10	अयोध्या बाई बेवा बाबूलाल जाति नाई नि. ग्राम एकलदुना.	573/2	0.591	0.000	0.591	0.120	0.000	0.120
11	परसराम पिता नारायण जाति कुलमी नि. ग्राम एकलदुना.	571	3.093	0.000	3.093	0.800	0.000	0.800

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	मोहनसिंह पिता अमरसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम एकलदुना.	570	0.961	0.000	0.961	0.105	0.000	0.105
13	नराण पिता मेगा जाति कुलमी नि. ग्राम एकदुलना.	569/2ब	0.961	0.000	0.961	0.105	0.000	0.105
14	खेमराज पिता मंगा जाति कुलमी नि. ग्राम एकलदुना.	569/1	0.962	0.000	0.962	0.105	0.000	0.105
15	मोहन पिता काशीराम, राजकुमार, महेश, हिरालाल पिता मोहनलाल जाति कुलमी नि. ग्राम एकलदुना.	549/2	0.000	0.100	0.100	0.000	0.080	0.080
16	भगवतीबाई पति उदयराम जाति कुलमी नि. ग्राम एकलदुना.	634/578	0.000	1.641	1.641	0.000	0.523	0.523
17	कृष्णचंद्रसिंह पिता रघुनाथसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम एकलदुना.	432	1.986	0.000	1.986	0.590	0.000	0.590
		433	0.387	0.000	0.387	0.160	0.000	0.160
	योग . .		18.532	3.580	22.112	3.192	1.335	4.527

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
टीकमगढ़, दिनांक 4 जनवरी 2016

प्र. क्र. 02-अ-82-2014-15.—चूंकि, शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि की बानसुजारा परियोजना के नहर निर्माण के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है. आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2-2014-सात-2-ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. एफ 12-2-2014-सात-2ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है:—

- परियोजना का नाम:—बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु.
- भूमि का विवरण:—ग्राम गेंदनताल तहसील—बल्देवगढ़ जिला—टीकमगढ़
अर्जित भूमि का क्षेत्रफल—13.740 हेक्टेयर

अनुसूची

स. क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	रामदास, रामप्रसाद गोकल पिता मुल्ले 1/3 भाग भूमि	53	0.243	0.170
	स्वामी बन्दु पिता माधो 1/3 भाग भूमि स्वामी	54	0.336	0.120
	हीरालाल दुरजन पिता हल्लु जाति लोधी पता नि.	55	0.150	0.110
	एरोरा 1/3 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.56	50	0.231	0.120
		49	0.628	0.475
	योग . .		1.588	0.995

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	रामदास पिता मुल्ले 1/2 भाग भूमि स्वामी बन्दु तनय माधौ प्रसाद जाति लोधी पता नि. एरोरा 1/2 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.06	47	1.100	0.025
	योग . .		1.100	0.025
3	कमलापत नन्दन तन्य कुन्जी जाति लोधी पिता नि. एरोरा 2/3 समान भाग भूमि स्वामी श्यामलाल गोरेलाल तनय घनश्याम जाति लोधी पता नि. एरोरा 1/3 समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.94	56 57 58	0.664 0.725 0.089	0.350 0.460 0.085
	योग . .		1.478	0.895
4	आनंद कुमार तन्य शिखरचंद जाति जैन पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 1.81	46	0.979	0.470
	योग . .		0.979	0.470
5	बाबू रामसेवक तनय घनश्याम उर्फ घम्शु जाति ढीमर पता निवासी ऐरोरा भूमि स्वामी ममता सविता पुत्री हरीशंकर मु. लल्लाबाई बेबा हरीशंकर जाति ढीमर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.12	206 207	0.462 0.283	0.110 0.080
	योग . .		0.745	0.190
6	चन्नू बिहारी तनय छत्ता जाति लोधी पता नि. ऐरोरा 1/2 समान भाग भूमि स्वामी भैयालाल मथरा तनय करिया जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि भागीरथ कमलेश पुष्पेन्द्र तनय लक्ष्मन मु. फूलाबाई बेबा लक्ष्मन भुमानीबाई राजाबाई हल्ला पुत्री लक्ष्मन जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.06	208	0.036	0.036
	योग . .		0.036	0.036
7	भैयालाल मथरा पिता करिया भूमि स्वामी भागीरथ कमलेश पुष्पेन्द्र तनय लक्ष्मन मु. फूलाबाई बेबा लक्ष्मन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी राजाबाई भुमानीबाई हल्ला पुत्री लक्ष्मन पता निवासी ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी चन्नू बिहारी पिता छत्ता जाति लोधी पता नि. ऐरोरा 1/2 भाग भूमि स्वामी.	209 514 224 222	0.057 0.397 0.287 1.574	0.010 0.285 0.280 0.640
	योग . .		2.315	1.215
8	लड्डुआ कमतुवा सुकरती दलुवा तनय सरमनमु सियाबाई बेबा परमू हीरा श्यामलाल प्यारेलाल तनय परमू मु. ढक्कू वेवा सरमन जाति चमार 1/5 समान भाग भूमि स्वामी मथरा पिता हल्लू कोसिया रमकुइया पुत्री हल्लू मु. सगुनिया बेबा	212 223 225	0.817 0.084 0.312	0.010 0.084 0.130

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	सरजुवा पुनुवा बन्दा मुन्ना तनय सरजुवा जाति चमार भूमि स्वामी रमुवा भुल्ला तनय छुटिया पाना रूपा पुत्री छुटिया जाति चमार पता निवासी ग्राम 1/5 समान भाग भूमि स्वामी मुन्ना पिता सरजुवा 1/5 भाग भूमि स्वामी हिरा सुन्ना धन्सू रतु पिता बिन्दा मु. मनकारी वारी बेबा बिन्दा लल्ली रम्बू पुत्री बिन्दा जाति चमार पता नि. ऐरौरा 1/5 भाग भूमि स्वामी.			
		योग . . .	1.213	0.224
9	लछुआ कमतुवा सुकरती दलुवा परमू तनय सरमना मु. ढक्कू वेवा सरमना भूमि स्वामी धन्सू रतु हिरा सुन्ना पिता बिन्दा मनकारी बेबा बिन्दा लल्ली रम्बू पिता बिन्दा 8/5 भाग भूमि स्वामी लक्ष्मन भैयालाल मथरा पिता करिया जाति लोधी भूमि स्वामी भागीरथ कमलेश रामदयाल तनय लक्ष्मन मु. फूलाबाई बेबा लक्ष्मन जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी राजाबाई भुमानीबाई हल्ला पुत्री लक्ष्मन जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/6 समान भाग भूमि स्वामी चन्नु बिहारी तनय छता हि. 1/6 जाति लोधी भूमि स्वामी सरजुवा मथरा तनय हल्लु कोसिया रमकुइया पुत्री हल्लू पता नि. ग्राम भूमि स्वामी रमुवा भुल्ला तनय छुटिया पाना रूपा पुत्री छुटिया पता नि. ग्राम 2/15 समान भाग भूमि स्वामी	220	0.040	0.010
		योग . . .	0.040	0.010
10	मथरा तनय नन्नु मन्दु मुल्लु पुनुवा पिता करिया जाति बुनकर भूमि स्वामी गनेश तनय मुल्लू लच्छी बाई पुत्री मुल्लू भुमानीबाई बेबा मुल्लू जाति बुनकर पता निवासी ग्राम 1/6 समान भाग भूमि स्वामी लटोरा हरजू त. सुनका जाति बुनकर पता नि. ग्रामी भूमि स्वामी हल्काई बालकिशन राजाराम तनय टूडा जमना राजा पुत्री टूडा मु. रामबाई बेबा टूडा जाति बुनकर पता निवासी ग्राम 2/3 समान भाग भूमि स्वामी हरजू मुखिया तनय सुनका जाति बुनकर पता निवासी ऐरौरा 1/6 समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 2.32	200	1.206	0.100
		201	0.150	0.130
		योग . . .	1.356	0.230
11	घपुवा पिता गज्जू जाति बंसोर पिता नि. ऐरौरा भूमि स्वामी भू राजस्व 1.25	68	0.688	0.310
		योग . . .	0.688	0.310

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	छुट्टी रट्टी तनय चिरईया जाति धोबी पता नि. ग्राम 1/4 समान भाग भूमि स्वामी श्रीमति शांतिबाई पत्नि मन्नु लाल जाति रजक पता नि. ग्राम 3/4 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1.56	69 71 72	0.841 1.181 1.015	0.240 0.500 0.780
	योग . .		3.037	1.520
13	शांतिबाई पत्नि मन्नु लाल जाति धोबी पता नि. ऐरौरा 2/3 भाग भूमि स्वामी रट्टी छुट्टी कलिया हरवा पुत्री चिरईया जाति धोबी पता नि. ऐरौरा 1/3 समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.37	510 509 508 507 504 506 505	0.190 0.206 0.129 0.700 0.178 0.388 0.036	0.190 0.206 0.129 0.420 0.080 0.388 0.030
	योग . .		1.827	1.443
14	फूल बाई पति हरजू जाति बुनकर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 1.77	502	0.809	0.190
	योग . .		0.809	0.190
15	मु. ठक्कू बेबा पति समना भूमि स्वामी लछुवा कमतुवा सुकरती दलुवा परम पिता समरमना 1/10 भाग भूमि स्वामी मुन्ना पिता सरजुवा 1/10 भाग भूमि स्वामी अन्दु पिता पूजना 1/10 भाग भूमि स्वामी मु. गनयारी पति बिन्दा 1/10 भाग भूमि स्वामी हिरा सुनका घंसु सतु पिता बिन्दा लल्ली रम्बू पुत्री विन्दा हि 1/10 भूमि स्वामी मु. सगुनिया वेवा सरजुवा पुनुवा नंदा मुन्ना तनय सरजुवा मथरा तनय हल्लू कोरिया रमकू पुत्री हल्लू भूमि स्वामी रमुवा भुल्ला तनय छुट्टिया पाना रूपा पुत्री छुट्टिया पता निवासी ग्राम 1/5 समान भाग भूमि स्वामी भूरा नथुवा तनय करवा हि. 1/4 जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी धन्सु भगू श्यामलाल रगवार दयाल तनय अरजना मु. विनइया बेबा अरजना मीरा मुलायम शांति पुत्री अरजना जाति चमार पता निवासी ग्राम 1/4 समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.81	501 497	0.348 0.198	0.280 0.135
	योग . .		0.546	0.415
16	मु. ठक्कू बेबा सरमन लछुवा कमतुवा सुकरती दलुवा परमू तनय रमना हि 1/30 भूमि स्वामी मुन्ना तनय सरजुवा हि. 1/30 मु. गनयारी वारी बेबा बिन्दा हिरा सुन्ना घन्सू रतू भूमि स्वामी तनय विन्दा लल्ली रानूपुत्री बिन्दा 1/30	493	0.028	0.020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	हि. भूमि स्वामी सरजुवा मथरा तनय हल्लू भूमि स्वामी कोसिया रमकुंडिया पुत्री हल्लू जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी रमुवा भल्ला तनय छुटिया पाना रूपा पुत्री छुटिया जाति चमार पता नि. ग्राम 1/30 समान भाग भूमि स्वामी अन्दु तनय पखुवा हि. 1/30 भाग भूमि स्वामी नथुवा तनय भरवा हि. 1/12 जुग्गा तनय सरिया रिल्लिया तनय सेडवा हि. 1/6 भूमि स्वामी मुरिया बेबा अन्दु हिरउवा टुलईया छक्की हरदास तनय अन्दु मु. मज्जीबेबा बिहारी भूमि स्वामी आशाराम तनय बिहारी गहू चिम्पा सरिया तनय ठकरा हि 1/18 देवी तनय अधरा 1/18 हि. भूमि स्वाम चोउवा तनय बल्देव 1/18 हि. अर्जना तनय अडकुवा मोरम तनय परसादी हि 1/6 भूमि स्वामी कडोरा तनय हल्का मु. पिपरा बाई बेबा हल्का हि 1/6 जाति चमार पता नि. एरोरा भूमि स्वामी घन्सु भग्गू श्यामलाल रगवरदयाल तनय अर्जना मु. विनइया जाति चमार पता नि. ग्राम 1/12 समान भाग भूमि स्वामी.				
		योग . .	0.028	0.020	
17	घन्सू भग्गू श्यामलाल पिता अरजना भूमि स्वामी हरदास पिता अरजना भूमि स्वामी बली पिता अज्जा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.37	500	0.101	0.090	
		योग . .	0.101	0.090	
18	हरिदास भगवानदास वीरन तनय चउदा जाति चमार पता नि. एरोरा भूमि स्वामी भू राजस्व 0.19	499	0.069	0.069	
		योग . .	0.069	0.069	
19	सरिया गहू चिम्पा पिता ठकरा हि 3/4 हिरउवा छक्की दिलइया हरदास पिता अन्दु भूमि स्वामी मु. मुरिया बेबा अन्दु आशाराम पिता विधिया मु. मज्जी बेबा विधीया हि 1/4 पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.06	498	0.032	0.016	
		योग . .	0.032	0.016	
20	रिल्लिया पिता सेडवा जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.12	495	0.049	0.035	
		योग . .	0.049	0.035	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21	कूरा पिता जगुवा जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.12	496	0.028	0.025
	योग . .		0.028	0.025
22	धन्सू भगू श्याम रगवरदयाल तनय अर्जुन मु. विनइया बेबा अर्जुन जाति चमार पता नि. ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी गन्सु हिरिया कल्लू पुत्री भैंरो जाति चमार पता नि. ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.19	494	0.065	0.060
	योग . .		0.065	0.060
23	घन्सु भगू श्याम रगवर दयाल तनय अर्जुन मु. विनईया बेबा अर्जुन जाति चमार पता नि. एरोरा भूमि स्वामी भू राजस्व 1.62	459 462	0.210 0.121	0.040 0.080
	योग . .		0.331	0.120
24	धिग्गा नत्थू तनय अजुद्दी जाति चमार पता नि. एरोरा भूमि स्वामी	503	0.700	0.180
	योग . .		0.700	0.180
25	सुक्का पिता रमदीना जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व. 0.25	472 470 471	0.097 0.101 0.032	0.093 0.005 0.020
	योग . .		0.230	0.118
26	भगवानदास तनय चौदा गनेशी सुक्कन रमकू पुत्री चौदा हरदास तनय सुखदीन हि 1/2 कमल घन्सा मौनलाल रामचरन तनय परमा 1/2 हि जाति चमार पता नि. एरोरा भूमि स्वामी.	463 464/1 452 448	0.162 0.049 0.012 0.101	0.150 0.040 0.012 0.055
	योग . .		0.324	0.257
27	पुट्टा तनय लूला जाति बसोर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी बालमुकुन्द तनय छुटिया कलावती पुत्री छुटिया मु. नन्नीबाई बेबा छुटिया जाति बसोर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	464/2	0.045	0.040
	योग . .		0.045	0.040
28	हिरउवा छक्की तिलईया हरदास पिता अन्दु मु. मुरिया बेबा अन्दु हि. 5/18 भूमि स्वामी आशाराम पिता बिहारी मु. मज्जी बेबा बिहरीया 1/18 भाग भूमि स्वामी गट्टू, चिम्मा सरिया पिता ठकरा जाति चमार पता नि. ग्राम 2/3 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.56	465	0.121	0.085
	योग . .		0.121	0.085
29	खुमना पिता मुलुवा जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी घन्सुर गवर तनय अर्जुना गौरिया पत्नि भगू जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 1.00	466	0.166	0.120
	योग . .		0.166	0.120

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30	गन्सु हिरिया कल्लू पुत्रियां भैंरों जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.75	456 455 454	0.174 0.125 0.425	0.140 0.080 0.285
	योग . .		0.724	0.505
31	चिन्दा तनय सुकइया नंदी तनय सुन्ना गौरिया कल्लू शीला पुत्री सुन्ना जाति चमार पता नि. ऐरौरा 2/9 समान भाग भूमि स्वामी उमराव लखन तनय परवत पुष्पा पुत्री परवल मु. फुलिया बेबा परवत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी अरविन्द विशाल ना. बा. तनय हरिशंकर सर. मां अर्चना बेबा हरिशंकर जाति चमार पता निवासी ग्राम 1/9 समान भाग भूमि स्वामी गिरधारी तनय गुमना पता निवासी ग्राम 1/3 भाग भूमि स्वामी कमला घन्शा मोनलाल रामचरन तनय परमा जाति चमार पता निवासी ग्राम 1/3 समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.31	450 451	0.146 0.134	0.115 0.134
	योग . .		0.280	0.249
32	हरिराम छोटेलाल तनय कन्जूना बा सं. पिता कन्जू जाति काछी पता नि. एरौरा 1/4 समान भाग भूमि स्वामी कन्जू खरगा तनय गज्जू जाति काछी पता नि. ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी अनंदी बिहारी लक्ष्मन तनय जुग्गा जाति चमार पता निवासी ऐरौरा 2/8 समान भाग भूमि स्वामी पतंगी लखन तनय मोनलाल जाति चमार पता निवासी ऐरौरा 1/8 समान भाग भूमि स्वामी.	444 445 446 439 443 442 441 440	0.061 0.057 0.138 0.514 0.182 0.020 0.158 0.069	0.015 0.057 0.040 0.180 0.075 0.020 0.158 0.018
	योग . .		1.199	0.563
33	हरदास पिता सुखदीन भगवानदास तनय चौदा गनेशी सुक्कू रमकू पुत्री चौदा भूमि स्वामी प्यारेलाल विट्टन तनय खिल्ला रामरती पुत्री खिल्ला पता निवासी ग्राम 2/6 समान भाग भूमि स्वामी हल्लू अमीरा दुरजल उम्मेदा हीरा मोनलाल पिता रमला मु. फुटेरबाई वेवा रमला जाति चमार पता नि. ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी भगवानदास पिता गनेशा जाति चमार पता नि. ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.62	449	0.275	0.165
	योग . .		0.275	0.165
34	हरिराम छोटेलाल तनय कन्जूना बा. सं. पिता कन्जू जाति काछी पता नि. एरौरा 1/4 समान भाग भूमि स्वामी कन्जू खरगा तनय गज्जू जाति काछी पता नि. ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी अनंदी. बिहारी लक्ष्मन तनय जुग्गा जाति चमार पता निवासी ऐरौरा 1/8 समान भाग	395	1.110	0.310

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	भूमि स्वामी पतंगी लखन तनय मोनलाल जाति चमार पता निवासी ऐरौरा 1/8 समान भाग भूमि स्वाम भू राजस्व 2.25			
		योग . .	1.110	0.310
35	फूलाबाई बेवा रति कौमल गोकल तनय करियालारबाई वेवा करिया पता नि. ऐरौरा 1/4 समान भाग भूमि स्वामी दसईयां पिता सुन्ना 1/2 भाग भूमि स्वामी अजुद्धी तनय कलुवा परसुवा पिता पुन्दा जाति चमार पता नि. ऐरौरा 1/4 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1.06	392 391 389 388	0.182 0.036 0.150 0.053	0.055 0.020 0.070 0.012
		योग . . .	0.421	0.157
36	हल्काई सुन्दर तनय परसुवा जाति चमार 1/4 भाग भूमि स्वामी करिया पिता भरोसा जाति काछी 1/4 भाग भूमि स्वामी मु. गुदिया बेबा परसुवा जुग्गा हल्कइयां सुन्दर तनय परसुवा पतंगी लखन तनय मौनलाल जाति चमार पता नि. एरौरा 1/4 समान भाग भूमि स्वामी छिग्गा नत्थू तनय अजुददी मु. दमोहवारी वेवा अजुददी जाति चमार ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी	400 399	0.198 0.235	0.198 0.220
		योग . .	0.433	0.418
37	कैलाश तनय बाबूलाल जाति ब्राम्हण पता नि. एरौरा भूमि स्वामी भू राजस्व 5.19	375	2.805	0.480
		योग . .	2.805	0.480
38	कोमल गोकल तनय करिया दुरजी वेवा करिया सुन्ती श्यामबाई पुत्री करिया जाति काछी पता नि. ऐरौरा भूमि स्वामी फूलाबाई बेबा रति जाति काछी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.44	401 402	0.255 0.365	0.160 0.160
		योग . .	0.620	0.320
39	संतोष कुमार वीरेन्द्र कुमार तनय बलू मुन्ना लाल कमल कुमार तनय शीतल प्रसाद जाति जैन पता नि. हटा 1/2 समान भाग भूमि स्वामी खरगा तनय नंदु राजाराम रमेश सुरेश तनय छक्की जाति यादव पता नि. कुलगुंवा 1/2 समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 3.63	371 366 365	2.359 0.721 1.749	0.790 0.310 0.010
		योग . .	4.829	1.110
40	पइयन जुगला तनय बल्लुवा पंखी भूरी पुत्री बल्लुवा जाति ढीमर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.03	364/1	0.020	0.020
		योग . .	0.020	0.020
41	राजेश अरविन्द्र तनय धनीराम सविता रीता अनीता पुत्री धनीराम पारवती बेबा धनीराम जाति	364/2	0.020	0.020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	माली पता नि. ग्राम भूमि स्वामी नीरज धीरज तनय सीताराम पूनम पुत्री सीताराम जाति माली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी हरिराम रमेश रामकृपाल तनय विन्द्रावन कमला गीता पुत्री विन्द्रावन जाति माली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.03			
		योग . .	0.020	0.020
42	भडुवा पिता दमरूआ हि. 1/2 भूरा सुनका तनय नथुवा जाति काछी पता नि. एरोरा भूमि स्वामी	363	0.121	0.020
		योग . .	0.121	0.020
		कुल योग . .	32.902	13.740

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु.

(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण टीकमगढ़ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग बल्देवगढ़ में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 07-अ-82-2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि की बानसुजारा नहर परियोजना हेतु नहर निर्माण के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है. अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. 12-2-2014-सात-2ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2-2014-सात-2ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

1. परियोजना का नाम:—बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु.
2. भूमि का विवरण:—ग्राम—डारगुंवा खालसा—तहसील—बल्देवगढ़ जिला—टीकमगढ़ अर्जित भूमि का क्षेत्रफल—9.384 हेक्टेयर

अनुसूची

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मनसुका तनय धनुवा मुन्नी करंजू रामदीन प्यारे उद्धेता तनय गुमना जाति ढीमर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.94	509	0.819	0.580
		योग . .	0.819	0.580
2	ग्यासी तनय हरदास जाति नाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.12	510	0.918	0.030
		योग . .	0.918	0.030

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	शंकर तन्य आशाराम जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.19	508	0.913	0.410
		योग . .	0.913	0.410
4	शिवदीन तनय कुल्ली लच्छी वेवा कुल्ली जाति बसोर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 4.25	505/1/1 499	0.190 1.833	0.075 0.600
		योग . .	2.023	0.675
5	सरजू तनय प्यारे जाति धौबी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	506	0.833	0.004
		योग . .	0.833	0.004
6	बन्दू तनय रघुवा जाति सौर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 4.19.	504	1.801	0.050
		योग . .	1.801	0.050
7	गनपत तनय पुन्टा जाति सौर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.81	497 146/2/2	1.412 0.611	0.330 0.075
		योग . .	2.023	0.405
8	अच्छेलाल राजू तनय कूरा जाति बसोर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.25	498	0.551	0.025
		योग . .	0.551	0.025
9	शिवदीन तनय कल्ली जाति बसोर पता निवासी ग्रामी सेवा खातेदार.	496/1	4.047	0.510
		योग . .	4.047	0.510
10	पूरन तनय हजारी जाति ब्रह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 7.56	474 369	3.682 0.129	0.095 0.020
		योग . .	3.811	0.115
11	हरिनारायण रामगोपाल तनय पूरन जाति ब्रह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 4.87	362/1	2.023	0.690
		योग . .	2.023	0.690
12	कुंजी कुम्पी तनय झल्लू हि. 1/2 समान जाति बुनकर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी अमराबाई सुखबाई पुत्री झल्लू जाति बुनकर पता निवासी ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.31	367	1.072	0.510
		योग . .	1.072	0.510
13	काशीबाई वेवा रामस्वरूप जाति ब्रह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.62	473	0.279	0.002
		योग . .	0.279	0.002

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	हरचरण हरप्रसाद तनय किशोरा जाति ढीमर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी मथरा तनय नंदू रेखा लक्ष्मी काशीबाई पुत्री नंदु नन्नीबाई बेबा नंदु जाति ढीमर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.50	368	0.332	0.295
	योग . . .		0.332	0.295
15	सुखदीन मथरा तनय हल्का जाति लोधी भूमि स्वामी परमलाल रामस्वरूप तनय रामचरन चत्तू बाई बेबा रामचरन जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भगुन्तीबाई फूलाबाई पुत्री रामचरन जाति लोधी पता नि. ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी भोली कलुवा मथरा तनय गोवुवा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी लखनलाल रामसेवक तनय धर्मदास गुड्डीबाई पुत्री धर्मदास कल्लूबाई बेबा धर्मदास जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी 1/2 समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.00	370	0.129	0.115
	योग . . .		0.129	0.115
16	मुन्ना रमुवा तनय मुलुवा हि. 1/2 चत्तू तनय लक्ष्मण हि. 1/2 जाति साहू पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 6.00	376	0.690	0.130
	योग . . .		0.690	0.130
17	रती गनेशी जशोदा पुत्री मोहन मकुन्दी तनय मोहन हि. 1/2 जाति बाढ़ई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी जयराम तनय सारिया जाति बाढ़ई पता निवासी ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.75	371	0.077	0.065
	योग . . .		0.077	0.065
18	हरजुवा अजुद्धी तनय बुद्ध दुर्गा लाछिया हिरिया हरबू बुद्ध भूमि स्वामी चुक्खो पुत्री मोहन शांति बेबा मोहन जाति ढीमर पता निवासी ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी हीरा उद्देता तनय लक्ष्मण हि. 1/4 हरचरण हरप्रसाद तनय किशोरा भूमि स्वामी मथरा तनय नंदू रेखा लक्ष्मी काशाबाई पुत्री नंदू नन्नीबाई बेबा नंदू जाति ढीमर पता नि. ग्राम 1/4 समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.75	372 374	0.081 0.332	0.030 0.200
	योग . . .		0.413	0.230
19	कुन्जी कुप्पी तनय झलुवा जाति चढ़ार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.94	327	0.328	0.030
	योग . . .		0.328	0.030
20	लखनलाल रामसेवक तनय धर्मा गुड्डी पुत्री धर्मा कल्लूबाई बेबा धर्मा जाति सौर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.20	103	1.093	0.490
	योग . . .		1.093	0.490

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21	प्यारे मोहन भगवानदास तनय उद्धेता जाति सौर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी हरबाई पुटा आरती पुत्री चंदू जशोदा बेबा चंदू जाति सौर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.00	146/2/1	1.000	0.075
	योग . .		1.000	0.075
22	मु. जसुदिया बेवा दौलू रामदीन गुपाल उर्फ भगवानदास तनय दौलू जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.62	325	1.141	0.605
	योग . .		1.141	0.605
23	हरचू मथरा प्रमोद तनय भैयालाल म. द्रोपती पत्नि हीरालाल जाति लोधी पता नि. ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी हरचू हीरालाल मथरा प्रमोद तनय भैयालाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.44	221 222	0.344 0.393	0.140 0.300
	योग . .		0.737	0.440
24	कलुवा तनय रघुनाथ हि. 1/4 मु. जसुदिया बेवा दौलू जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी रामदीन गुपाल उर्फ भगवानदास तनय दौलू जाति लोधी पता नि. ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी मु. दोहवारी बाई बेवा पुन्टा बाबूलाल चरन तनय पुन्टा जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी.	223 225	0.032 0.162	0.016 0.030
	योग . .		0.194	0.046
25	चिरां तनय गोरे जाति सौर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.30.	146/2/4	0.423	0.075
	योग . .		0.423	0.075
26	बाबू चरन तनय पुन्टा मु. दोहबाई बेवा पुन्टा जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.50	218/3/5	0.619	0.335
	योग . .		0.619	0.335
27	छन्नु तनय नाथूराम हि. 1/4 हिरिया पुत्री परसादी पत्नि खुमान 1/4 भाग भूमि स्वामी अमना, कमला तनय बल्लुवा जाति काछी पता निवासी ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.75	134 135 136 137 138 139 140 141 143	0.332 0.510 0.886 0.020 0.008 0.053 0.166 1.145 0.833	0.100 0.280 0.400 0.010 0.008 0.005 0.050 0.120 0.143
	योग . .		3.953	1.116
28	रामचरन मोहन गोपाल तनय गुल्ली जाति सौर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.05.	146/2/3	1.023	0.075
	योग . .		1.023	0.075

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29	दयाराम तनय मौनलाल जाति सौर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी विन्दा पप्पू राजेन्द्र तनय हल्काई नोनीबाई बेबा हल्काई जाति सौर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी मुन्नी जनकबाई हरबाई फूला तनय हल्काई जाति सौर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 4.19.	147	1.805	0.015
	योग . .		1.805	0.015
30	कुरा नन्ने राजाराम भगवानदास तनय हरिया जाति सौर पता निवासी ग्राम 1/3 समान भाग भूमि स्वामी रामचरन मोहन गुपाल तनय गुल्ली रामकुंवर रामा पुत्री गुल्ली जाति सौर पता नि. ग्राम 1/3 समान भाग भूमि स्वामी बन्दु तनय रघुवा जाति सौर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी गनपत चिरां तनय गोरेलाल सुखदयान रामसिंह जयराम जगताराम तनय परमा जाति सौर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी गौराबारी बेबा परमा लखनलाल रामसेवक तनय धर्मा गुड्डीबाई पुत्री धर्मा कल्लू बाई बेबा धर्मा जाति सौर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी मलखान लक्ष्मन तनय रज्जू सुकरत बडीबेन पुत्री रज्जू जाति सौर पता नि. ग्राम 3/15 समान भाग भूमि स्वामी प्यारे मोहन भगवानदास तनय उद्देता जाति सौर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी हरबाई पुटा आरती पुत्री चंदू जशोदा वेवा चंदू जाति सौर पता नि. ग्राम 1/15 समान भाग भूमि स्वामी बाबूबाई वेवा जालम जाति सौर पता नि. ग्राम 1/15 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 4.82	102 100 101 99 98 97 80 83 84 86 85 87	0.810 0.113 0.125 0.158 0.032 0.101 0.101 0.101 0.202 0.186 0.020 0.146	0.250 0.055 0.120 0.130 0.012 0.075 0.005 0.050 0.060 0.075 0.020 0.004
	योग . .		2.095	0.856
31	कुरा नन्ने राजाराम भगवानदास तनय हरिया जाति सौर पता निवासी ग्राम 1/3 समान भाग भूमि स्वामी मु. फूलबाई वेवा भरोसा कियान भूरा तनय हरचरन कसिया वेवा हरचरन जाति गडरिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी देशू तनय खडिया श्यामबाई वेवा खडिया जाति गडरिया पता नि. ग्राम 1/9 समान भाग भूमि स्वामी रामचरन रामसेवक तनय खरगा भूरिया वेवा खरगा जाति गडरिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी बाबू भगुन्ता राजाराम दयाराम तनय दिम्मू जाति गडरिया पता नि. ग्राम 2/9 समान भाग भूमि स्वामी उम्मेदा खुमान तनय अजुध्या 1/6 भाग भूमि स्वामी भगोला तनय सुन्दरा जाति गडरिया 1/6 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 12.56	93	1.100	0.365
	योग . .		1.100	0.365
32	ग्यासी तनय हरदास जाति नाई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.31.	1	0.045	0.020
	योग . .		0.045	0.020
	कुल योग . .		38.310	9.384

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु.

(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण—टीकमगढ़ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग बल्देवगढ़ में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 10-अ-82-2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि की बानसुजारा परियोजना के नहर निर्माण के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है. अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. 12-2-2014-सात-2ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2-2014-सात-2ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

- परियोजना का नाम:—बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु.
- भूमि का विवरण:—ग्राम—रमपुरा नज. हटा तहसील—बल्देवगढ़ जिला—टीकमगढ़
अर्जित भूमि का क्षेत्रफल—5.271 हेक्टेयर

अनुसूची

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मनखुशी पिता नाथू जाति नाई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	226 222	1.829 3.217	0.660 0.150
	योग . .			0.810
2	कुंजी पिता मुलुवा जाति बढई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	225/1	1.319	0.725
	योग . .			0.725
3	परम पिता रट्टी जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	209/639 209/640	0.145 0.016	0.110 0.016
	योग . .			0.126
4	धूराज दयाराम राजाराम पिता दुर्जन प्यारीबाई पुत्री दुर्जन जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	209/1	1.382	0.295
	योग . .			0.295
5	भग्गू पंखी गोकुल धन्सू पिता परम जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	209/4 2/2/15	1.619 0.809	0.080 0.330
	योग . .			0.410
6	भग्गू पंखी गोकुल घनश्याम तनय परम जाति लोधी पता नि. ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी दुर्जन तनय रट्टी जाति लोधी पता नि. ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी.	210	2.549	0.650
	योग . .			0.650

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	ठलुवा, धूरा तनय बब्बू जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	2/2/8 2/2/4	0.809 0.500	0.070 0.150
	योग . .			0.220
8	मल्ला पिता पतिया जाति चमार पता नि. ग्राम	2/2/9	0.500	0.275
	योग . .			0.275
9	रगवर पिता बल्दुवा जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	2/2/10	0.809	0.250
	योग . .			0.250
10	किशोर सिंह पिता बकेसिंह जाति ठाकुर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	2/2/6	1.000	0.320
	योग . .			0.320
11	किशोरसिंह हरीसिंह केहर सिंह तनय बकेसिंह जाति ठाकुर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी पुष्पेन्द्र सिंह सतेन्द्र सिंह तनय गजराज सिंह मु. धनुषराजे बेबा गजराज सिंह जाति ठाकुर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	1/1/15	0.809	0.050
	योग . .			0.050
12	रामकिशन, प्यारेलाल राधेलाल, पूरन, प्रमोद तनय सुकली जाति बसोर पता.	2/2/5	0.809	0.340
	योग . .			0.340
13	गोकुल पिता भोला जाति लोधी निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	1/1/13	0.500	0.220
	योग . .			0.220
14	रेखा पत्नि घनश्याम सुधा पत्नि रामप्रसाद जाति सौर पता नि. ग्रामी भूमि स्वामी.	1/1/14	0.500	0.310
	योग . .			0.310
15	सुमरत पिता बब्बू जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	1/1/12	0.500	0.060
	योग . .			0.060
16	नोना ग्यारसी बाबू पिता जोराबल जाति नाई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	212	0.587	0.210
	योग . .			0.210
	कुल योग . .		19.399	5.271

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु.

(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण—टीकमगढ़ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग बल्देवगढ़ में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 11-अ-82-2014-15.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः अनुसूची में अंकित

भूमि धारकों की अंकित भूमि की बानसुजारा के परियोजना के नहर निर्माण के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है। आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2/2014/सात-2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1) एवं (2) के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. एफ-12-2-2014-सात-2ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

1. परियोजना का नाम:—बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु.

2. भूमि का विवरण:—ग्राम—पटौरी खालसा, तहसील—बल्देवगढ़, जिला—टीकमगढ़
अर्जित भूमि का क्षेत्रफल—2.695 हेक्टेयर

अनुसूची

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मधवा, तनय कमला जाति लोधी पता नि. ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी सरजू तनय कमला जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/3 भाग भूमि स्वामी प्रीतम जगदीश तनय माधो जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/12 समान भाग भूमि स्वामी मनोहर ना. बा. तनय परमसर, चाचा पुन्ना तनय सरमन जाति लोधी पता निवासी ग्राम 11/120 भाग भूमि स्वामी पुन्ना तनय सरमन जाति लोधी पता निवासी ग्राम 11/120 भाग भूमि स्वामी बन्दु रामप्रसाद तनय सरमन जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/10 समान भाग भूमि स्वामी केशरबाई पुत्री सरमन जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/20 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.12	293 297/1 298	0.518 0.251 1.068	0.080 0.070 0.065
	योग . . .		<u>1.837</u>	<u>0.215</u>
2	सूका तनय वल्ला जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	292 290	2.708 0.085	1.130 0.045
	योग . . .		<u>2.793</u>	<u>1.175</u>
3	अजुद्धी तनय गनुवा जाति सौर पता निवासी ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी धरमा तनय हल्के जाति सौर पता निवासी ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी.	289 288	0.445 0.158	0.345 0.030
	योग . . .		<u>0.603</u>	<u>0.375</u>
4	भरोसा तनय छत्ता जाति ढीमर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	30 29	1.129 0.142	0.140 0.020
	योग . . .		<u>1.271</u>	<u>0.160</u>
5	रगू हल्काई तनय लम्पुवा जाति सौर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4 अ 4 2	0.947 0.206 2.355	0.170 0.170 0.270
	योग . . .		<u>3.508</u>	<u>0.610</u>
6	बुजलाल मुलुवा लछुवा मधवा सुखलाल तनय कलुवा श्यामबाई पुत्री कलुवा जाति ढीमर पता नि. कुडयाला भूमि स्वामी.	3	0.170	0.160
	योग . . .		<u>0.170</u>	<u>0.160</u>
	कुल योग . . .		<u>10.182</u>	<u>2.695</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु.

(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण टीकमगढ़ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग बल्देवगढ़ में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश,

कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 1 दिसम्बर 2015

क्र. 2015-1827.—मध्य भारत सिंहस्थ मेला अधिनियम, 1955 (अधिनियम क्रमांक सन् 1955) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, कवीन्द्र कियावत, जिला दण्डाधिकारी, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ 2016 के लिये सिंहस्थ प्लॉन हेतु निम्नानुसार अस्थायी मेला क्षेत्र घोषित करता हूँ:—

क्षेत्र	रकबा
1. ग्राम कोलुखेड़ी	3.406 हेक्टेयर

टीप : उक्त सर्वे नम्बर की जानकारी तथा नक्शे तहसील कार्यालय उज्जैन में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उपलब्ध रहेंगे.

मैं, कवीन्द्र कियावत, जिला दण्डाधिकारी, उज्जैन के लिये (मध्यप्रदेश) मध्य भारत सिंहस्थ मेला अधिनियम, 1955 (क्र. 27 सन् 1955) की धारा 7 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए माह अप्रैल-मई 2016 में उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ मेले के लिये निम्नलिखित नियम निर्मित करता हूँ, अर्थात्:—

नियम

- (1) मेला अधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मेला क्षेत्र के भीतर व्यापार, खेल, प्रदर्शन अथवा धंधा करने वाले व्यापारियों को परिशिष्ट "अ" के अनुसार शुल्क जमा करने पर अनुमति पत्र (लायसेंस) प्रदान किया जावेगा.
- (2) (अ) मेला अधिकारी अथवा अनुपत्र पत्र प्रदाय करने वाला अधिकारी किसी व्यापार, खेल, धंधे को किसी निर्धारित स्थल अथवा क्षेत्र में करने हेतु सीमित कर सकेगा.
- (ब) किसी निर्धारित स्थल अथवा क्षेत्र में किसी व्यापार, खेल प्रदर्शन, धंधे को निषिद्ध कर सकेगा.
- (3) मेला अधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण हेतु अनुमति-पत्र मांगे जाने पर अनुमति पत्रगृहिता द्वारा उन्हें प्रस्तुत करना होगा.
- (4) यदि कोई अनुमति-पत्रगृहिता मध्य भारत सिंहस्थ मेला अधिनियम, 1955 के किसी प्रावधान अथवा उनके अधीन बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन करेगा तो मेला अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिना किसी क्षतिपूर्ति के उसका अनुमति पत्र निरस्त किया जा सकेगा.

परिशिष्ट "अ" (नियम 1 देखिये)

क्र.	नाम मय विवरण	सिंहस्थ-16 हेतु पूरे समय के लिये (रुपये)
(1)	(2)	(3)
1	औषधि (आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपथी, एलोपीथ) विक्रय करने वाले	300.00
2	सब्जी बेचने वाले	150.00

(1)	(2)	(3)
3	केवल चाय बेचने वाले	150.00
4	चाय के साथ खाने पीने की चीज बेचने वाले	250.00
5	पूरी-भाजी व खाने चीज बेचने वाले	250.00
6	भाड़-भूजा (भूने हुए चना, परमल)	50.00
7	नाई	150.00
8	धोबी	150.00
9	नाच, नौटंकी आदि खेल करने वाले	1000.00
10	सिनेमा	2000.00
11	छोटे मनोरंजन खेल करने वाले	150.00
12	फल बेचने वाले	150.00
13	चूड़ी तथा कांसे के गहने बेचने वाले	100.00
14	पान, गुटखा आदि	250.00
15	कपड़ा बेचने वालों पर	500.00
16	लोहे का सामान बेचने वालों पर	500.00
17	ईमारती लकड़ी बेचने वालों पर	1000.00
18	बर्तन सब धातुओं के बेचने वालों पर	500.00
19	मिट्टी के बर्तन बेचने वालों पर	100.00
20	सूखा मेवा बेचने वालों पर	500.00
21	गाड़ी लोहार	50.00
22	सूखा मेवा बेचने वाले (फेरी वाले)	150.00
23	परचुनी सामान बेचने वाले (दाल, आटा आदि)	250.00
24	जनरल मर्चेट्स	500.00
25	किताबे, स्टेशनरी आदि बेचने वाले	150.00
26	फोटोग्राफर्स	250.00
27	टीन का सामान बेचने	100.00
28	खिलौना, मिट्टी-कुट्टी के सड़क पर बेचने वाले	150.00
29	होजियरी सामान बेचने वाले	250.00
30	टेलर्स	250.00
31	फर्नीचर बनाने वाले	500.00
32	दूध बेचने वाले	150.00
33	लकड़ी, कण्डा, कोयले की टाल	250.00
34	फुटकर लकड़ी, कण्डा, कोयले बेचने वाले	150.00
35	इत्र, तेल, कंघे, अगरबत्ती, कुंक आदि बेचने वाले	200.00
36	घास की गजी	200.00
37	फुटकर घास बेचने वाले	50.00
38	सोने चांदी का सामान व गहने बेचने वाले	1000.00
39	हार-फूल बेचने वाले	150.00
40.	बिजली का सामान बेचने व किराये पर देने वाले	500.00
41	रेडियो, ट्रांजिस्टर, टी.वी., वाद्ययंत्र बेचने वाले	800.00
42	उक्त वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर	250.00
43	सोड़ा वाटर, शर्बत, बर्फ, गन्ने कमा रस आदि पेय बेचने पर	250.00
44	आइस्क्रीम, कुल्फी आदि बेचने वाले दुकानदार	800.00
45	आइस्क्रीम, कुल्फी आदि ठेले पर बेचने वाले	200.00
46	केरोसिन, आयल बेचने वाले	150.00
47	पेट्रोल मोबाईल आदि	500.00

(1)	(2)	(3)
48	खोमचे वाले	100.00
49	नहाने व कपड़े धोने साबुन बेचने वाले	200.00
50	हर प्रकार की मशीन बेचने वाले	400.00
51	पाटरीज का सामान बेचने वाले	250.00
52	कैंची, चाकू उस्तरे, छूरी, तलवार, कटार, चश्मा, भाले आदि बेचने वाले	150.00
53	ट्रंक, सूटकेस, चमड़े का सामान व प्लास्टिक का सामान बेचने वाले	800.00
54	कम्पनी के शूज की दुकान	500.00
55	चटाई, आसन, चिक के पर्दे	200.00
56	आर्म्स, एम्प्युनीशन पर	500.00
57	घड़ी, फाउंटेशन पेन आदि बेचने वाले	200.00
58	स्पोर्ट्स का सामान बेचने वाले	250.00
59	सड़कों पर छोटे बच्चों के सामान बेचने वाले	100.00
60	लोहार, सुतार, प्लम्बर्स आदि पर	200.00
61	पॉवर से चलने वाले झूले, चकरी आदि	500.00
62	हाथ से चलने वाले झूले, चकरी आदि	200.00
63	जूते-चप्पल की दुकान	200.00
64	टेंट सामियाने आदि किराये पर देने की दुकान	1000.00
65	हाथ द्वारा बांटने वाले पर्चे	100.00
66	प्रचार वाहन (प्रति वाहन)	1500.00
67	कार को छोड़कर दूसरे साधन के विज्ञापन (प्रति वाहन)	200.00
68	लाउड स्पीकर द्वारा विज्ञापन जिसको अनुमति हो (प्रति घंटा)	20.00
69	मिठाई की दुकान	800.00
70	सर्कस	1000.00
71	धार्मिक सामग्री का विक्रय	200.00
72	बेकरी आयटम	500.00
73	मोबाईल रिचार्ज व रिपेयरिंग	250.00
74	जूते-चप्पल मरम्मत का कार्य	100.00

- नोट :**
1. थोक विक्रेताओं को उपरोक्त दरों से दुगुनी दरों के रूप में देना होगी. मेला अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय थोक दुकानदार के विक्रय में अंतिम होगा.
 2. जो दुकाने केवल प्रदर्शनी हेतु लायी जावेगी उनसे नाममात्र का शुल्क लिया जावेगा. इसका निर्धारण मेला अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा.
 3. खजूर की चटाई, झाड़ू की फुटकर बिक्री, हाथकरघा, हाथ की छपाई तथा करघा संघ द्वारा प्रमाणित खादी और ग्रामोद्योग द्वारा प्रमाणित चीजों की बिक्री पर कोई शुल्क नहीं लगाया जावेगा परन्तु ऐसे व्यावसायियों को अनुमति पत्र लेना होगा.
 4. उपरोक्त वर्गीकरण में यदि किसी दुकान पर 1 से अधिक वर्ग का समावेश 1 ही विक्रेता द्वारा होगा तो उनसे सबसे अधिक शुल्क जिस वर्ग का होगा, वह वसूल किया जावेगा.
 5. सिनेमा तथा अन्य मनोरंजन के स्थानों की सीमा के भीतर जो स्टॉल लगेंगे उन पर निर्धारित दर अनुसार ही शुल्क पृथक् से लिया जावेगा.
 6. जिन व्यावसायियों या विक्रेताओं का समावेश उक्त परिशिष्ट "अ" में न हो सका हो तो उन पर 500.00 रुपये तक शुल्क लगाने तक का तथा उनमें से किसी वस्तु का शुल्क मुक्त करने का अधिकारी मेला अधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी को होगा.
 7. भारत सेवक समाज अथवा अन्य संस्थाओं द्वारा लगाई जाने वाली प्रदर्शन में जो दुकानें लगाई जावेगी उनको भी निर्धारित अनुमति शुल्क जमा करवाकर अनुमति पत्र लेना होगा.

कवीन्द्र कियावत, जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी मध्यप्रदेश

सिवनी, दिनांक 12 दिसम्बर 2015

क्र. 11783-वित्त-1-2015.—मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल का आदेश क्रमांक ई-1-439-2015-5-एक, भोपाल दिनांक 5 दिसम्बर 2015 के द्वारा श्री प्रवीण सिंह अढाचय (IAS) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लखनादौन की पदस्थापना मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, भिण्ड के पद पर एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल का आदेश क्रमांक ई-1-290-2015-5-एक, भोपाल दिनांक 5 दिसम्बर, 2015 द्वारा श्री सतीश कुमार एस (IAS) सहायक कलेक्टर, रतलाम की पदस्थापना अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व केवलारी की गयी है.

अतएव इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त आदेशों को अतिक्रमित करते हेतु जिले में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य निम्नानुसार कार्य विभाजन किया जाता है. शेष कार्य विभाजन पूर्वानुसार रहेगा:—

(1) श्री सतीश कुमार एस (IAS) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व केवलारी—

- (क) राजस्व :
1. अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, केवलारी.
 2. मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयक/लोक न्यास क्षेत्र केवलारी.
 3. लोक परिसर बेदखली अधिनियम केवलारी.
 4. सत्कार एवं भाड़ा नियंत्रण अधिकारी केवलारी.
 5. भू-अर्जन अधिकारी, केवलारी.
 6. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

- (ख) विविध :
1. नवाचार एवं पी.पी.पी. मोड की समस्त परियोजनाएं एवं नये प्रस्ताव के नोडल अधिकारी
 2. परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना लखनादौन.
 3. परियोजना अधिकारी, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना सिवनी.
 4. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य

(2) श्री आई. जे. खलखो, अनुविभागीय अधिकारी/दंडाधिकारी बरघाट—

1. विभागी जांच अधिकारी शाखा एवं पुरात्व शाखा.
2. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

(3) श्री राकेश मरकाम, अनुविभागीय अधिकारी/दंडाधिकारी लखनादौन—

1. अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, लखनादौन.
2. मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयक/लोक न्यास क्षेत्र लखनादौन.
3. लोक परिसर बेदखली अधिनियम लखनादौन.
4. सत्कार एवं भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, लखनादौन.
5. भू-अर्जन अधिकारी, लखनादौन.
6. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

निम्नानुसार अधिकारी लिंक अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे:—

क्र.	अधिकारी का नाम	प्रथम लिंक आफीसर	द्वितीय लिंक आफीसर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री सतीश कुमार एस	श्री राकेश मरकाम	श्री लारेंस केरकट्टा

(1)	(2)	(3)	(4)
2	श्री व्ही. पी. द्विवेदी	श्री के. सी. परते	श्री आई. जे. खलको
3	श्री आई. जे. खलको	श्री के. सी. परते	श्री व्ही. पी. द्विवेदी
4	श्री के. सी. परते	श्री व्ही. पी. द्विवेदी	श्री आई. जे. खलको

- नोट.—1. प्रभारी अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली नस्तियां अपर कलेक्टर के माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत की जावेगी.
2. समाधान ऑन लाइन हेतु प्राप्त शिकायतें सीधे कलेक्टर को प्रस्तुत की जावेगी.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

भरत यादव, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश

शहडोल, दिनांक 16 दिसम्बर 2015

क्र. 5-व.लि.-2-2015-7153.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-32-1999-1-4, दिनांक 30 मार्च 1999 के पालन में सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-02 के अनुक्रमांक 04 के नियम 08 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, नरेन्द्र सिंह परमार, कलेक्टर, शहडोल मध्यप्रदेश वर्ष 2016 के लिये निम्नानुसार दर्शायी गई तारीखों को पूरे दिन के लिए तीन स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

क्र.	जिला	अवकाश का दिनांक	दिन	पर्व
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	शहडोल	25 मार्च 2016	शुक्रवार	भाईदूज
2	शहडोल	5 सितम्बर 2016	सोमवार	गणेश चतुर्थी
3	शहडोल	31 अक्टूबर 2016	सोमवार	दीपावली का दूसरा दिन

उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषालय/उपकोषालयों तथा बैंकों पर लागू नहीं होंगे.

नरेन्द्र सिंह परमार, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (स्थानीय निर्वाचन) जिला धार (मध्यप्रदेश)

धार, दिनांक 29 दिसम्बर 2015

क्र. 3258-मण्डी. निर्वा.-2015.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जयश्री कियावत, कलेक्टर जिला धार मण्डी अधिनियम की धारा 11 (1) (घ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (लोक सभा तथा विधान सभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन) नियम 2010 के अन्तर्गत धार जिले की कृषि उपज मण्डी धामनोद के लिये सांसद, लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 25 धार अंजजा की ओर से श्री प्रहलाद दास पिता बंशीलाल निवासी धामनोद का प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट करती हूँ.

जयश्री कियावत, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (मंडी निर्वाचन) जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश,

छिन्दवाड़ा, दिनांक 5 जनवरी 2016

क्र. 10-मं नि.-2016.—मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड 26, अरेरा हिल्स, किसान भवन भोपाल के पत्र क्र. मण्डी उपनिर्वा.-बी-6-2-2015-119-पार्ट-1-770, भोपाल दिनांक 2 जनवरी 2016 के तहत एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति पांडुरणा, जिला छिन्दवाड़ा के वार्ड क्रमांक 01 पाठई के उप निर्वाचन 2015 में निम्नानुसार सदस्य निर्वाचित घोषित किये गये हैं—

क्र. (1)	निर्वाचित सदस्य का नाम (2)	पद जिसके लिये निर्वाचित हुए (3)	पता (4)
1	श्री सुनिल बचले पिता नौखेलाल बचले	सदस्य	मु.-दिघोरी, पो.-चांगोवा तह. पांडुरणा, जिला छिन्दवाड़ा.

महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर/जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कुलाधिपति, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2016

क्र. एफ-1-3-15-रा.स.-यू.ए.-1-17.—मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2011) की धारा 12 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राम नरेश यादव, कुलाधिपति, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर एतद्वारा डॉ. आर. एस. शर्मा, कार्डियोलाजिस्ट, प्रभारी कार्डियोलाजी यूनिट, शा. मेडीकल कालेज, जबलपुर (म. प्र.) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि अथवा 70 वर्ष की आयु, जो भी पूर्वतर हो, के लिए मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर का कुलपति नियुक्त करता हूँ.

(2) इनकी सेवा की शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार शासित होंगी.

राम नरेश यादव, कुलाधिपति, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर (म. प्र.).

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़वाह, जिला-खरगोन (मध्यप्रदेश)

बड़वाह, दिनांक 30 दिसम्बर 2015

प्ररुप-ख

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिये]

क्र. 3917-भू-अर्जन-2015-क्र. 02-अ-82-2015-16.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंधीर लिंक परियोजना के अन्तर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम-सिरलाय, प.ह.नं. 46, तहसील-बड़वाह, जिला-खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद, जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है. उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़वाह, जिला-खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	बड़वाह	लोहारपुरा प.ह.नं.-45	1/2/2	0.060
			1/2/3	0.017
			10	0.414
			11	0.018
			18/1	0.025
			19/1	0.242
			31/1	0.165
			31/2	0.143
			योग . . .	1.084

प्ररूप-ख

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिये]

क्र. 3422-भू-अर्जन-2015-क्र. 03-अ-82-2015-16.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के अन्तर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम-सिरलाय, प.ह.नं. 46, तहसील-बड़वाह-जिला-खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद, जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में वर्णित है. उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़वाह, जिला-खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	बड़वाह	मनिहार प.ह.नं.-19.	12/3	0.050
			18	0.025
			14/2	0.210
			14/3	0.075
			योग . . .	0.360

प्ररूप-ख

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिये]

क्र. 3446-भू-अर्जन-2015-क्र. 01-अ-82-2015-16.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के अन्तर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम-सिरलाय, प.ह.नं. 46, तहसील-बड़वाह-जिला-खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद, जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला धार द्वारा भूमि पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में वर्णित है. उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़वाह, जिला-खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	बड़वाह	सिरलाय प.ह.नं.-46.	2/1	0.096
			2/2	0.044
			4/1	0.086
			5	0.125
			11	0.062
			12	0.081
			25/1/1	0.101
			25/7	0.070
			25/8	0.040
			26	0.121
			27	0.084
			77	0.088
			78/2	0.092
			79/4	0.154
			79/2	0.024
			88/2	0.117
			93/1	0.057
			93/4	0.013
			94/4	0.097
			94/1	0.079
			94/2	0.048
			94/5	0.135
			योग . .	1.814

मधुवतराव धुर्वे, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व).

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्य प्रदेश भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2016

क्र. गन्ना-एस.-3-क्षे.आ.-रेवा कृपा-2015-16-चौदह.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मैं, मोहनलाल गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल गन्ना पेराई मौसम वर्ष 2015-16 हेतु रेवा कृपा शुगर मिल, शहपुरा (भिटौनी), जिला-जबलपुर मध्यप्रदेश के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-

क्र. (1)	जिला/तहसील (2)	क्रय केन्द्र (3)	ग्रामों की संख्या (4)	क्षेत्र (हेक्टेयर में) (5)
1.	जबलपुर/शहपुरा	फैक्ट्री गेट	150	2295.73
2.	जबलपुर/पाटन	फैक्ट्री गेट	60	256.62
3.	नरसिंहपुर/गोटेगांव	फैक्ट्री गेट	122	2639.91
योग			332	5191.26

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पेराई कार्य में प्रभावशील रहेगा.

मोहनलाल, गन्ना आयुक्त.

रेवाकृपा शुगर्स प्रा. लि. शहपुरा (भिटौनी), जबलपुर
(आकृति समूह का संस्थान)

गन्ना पिराई सत्र 2015-16 हेतु आरक्षण प्रस्ताव
तहसील शहपुरा, जिला जबलपुर के गन्ना ग्रामों की सूची

क्र.	गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम	नौरपा गन्ना	जड़ी I रकबा	जड़ी II रकबा	जड़ी III रकबा	कुल रकबा	सम्भावित उत्पादन 40 टन/हे.	पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 45%	रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि.मी.
(1)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पौडी (फाटक)	2.85	0.20	0.10	0.10	3.25	130.01	58.50	2
2	घुन्सौर	15.47	20.90	12.50	6.60	55.47	2218.80	998.46	2
3	कैथरा (शहपुरा)	1.21	6.70	3.20	4.60	15.71	628.58	282.86	4
4	भिटौनी	0.10	0.20	0.40	0.30	1.00	40.00	18.00	4
5	भमकी	0.10	0.00	4.40	0.00	4.50	180.00	81.00	4

क्र.	गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम	नौरपा गन्ना	जड़ी I रकबा	जड़ी II रकबा	जड़ी III रकबा	कुल रकबा	सम्भावित उत्पादन 40 टन/हे.	पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 45%	रेवाकृपा शाहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि.मी.
(1)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	खमदेही	0.20	0.00	3.00	1.40	4.60	184.00	82.80	4
7	भदरवारा	0.10	0.00	0.20	0.10	0.40	16.00	7.20	5
8	गंजकटंगा	25.00	10.50	9.40	2.80	47.70	1908.00	858.60	5
9	शहपुरा	3.66	0.40	0.20	0.30	4.56	182.40	82.08	5
10	नोनी (टिपरा)	1.84	0.90	11.80	3.70	18.24	729.52	328.29	6
11	खिरकाखेड़ा	0.10	0.00	0.30	0.35	0.75	30.00	13.50	6
12	किसरोद	0.15	0.30	0.65	0.70	1.80	72.00	32.40	6
13	टिकरी	0.15	7.06	7.17	1.30	15.68	627.20	282.24	6
14	टिपरा	3.98	7.85	5.80	5.75	23.38	935.35	420.91	7
15	मगरमुहा	5.13	6.50	6.20	3.70	21.53	861.34	387.60	7
16	नटवारा	29.10	50.30	26.10	4.40	109.90	4396.00	1978.20	7
17	इमलिया	3.42	0.80	3.90	1.21	9.33	373.24	167.96	7
18	छपरट	0.20	4.80	2.05	0.60	7.65	306.00	137.70	7
19	कूलोन (छपरट)	1.15	0.70	0.40	0.20	2.45	97.99	44.10	7
20	रेयाखेड़ा	0.25	4.30	3.30	5.40	13.25	530.00	238.50	7
21	पौड़ी (परछिया)	0.18	0.00	0.40	0.30	0.88	35.20	15.84	7
22	कटंगी (सहजपुर)	0.22	0.20	0.30	0.20	0.92	36.80	16.56	8
23	ईश्वरखेड़ा	0.25	0.00	2.70	1.60	4.55	182.00	81.90	8
24	लुहारा	0.28	0.00	3.65	2.70	6.63	265.20	119.34	8
25	भमका	0.15	0.00	0.00	2.10	2.25	90.00	40.50	8
26	मालकछार	0.12	0.20	0.30	0.40	1.02	40.80	18.36	8
27	दिघोरी	0.10	0.00	0.40	0.20	0.70	28.00	12.60	8
28	द्विमर (झोड़ी)	0.00	0.20	0.30	0.40	0.90	36.00	16.20	8
29	पिपरिया (कनवास)	0.10	0.00	0.20	0.10	0.40	16.00	7.20	8
30	सहजपुर	0.20	2.40	1.55	0.00	4.15	166.00	74.70	8
31	झोड़ी	0.16	0.20	0.30	0.20	0.86	34.40	15.48	8

क्र.	गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम	नौरपा गन्ना	जड़ी I रकबा	जड़ी II रकबा	जड़ी III रकबा	कुल रकबा	सम्भावित उत्पादन 40 टन/हे.	पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 45%	रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि.मी.
(1)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	रमखिरिया	5.18	6.40	4.00	0.50	16.08	643.20	289.44	9
33	नाचनखेड़ा	0.12	0.00	0.30	0.20	0.62	24.80	11.16	9
34	रामघाट(पिपरीया)	0.00	0.00	0.30	0.35	0.65	26.00	11.70	9
35	बिजना	2.18	2.60	1.66	0.14	6.58	263.20	118.44	9
36	महगवा सगड़ा	0.68	5.40	2.40	2.20	10.68	427.21	192.24	10
37	बरगी	2.78	1.56	4.50	3.21	12.05	482.06	216.92	10
38	बम्हनौदा	0.10	0.40	0.20	0.30	1.00	40.00	18.00	10
39	सुरई	0.00	0.00	0.30	0.20	0.50	20.00	9.00	10
40	सीतलपुर	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	16.00	7.20	10
41	बिलपठार	11.14	7.90	1.80	1.10	21.94	877.51	394.88	10
42	खपरा	0.74	0.00	2.80	0.00	3.54	141.64	63.74	10
43	धरमपुरा बंधा	0.10	0.00	1.30	0.00	1.40	56.00	25.20	10
44	बरखेड़ा(सहजपुर)	0.00	0.00	0.30	0.40	0.70	28.00	12.60	10
45	परछिया	0.00	0.20	0.30	0.35	0.85	34.00	15.30	10
46	बरहां	0.10	0.00	1.04	0.00	1.14	45.60	20.52	11
47	हिरापुर बंधा	1.67	0.20	0.35	0.25	2.47	98.72	44.42	11
48	उमरिया	36.20	95.70	64.65	25.10	221.65	8866.00	3989.70	11
49	खैरी बंधा	1.50	0.00	0.20	0.10	1.80	71.92	32.36	12
50	सहोजनी	0.10	0.10	0.20	0.40	0.80	32.00	14.40	12
51	लूटी	6.02	18.80	5.90	3.20	33.92	1356.97	610.64	12
52	भीटा	0.12	0.60	0.20	0.00	0.92	36.80	16.56	12
53	अगासी	0.00	0.20	0.20	0.10	0.50	20.00	9.00	12
54	मनगंवा	1.54	1.10	0.40	0.20	3.24	129.70	58.37	12
55	मानेगांव	4.43	0.20	0.30	0.40	5.33	213.17	95.92	12
56	गइरपिपरिया	0.10	0.00	0.20	0.10	0.40	16.00	7.20	12
57	कैथरा(सहजपुर)	0.00	0.00	1.55	1.20	2.75	110.00	49.50	12
58	सिहोदा	0.00	0.20	0.30	0.20	0.70	28.00	12.60	12
59	दुठा(मानसनगर)	18.25	15.20	6.00	3.90	43.35	1734.00	780.30	12
60	बिलखिरवा	0.15	0.00	0.30	0.20	0.65	26.00	11.70	13
61	मटवारा	11.63	5.80	3.70	2.00	23.13	925.20	416.34	13
62	मुडीया	1.50	2.60	1.66	0.14	5.90	235.92	106.16	13
63	ज्वाप	0.18	0.40	0.20	0.20	0.98	39.20	17.64	14
64	लम्हेटा	0.00	0.56	1.00	0.21	1.77	70.80	31.86	14

क.	गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम	नौरपा गन्ना	जड़ी I रकबा	जड़ी II रकबा	जड़ी III रकबा	कुल रकबा	सम्भावित उत्पादन 40 टन/हे.	पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 45%	रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि.मी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	भीटा	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	20.00	9.00	14
66	कुसमी	12.20	8.80	6.70	1.50	29.20	1168.00	525.60	14
67	डोभी	7.37	16.20	7.10	3.00	33.67	1346.90	606.10	14
68	जमुनिया(ज्वाप)	0.10	0.90	0.00	0.00	1.00	40.00	18.00	15
69	झुरई पिपरीया	0.90	1.30	2.90	2.70	7.80	312.11	140.45	15
70	खैरी (लमेहटा)	0.10	0.00	0.30	0.00	0.40	16.00	7.20	15
71	फूलर	3.84	0.00	0.30	0.40	4.54	181.68	81.76	15
72	अहरोरा	0.12	0.20	0.30	0.35	0.97	38.80	17.46	15
73	करहैया	5.10	10.10	5.70	4.10	25.00	1000.05	450.02	16
74	केवलारी	0.53	2.50	2.70	0.00	5.73	229.05	103.07	16
75	भरदा	0.16	0.20	0.10	0.30	0.76	30.40	13.68	16
76	नीमखेड़ा	9.38	4.00	1.10	0.40	14.88	595.20	267.84	14
77	रैनी	0.18	0.10	0.10	0.40	0.78	31.20	14.04	16
78	आमहिनीला	0.22	0.80	0.20	0.20	1.42	56.80	25.56	16
79	मजीठा	0.10	0.20	0.20	0.00	0.50	20.00	9.00	17
80	करहैया कला	0.13	0.20	0.20	0.10	0.63	25.20	11.34	17
81	कटीला	0.35	0.58	0.20	0.00	1.13	45.13	20.31	17
82	इमलिया(मानेगांव)	0.14	0.80	3.90	0.00	4.84	193.60	87.12	17
83	लामी	0.15	0.00	0.00	0.25	0.40	16.00	7.20	18
84	मनगवां	0.10	6.21	3.30	3.50	13.11	524.40	235.98	18
85	तिलवारा	0.00	0.00	0.10	0.10	0.20	8.00	3.60	19
86	कूड़न	0.00	0.00	0.20	0.10	0.30	12.00	5.40	19
87	मनकेडी	25.04	31.10	20.40	11.10	87.64	3505.60	1577.52	19
88	खमरिया	0.11	0.00	0.10	0.20	0.41	16.40	7.38	20
89	तेवर पिपरीया	0.86	0.90	0.24	3.20	5.20	208.09	93.64	20
90	कुआंखेडा	0.10	0.20	0.10	0.10	0.50	20.00	9.00	23
91	जमखार	0.00	0.10	0.20	0.10	0.40	16.00	7.20	24
92	चरगंवा (नवीन)	5.08	10.30	5.30	1.90	22.58	903.24	406.46	24
93	कुसली	28.30	31.60	15.50	8.90	84.30	3372.00	1517.40	24
94	जमुनिया (मैली)	1.79	0.20	0.10	0.25	2.34	93.42	42.04	25
95	सालीवाडा (मैली)	0.00	0.10	0.10	0.10	0.30	12.00	5.40	25
96	सुनाचर	26.28	38.35	20.10	9.00	93.73	3749.20	1687.14	25
97	गुंदरई	0.10	0.00	0.20	0.30	0.60	24.00	10.80	25

क.	गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम	नौरपा गन्ना	जड़ी I रकबा	जड़ी II रकबा	जड़ी III रकबा	कुल रकबा	सम्भावित उत्पादन 40 टन/हे.	पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 45%	रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि.मी.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
98	मैली	0.00	12.64	7.80	2.40	22.84	913.60	411.12	26
99	बेलखेडा	1.99	11.60	3.70	4.70	21.99	879.68	395.85	26
100	हिनोतिया	0.37	4.70	9.10	3.50	17.67	706.90	318.10	27
101	पिपरिया कला	1.31	0.00	0.90	0.20	2.41	96.31	43.34	28
102	मातनपुर	11.46	24.00	15.10	10.20	60.76	2430.40	1093.68	28
103	गुबरा कला	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	32.00	14.40	30
104	बिहारीपुरा	4.11	7.20	6.50	3.40	21.21	848.37	381.77	30
105	सुन्द्रादेही	33.30	34.35	13.60	5.50	86.75	3470.00	1561.50	30
106	इमलिया	0.00	0.00	1.10	2.20	3.30	132.00	59.40	30
107	झौंसी	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	8.00	3.60	30
108	भौतिया	0.00	0.20	0.10	0.00	0.30	12.00	5.40	30
109	बरमान	3.38	0.00	0.00	0.35	3.73	149.06	67.08	31
110	झलोन	0.10	0.00	0.00	0.20	0.30	12.00	5.40	31
111	तुमरा	10.47	0.40	0.30	0.50	11.67	466.79	210.05	32
112	गोकला	9.09	18.60	16.40	8.90	52.99	2119.56	953.80	32
113	छपरा	0.10	0.20	0.10	0.00	0.40	16.00	7.20	33
114	मेरेगांव	11.11	22.70	15.40	7.90	57.11	2284.21	1027.89	34
115	बेलखेडी	42.12	54.90	38.70	26.40	162.12	6484.80	2918.16	34
116	बसेडी	18.29	19.70	20.65	15.40	74.04	2961.60	1332.72	34
117	गुबरा खुर्द	0.10	0.20	0.10	0.35	0.75	30.00	13.50	34
118	सिमरिया	0.00	0.00	0.20	0.20	0.40	16.00	7.20	35
119	कुड़ा (इमलिया)	0.10	3.69	3.90	1.20	8.89	355.60	160.02	35
120	धनगंवा	0.00	0.20	0.10	0.00	0.30	12.00	5.40	35
121	कुडाकला	1.74	7.30	8.25	9.30	26.59	1063.47	478.56	35
122	बरपटी	12.49	20.90	9.50	3.20	46.09	1843.76	829.69	35
123	पावला	6.57	8.90	18.30	28.00	61.77	2470.67	1111.80	35
124	चरगंवा (पुरानी)	9.94	0.40	1.20	1.35	12.89	515.57	232.01	35
125	मिहगंवा (भडपुरा)	0.24	0.40	0.10	0.20	0.94	37.55	16.90	36
126	जगतपुरा	0.10	0.00	0.10	0.40	0.60	24.00	10.80	37
127	धरती कछाड़	0.00	0.00	0.10	0.40	0.50	20.00	9.00	38
128	औरिया	1.72	0.10	0.10	0.10	2.02	80.83	36.37	38
129	बम्बाबारी	14.69	5.10	1.20	2.60	23.59	943.53	424.59	38

क्र.	गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम	नौरपा गन्ना	जड़ी I रकबा	जड़ी II रकबा	जड़ी III रकबा	कुल रकबा	सम्भावित उत्पादन 40 टन/हे.	पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 45%	रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि.मी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
130	सर्रा	1.79	0.20	0.30	0.40	2.69	107.74	48.48	38
131	पाथर पौडी	3.17	6.70	0.30	4.50	14.67	586.64	263.99	38
132	महगंवा(खाप)	10.66	0.20	0.30	0.50	11.66	466.56	209.95	39
133	दलपतपुर	4.31	0.00	1.60	0.90	6.81	272.47	122.61	40
134	केदारपुर	16.61	19.60	8.50	16.50	61.21	2448.45	1101.80	40
135	अहमदपुर	3.30	2.10	0.60	1.95	7.95	317.98	143.09	40
136	देवरी(पुरानी)	13.97	5.30	8.20	10.60	38.07	1522.70	685.22	42
137	बढ़ैयाखेड़ा	1.73	5.50	3.50	5.65	16.38	655.31	294.89	42
138	किसलई	0.15	0.20	0.20	0.00	0.55	22.00	9.90	45
139	सुनवारा	5.86	4.35	7.80	18.20	36.21	1448.49	651.82	45
140	नयानगर	1.84	2.80	0.50	0.75	5.89	235.68	106.06	45
141	सिंगोरी	0.00	0.20	0.30	0.25	0.75	30.00	13.50	46
142	इमलिया(ललपुर)	0.10	0.00	2.90	0.00	3.00	120.00	54.00	48
143	बिजना	0.00	1.30	2.40	1.70	5.40	216.00	97.20	48
144	भारतपुर	11.40	3.90	5.30	0.60	21.20	847.87	381.54	48
145	दपकिया	0.10	0.20	0.30	0.35	0.95	38.00	17.10	50
146	भीकर्मपुर	1.77	0.20	0.40	0.50	2.87	114.93	51.72	23
147	सिधपुरी	5.00	0.35	0.25	0.10	5.70	227.84	102.53	20
148	प्रेमनगर (सूखा)	0.88	0.35	0.20	0.20	1.63	65.30	29.39	20
149	गंगई	1.26	0.30	0.25	0.20	2.01	80.36	36.16	22
150	रजोला	4.69	0.40	0.35	0.20	5.64	225.69	101.56	23
कुल योग		614.75	770.70	556.07	354.21	2295.73	91829	41323	

रेवाकृपा शुगर्स प्रा. लि. शहपुरा (भिटौनी), जबलपुर

(आकृति समूह का संस्थान)

गन्ना पिराई सत्र 2015-16 हेतु आरक्षण प्रस्ताव

तहसील पाटन जिला जबलपुर के गन्ना ग्रामों की सूची

क्र.	गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम	नौरपा गन्ना	जड़ी I रकबा	जड़ी II रकबा	जड़ी III रकबा	कुल रकबा	सम्भावित उत्पादन 40 टन/हे.	पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 45%	रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि.मी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सहसन	0.54	9.35	2.70	0.60	13.19	527.54	237.39	6
2	खैरी (सहसन)	0.10	2.10	3.45	1.10	6.75	270.00	121.50	8
3	कुवरपुर	0.00	0.40	0.55	0.20	1.15	46.00	20.70	10
4	रैयाखेड़ा	0.20	5.34	8.30	3.10	16.94	677.60	304.92	10
5	धनेटा	0.81	8.50	18.30	6.45	34.06	1362.39	613.07	10

6	भुवारा	0.00	0.60	0.40	0.20	1.20	48.00	21.60	11
7	राखी	0.00	0.40	0.60	0.30	1.30	52.00	23.40	11
8	ग्वारी	0.20	0.00	7.00	2.80	10.00	400.00	180.00	11
9	बम्होरी	0.10	0.40	0.60	0.30	1.40	56.00	25.20	12
10	भकलिया	0.00	0.20	0.45	0.20	0.85	34.00	15.30	12
11	नन्दवारा	0.10	0.30	0.75	0.45	1.60	64.00	28.80	13
12	चदवा	0.20	6.40	2.25	0.35	9.20	368.00	165.60	13
13	पड़रिया (भमक)	3.52	0.00	1.10	0.45	5.07	202.89	91.30	14
14	कुमगंवा	0.10	0.40	0.60	0.80	1.90	76.00	34.20	14
15	सिमरिया	0.10	0.70	0.80	0.90	2.50	100.00	45.00	14
16	बढ़ैयाखेड़ा	3.61	1.94	0.80	0.20	6.55	261.89	117.85	15
17	मढ़पिपरिया	0.10	0.40	0.90	0.60	2.00	80.00	36.00	15
18	पाटन	1.25	1.90	1.40	0.70	5.25	209.88	94.45	15
19	सिन्गोरी	0.10	4.60	2.80	1.20	8.70	348.00	156.60	16
20	चपोद	0.00	0.40	0.80	0.90	2.10	84.00	37.80	17
21	अमरपुर	0.00	0.00	1.80	1.70	3.50	140.00	63.00	17
22	गुरुपिपरिया	0.00	0.20	0.60	0.40	1.20	48.00	21.60	18
23	डूंडी	0.10	0.45	0.90	0.60	2.05	82.00	36.90	18
24	महुआखेड़ा	0.96	1.70	0.80	0.60	4.06	162.22	73.00	18
25	गाड़ाघाट	7.35	0.20	0.30	0.20	8.05	321.93	144.87	18
26	भोरदा	0.15	0.00	0.40	0.30	0.85	34.00	15.30	20
27	सिन्गोरी	0.00	0.00	0.30	0.30	0.60	24.00	10.80	20
28	सिंगोरी	1.08	6.90	4.80	5.20	17.98	719.08	323.58	20
29	सरखण्डी	0.00	0.00	0.40	0.20	0.60	24.00	10.80	20
30	नीची	0.00	0.00	0.40	0.30	0.70	28.00	12.60	21
31	मुस्करा	0.35	0.20	0.30	0.10	0.95	38.09	17.14	22
32	नीमी	6.16	4.60	2.37	1.47	14.60	584.08	262.83	22
33	कटरा बेलखेड़ा	0.20	0.00	0.50	0.40	1.10	44.00	19.80	22
34	सिमरिया	0.10	0.20	0.40	0.50	1.20	48.00	21.60	22
35	रोसरा	0.10	0.00	1.80	0.60	2.50	100.00	45.00	23

रेवाकृपा शुगर्स प्रा. लि. शहपुरा (भिटौनी), जबलपुर
(आकृति समूह का संस्थान)

गन्ना पिराई सत्र 2013-14 हेतु आरक्षण प्रस्ताव

क्र.	गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम	नौरपा गन्ना	जडी I रकबा	जडी II रकबा	जडी III रकबा	कुल रकबा	सम्भावित उत्पादन 40 टन/हे.	पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 45%	रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि. मी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	डूंडी	0.15	0.00	0.20	0.30	0.65	26.00	11.70	23
37	जरोद	0.00	0.20	0.30	0.25	0.75	30.00	13.50	24
38	बरोदा	0.10	2.50	1.20	2.25	6.05	242.00	108.90	25
39	हटेपुरखुर्द	0.10	0.40	0.40	0.30	1.20	48.00	21.60	27
40	खमोद	0.00	0.00	1.20	0.80	2.00	80.00	36.00	27

क्र.	गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम	नौरपा गन्ना	जड़ी I रकबा	जड़ी II रकबा	जड़ी III रकबा	कुल रकबा	सम्भावित उत्पादन 40 टन/हे.	पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 45%	रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि. मी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	उजरोड	0.50	0.00	2.10	1.25	3.85	154.08	69.34	28
42	हटेपुरकंब	0.10	0.00	1.30	0.70	2.10	84.00	37.80	28
43	आगासोद	0.00	0.40	0.60	2.10	3.10	124.00	55.80	30
44	रमखिरिख	0.10	0.20	0.40	0.50	1.20	48.00	21.60	30
45	सहसन पडरिया	0.10	0.20	0.40	0.30	1.00	40.00	18.00	30
46	पडरिया (ब्योहारी)	3.44	7.70	4.70	1.20	17.04	681.49	306.67	30
47	मझगंवा	0.10	0.40	1.20	2.10	3.80	152.00	68.40	30
48	कटिया बुहारी	0.00	0.40	0.50	0.60	1.50	60.00	27.00	31
49	पडरिया (थुआं)	2.58	0.20	0.30	0.40	3.48	139.16	62.62	32
50	आरछा	0.00	0.20	0.40	0.30	0.90	36.00	16.20	32
51	बरोदा	0.10	0.20	0.30	0.40	1.00	40.00	18.00	32
52	चुनसर	0.00	0.00	0.90	0.80	1.70	68.00	30.60	32
53	कैथरा	0.10	0.00	0.20	0.40	0.70	28.00	12.60	32
54	भर्रा	0.10	0.20	0.30	0.35	0.95	38.00	17.10	32
55	लुहारी(कटिया)	0.15	0.00	0.80	0.65	1.60	64.00	28.80	30
56	कोटी	1.68	0.00	2.01	1.21	4.90	196.01	88.20	25
57	बरही	0.00	0.00	1.04	0.80	1.84	73.60	33.12	12
58	कनवास पिपरिया	0.18	0.20	0.30	0.40	1.08	43.20	19.44	8
59	बनवार	0.10	0.40	0.65	0.30	1.45	58.00	26.10	20
60	पिपरिया बन्द्रभान	0.15	0.29	0.30	0.40	1.14	45.60	20.52	20
	कुल योग	37.40	72.87	92.62	53.73	256.62	10264.80	4619.16	

रेवाकृपा शुगर्स प्रा. लि. शहपुरा (भिटौनी), जबलपुर
(आकृति समूह का संस्थान)
गन्ना पेराई सत्र 2015-16 हेतु आरक्षण प्रस्ताव
तहसील गोटेगाव जिला नरसिंहपुर के गन्ना ग्रामों की सूची
(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

क्र.	गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम	नौरपा गन्ना	जड़ी I रकबा	जड़ी II रकबा	जड़ी III रकबा	कुल रकबा	सम्भावित उत्पादन 40 टन/हे.	पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 45%	रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि. मी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	झाँसीघाट	6.89	13.20	9.90	16.32	46.31	1852.27	833.52	18
2	बेलखेड़ी (झाँसीघाट)	0.11	2.00	6.00	5.27	13.38	535.20	240.84	16
3	खमरीया (झाँसीघाट)	13.43	23.15	15.20	12.28	64.06	2562.37	1153.06	20
4	देगुंवा	5.70	10.78	18.80	15.48	50.76	2030.58	913.76	20
5	रिमझा (खमरीया)	10.12	13.36	11.00	8.00	42.48	1699.26	764.67	22
6	मालीवाडा	17.00	10.72	32.56	24.20	84.48	3379.36	1520.71	23
7	सिलारी	18.79	11.72	10.00	8.21	48.72	1948.94	877.02	23

क्र.	गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम	नौरपा गन्ना	जड़ी I रकबा	जड़ी II रकबा	जड़ी III रकबा	कुल रकबा	सम्भावित उत्पादन 40 टन/हे.	पेरार्ड हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 45%	रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि. मी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	नोनी	2.00	0.00	11.25	9.27	22.52	900.80	405.36	23
9	बुढ़ीमवई	13.00	4.45	3.41	3.73	24.59	983.60	442.62	24
10	कंजई	10.68	7.75	38.10	18.04	74.57	2982.64	1342.19	24
11	पिपरपानी	13.77	11.14	9.00	3.82	37.73	1509.33	679.20	25
12	करेली (कला)	25.31	8.79	14.72	8.29	57.11	2284.31	1027.94	25
13	कुम्हडाखेडा	5.53	2.47	4.11	1.03	13.14	525.61	236.53	30
14	गोटेगांव	6.08	7.51	2.81	3.17	19.57	782.84	352.28	25
15	बुधगोंव	1.29	1.62	0.00	0.00	2.91	116.30	52.33	25
16	कुमझोर	3.60	0.00	3.05	5.91	12.56	502.37	226.07	28
17	सालीवाड़ा	13.36	17.81	23.16	12.00	66.33	2653.21	1193.95	26
18	झोझा	0.12	1.00	2.10	3.00	6.22	248.80	111.96	26
19	उमरा (उमरी)	0.94	1.62	0.00	0.00	2.56	102.53	46.14	27
20	कुकलाह	1.61	23.59	15.81	8.48	49.49	1979.49	890.77	22
21	गर्रा	8.60	13.20	7.51	10.00	39.31	1572.53	707.64	23
22	मोहास	1.59	2.02	3.95	8.00	15.56	622.44	280.10	28
23	मुँवारा (भुँवारा)	2.21	1.25	2.10	1.00	6.56	262.58	118.16	28
24	कमोदी (करौंदी)	0.10	0.00	1.00	1.30	2.40	96.00	43.20	28
25	कमोद	10.95	6.10	10.15	4.10	31.30	1252.00	563.40	28
26	पड़रिया (मुर्दई)	12.66	3.00	2.00	5.00	22.66	906.23	407.81	28
27	बगलई (तिघरा)	0.15	10.12	18.47	4.10	32.84	1313.60	591.12	28
28	राखी	3.20	5.10	12.10	6.30	26.70	1068.00	480.60	28
29	रहेली (गोटेगांव)	2.56	1.62	2.09	0.78	7.05	281.95	126.88	28
30	पड़रिया	0.85	1.10	2.10	2.30	6.35	253.85	114.23	29
31	कांचर (कला)	0.10	0.50	1.10	0.50	2.20	88.00	39.60	27
32	ऑखीवाड़ा	5.15	10.00	20.40	18.10	53.65	2146.00	965.70	30
33	जमुनीया	0.10	5.10	8.10	10.00	23.30	932.00	419.40	30
34	बगलई (पचौरी)	2.15	0.00	0.00	1.85	4.00	160.00	72.00	30
35	अतरिया	15.66	6.61	18.66	5.00	45.93	1837.20	826.74	29
36	पोनिया (गोटेगांव)	24.84	10.15	18.10	6.00	59.09	2363.68	1063.66	27
37	खोवी (गोटेगांव)	8.20	15.10	35.20	10.00	68.50	2740.00	1233.00	30
38	चरगोंवा	4.69	6.20	16.30	10.00	37.19	1487.69	669.46	30
39	भैसा	5.21	8.50	9.75	12.00	35.46	1418.26	638.22	30
40	बढैयाखेड़ा(परसबाड़ा)	28.74	22.24	17.75	16.40	85.13	3405.24	1532.36	30
41	परसबाड़ा	5.01	6.48	0.00	0.00	11.49	459.52	206.79	30
42	कोड़िया	2.25	3.20	5.40	3.60	14.45	578.00	260.10	30
43	हिड़की	2.97	2.40	4.10	2.90	12.37	494.87	222.69	30
44	छिनौरी	5.93	0.00	4.60	2.30	12.83	513.25	230.96	27
45	पिपरिया (चौधरी)	7.53	3.60	5.10	6.20	22.43	897.21	403.75	29
46	मुर्दई (मुर्दई)	0.90	1.00	2.10	0.50	4.50	180.00	81.00	28
47	मुडीया	3.38	0.00	1.15	2.10	6.63	265.06	119.28	21

क.	गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम	नौरपा गन्ना	जड़ी I रकबा	जड़ी II रकबा	जड़ी III रकबा	कुल रकबा	सम्भावित उत्पादन 40 टन/हे.	पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 45%	रेवार शर्करा कैक्ट्र हरी मी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
48	मवई	9.58	3.10	3.60	2.40	18.68	747.16	336.22	30
49	बगतैला	0.80	0.50	1.30	1.20	3.80	152.00	68.40	24
50	तिघरा (अतरिया)	4.26	2.00	1.40	3.60	11.26	450.36	202.66	30
51	सहजपुरा	1.40	5.60	8.40	5.40	20.80	832.00	374.40	30
52	बरेली	3.60	3.20	6.40	2.90	16.10	643.97	289.79	32
53	बरोदा	2.20	1.10	1.40	0.50	5.20	208.00	93.60	29
54	खैरी (खीरी)	1.90	0.50	1.30	0.50	4.20	168.00	75.60	82
55	कुशीवाड़ा	2.05	3.40	2.60	3.15	11.20	448.11	201.65	20
56	सिमरिया(बगलईपचौरी)	4.94	5.10	8.40	8.20	26.64	1065.41	479.43	31
57	देवरीकला	5.03	6.10	8.40	7.10	26.63	1065.30	479.38	32
58	पिपरीया (अटकारी)	0.10	1.30	1.40	0.50	3.30	132.00	59.40	28
59	नरली	0.20	0.50	0.50	1.10	2.30	92.00	41.40	32
60	देवरी (रिमिड़ा)	0.25	2.00	3.10	4.20	9.55	382.00	171.90	33
61	कमता (कमती)	4.51	3.00	2.60	1.80	11.91	476.24	214.31	30
62	राका (रोता)	0.25	0.50	1.10	1.30	3.15	126.00	56.70	28
63	तिरका	1.70	10.00	3.60	7.60	22.90	916.18	412.28	34
64	सनजी	0.10	1.00	0.80	0.60	2.50	100.00	45.00	34
65	लम्हेटी	0.20	0.80	0.60	0.50	2.10	84.00	37.80	34
66	रिमिड़ा (देवरी)	5.65	8.60	16.50	11.10	41.85	1673.91	753.26	35
67	सिमरी बड़ी	0.15	6.30	12.10	9.10	27.65	1106.00	497.70	35
68	कमती (पिडरई)	6.10	14.20	18.10	7.00	45.40	1816.00	817.20	35
69	मेहका गाड़ाघाट	0.19	3.40	8.60	3.40	15.59	623.60	280.62	29
70	बहरोरा	5.47	2.80	4.10	6.10	18.47	738.62	332.38	35
71	पिपरीया (मनकवारा)	7.94	12.10	15.00	7.40	42.44	1697.41	763.83	35
72	देवगुवां (पिपरीया)	14.57	3.10	12.40	10.80	40.87	1635.00	735.75	32
73	सहोजनी	0.80	0.50	0.80	0.40	2.50	100.00	45.00	35
74	चरगुवा (दपकिया)	14.11	6.10	15.00	8.00	43.21	1728.21	777.69	33
75	सर्रा	0.50	0.60	1.30	0.50	2.90	116.00	52.20	34
76	सिमरी	0.60	0.40	8.50	0.80	10.30	412.00	185.40	36
77	पिपरसरा	0.70	0.50	1.40	0.60	3.20	128.00	57.60	36
78	खेरुवा	0.80	0.40	0.50	0.40	2.10	84.00	37.80	36
79	हिनीता	1.10	0.20	0.40	0.60	2.30	92.00	41.40	36
80	घुघुरी	0.00	0.40	1.40	0.80	2.60	104.00	46.80	36

(क्षेत्रफल हेक्टर में)

क्र.	गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम	नौरपा गन्ना	जड़ी I रकबा	जड़ी II रकबा	जड़ी III रकबा	कुल रकबा	सम्भावित उत्पादन 40 टन/हे.	पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 45%	रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि. मी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81	पिपरिया (बाजारशुक)	0.83	8.10	12.10	8.30	29.33	1173.36	528.01	36
82	भडरी	14.15	10.10	25.10	12.10	61.45	2457.83	1106.02	26
83	दपकिया	0.40	9.40	12.60	12.10	34.50	1380.00	621.00	29
84	मेंहगवा	3.22	0.50	0.60	9.40	13.72	548.91	247.01	37
85	लालई	0.50	0.20	1.40	0.50	2.60	104.00	46.80	37
86	जामुनपानी	0.55	0.20	0.40	0.50	1.65	66.00	29.70	37
87	शुकरी	0.60	0.30	0.60	0.80	2.30	92.00	41.40	37
88	देतरी	0.45	0.40	0.50	0.40	1.75	70.00	31.50	37
89	पिपरिया (कोहला)	0.35	0.20	0.60	0.80	1.95	78.00	35.10	37
90	टैगोरा	0.20	0.20	1.10	0.20	1.70	68.00	30.60	37
91	डुंगरिया (डुमरियां)	22.30	34.82	6.15	5.77	69.04	2761.75	1242.79	37
92	बड़खेड़ा (चरणवा)	0.40	0.80	0.60	0.50	2.30	92.00	41.40	40
93	नरवारा	2.28	0.90	10.20	6.10	19.48	779.01	350.56	27
94	कामती	19.47	12.10	15.60	3.40	50.57	2022.79	910.25	38
95	लाटगांव	4.42	5.80	6.10	3.40	19.72	788.84	354.98	35
96	कुडा	0.10	0.40	0.20	0.80	1.50	60.00	27.00	38
97	औरिया	0.00	0.20	0.40	0.20	0.80	32.00	14.40	38
98	कोरेगांव	0.00	0.20	0.30	0.10	0.60	24.00	10.80	38
99	अंडिया	0.00	0.40	0.40	0.60	1.40	56.00	25.20	38
100	घुघरा	0.10	0.20	0.40	0.10	0.80	32.00	14.40	38
101	अनंतपुर	0.15	0.20	0.30	0.10	0.75	30.00	13.50	30
102	पिपरिया (पथरिया)	0.18	0.30	0.40	0.50	1.38	55.20	24.84	39
103	यामनगर	0.00	2.20	0.50	0.60	3.30	132.00	59.40	39
104	दौन	0.15	0.40	0.20	0.30	1.05	42.00	18.90	39
105	बगलई (ललपुर)	12.04	0.60	0.80	0.60	14.04	561.62	252.73	39
106	उमरिया	13.51	6.70	37.30	10.00	67.51	2700.24	1215.11	39
107	दान (दामिनी) खमरिया	0.20	0.20	0.30	0.50	1.20	48.00	21.60	39

क्र.	गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम	नौरप गन्ना	जड़ी I रकबा	जड़ी II रकबा	जड़ी III रकबा	कुल रकबा	सम्भावित उत्पादन 40 टन/हे.	पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 45%	रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि. मी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
108	तरवारा	0.15	0.90	3.60	4.40	9.05	362.00	162.90	30
109	शकरी	0.20	0.20	0.40	0.80	1.60	64.00	28.80	40
110	चिंदवाड़ा	0.15	0.10	0.50	0.60	1.35	54.00	24.30	27
111	भंडी (मंडी)	0.20	1.60	0.60	0.80	3.20	128.00	57.60	40
112	मनकवारा	5.23	2.57	45.41	6.00	59.21	2368.59	1065.87	31
113	बन्डोल	3.91	3.10	6.60	3.90	17.51	700.28	315.12	21
114	लम्हेटा	0.15	4.60	3.10	6.10	13.95	558.00	251.10	34
115	मेहकू	0.20	0.40	3.60	2.80	7.00	280.00	126.00	35
116	हिबोता	0.15	0.60	3.10	4.10	7.95	318.00	143.10	36
117	बरेली	0.20	0.20	1.10	2.10	3.60	144.00	64.80	30
118	द्विघारी	9.16	3.64	18.34	0.00	31.14	1245.68	560.55	30
119	बम्हनौदा	14.21	6.10	8.30	4.40	33.01	1320.42	594.19	30
120	बेलखेड़ी (टिकरी)	16.75	12.96	26.07	1.21	56.99	2279.72	1025.87	30
121	गोहचर	4.14	2.43	6.10	5.40	18.07	722.71	325.22	28
122	पिडरई	8.26	9.07	11.91	7.69	36.93	1477.33	664.80	29
कुल योग		596.36	571.06	907.14	565.35	2639.91	105596	47518	

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2016

क्र. गन्ना-एस.-3-क्षे.आ.-महाकौशल-2015-16-सत्रह.-मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मैं, मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल गन्ना पेराई मौसम वर्ष 2015-16 हेतु महाकौशल शुगर एण्ड पॉवर इण्डस्ट्रीज लिमि. बचई, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-

क्र.	जिला/तहसील	क्रय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	नरसिंहपुर/नरसिंहपुर	फैक्ट्री गेट	111	6680.62
2.	गोटेगांव/	फैक्ट्री गेट	112०	5115.52
योग			223	11796.14

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पेराई कार्य में प्रभावशील रहेगा.

मोहनलाल, गन्ना आयुक्त.

महाकौशल श्रुगर एण्ड पावर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड बचई नरसिंहपुर
गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु तहसीलवार ग्रामो की सूची सत्र 2015-16
तहसील - नरसिंहपुर

क्रमांक	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	प.ह.न.	कारखाने से दूरी (किमी.)	आवृद्धित गन्ना फसल का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			कुल योग (हेक्टेयर में)	उत्पादकता @ 45 टन / हेक्टेयर	पेराई हेतु उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल (हे.मे.)	परिवहन का साधन	क्रय का
					नोरपा	जड़ी	मडी					
1	0101	बचई	26	3	7.10	5.80	4.86	17.77	799.45	8.88	ट्रेक्टर ट्राली	
2	0102	करहैया	26	3	101.05	82.53	38.55	222.12	9995.62	111.06	"	
3	0103	बबरिया	26	3	37.61	30.71	19.73	88.05	3962.21	44.02	"	
4	0104	मेहमदपुर	26	4	19.93	16.28	29.75	65.95	2967.97	32.98	"	
5	0105	अगरिया	26	4	24.36	19.89	9.11	53.36	2401.29	26.68	"	
6	0106	कन्हारपानी	26	5	35.00	28.59	27.01	90.60	4076.98	45.30	"	
7	0107	मुरली पौडी	24	5	45.11	36.84	24.13	106.08	4773.38	53.04	"	
8	0108	चौराखडा	25	5	87.84	71.74	58.11	217.69	9796.01	108.84	"	
9	0109	सलैया	25	5	17.75	14.49	17.00	49.24	2215.94	24.62	"	
10	0110	डागीडाना	24	6	55.72	45.50	44.61	145.83	6562.37	72.92	"	
11	0111	बागपौडी	24	12	58.62	47.87	26.41	132.90	5980.46	66.45	"	
12	0112	मुडिया	24	8	47.64	38.91	16.39	102.94	4632.08	51.47	"	
13	0113	हनुमंत पौडी	24	8	10.30	8.41	9.11	27.81	1251.56	13.91	"	
14	0114	बेहर पौडी	24	8	26.53	21.67	43.09	91.29	4108.13	45.65	"	
15	0115	डोकरघाट	14	12	26.16	21.36	33.69	81.21	3654.50	40.61	"	
16	0116	भरवारा	14	13	22.40	18.30	9.56	50.26	2261.64	25.13	"	
17	0117	खमतरा	20	14	68.15	55.65	27.62	151.42	6814.04	75.71	"	
18	0118	पासी	14	15	40.57	33.13	8.80	82.51	3712.85	41.25	"	
19	0119	सेमरा (पांजरा)	15	16	7.32	5.98	3.80	17.10	769.32	8.55	"	
20	0120	चीलाचौद खुर्द	27	4	91.68	74.87	40.97	207.52	9338.40	103.76	"	
21	0121	चीलाचौद कला	23	10	54.67	44.65	20.18	119.50	5377.45	69.75	"	
22	0122	समानपुर	27	10	32.45	26.50	16.24	75.18	3383.24	37.59	"	
23	0123	सावलरानी	27	12	35.88	29.30	18.05	83.24	3745.62	41.62	"	
24	0124	धवई वडगुवा	27	13	41.82	34.15	11.08	87.05	3917.34	43.53	"	
25	0125	झार-खुरपा	27	13	90.60	73.99	29.44	194.03	8731.31	97.01	"	
26	0126	नवलगाव	23	13	75.72	61.84	18.22	155.77	7009.83	77.89	"	

SEWERS & P
TANKS
WORKS


क्रमांक	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	प.ह.न.	कारखाने से दूरी (किमी.)	आच्छादित गन्ना फसल का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			कुल योग (हेक्टेयर में)	उत्पादकता @ 45 टन / हेक्टेयर	पेराई हेतु उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल (हे.मै.)	परिवहन का साधन	क्रय केंद्र का नाम
					नारया	जड़ा	मड़ी					
27	0127	रानी पिपरिया	20	13	96.61	78.90	24.89	200.40	9017.86	100.20	ट्रेक्टर ट्राली	फैक्ट्री गेट
28	0128	सुरज गांव	15	15	26.86	21.93	20.78	69.57	3130.62	34.78	"	"
29	0129	मगरथा (रोसरा)	20	17	32.06	26.19	11.22	69.47	3126.27	34.74	"	"
30	0130	टापरियाँ (धवई)	27	17	47.76	39.00	27.77	114.54	5154.21	57.27	"	"
31	0131	झगराई	20	17	15.26	12.47	11.69	39.42	1773.93	19.71	"	"
32	0132	जरजोला	16	18	12.26	10.02	11.08	33.36	1501.14	16.68	"	"
33	0133	गंगई	27	19	20.42	16.68	8.65	45.75	2058.87	22.88	"	"
34	0134	बहारीपार	25	15	58.46	47.75	20.78	126.99	5714.58	63.50	"	"
35	0135	संग्रामपुर	14	15	4.01	3.27	1.51	8.79	395.69	4.40	"	"
36	0136	सहजपुरा	25	18	40.96	33.45	26.10	100.50	4522.65	50.25	"	"
37	0138	श्यामखंडा	25	22	6.49	5.30	1.37	13.16	592.28	6.58	"	"
38	0140	तुरेहटा	25	24	17.00	13.89	2.28	33.17	1492.54	16.58	"	"
39	0154	खुरपा (बडा)	23	10	122.88	100.35	35.21	258.44	11629.80	129.22	"	"
40	0155	नयाखंडा	27	15	19.56	15.97	6.98	42.51	1912.91	21.25	"	"
41	0156	बारुवेवा	27	15	43.90	35.85	23.36	103.11	4639.88	51.55	"	"
42	0158	बहारीपार (धुवघट)	23	17	18.08	14.77	5.16	38.01	1710.43	19.00	"	"
43	0160	सिमरिया (जरजोला)	16	18	4.15	3.39	5.62	13.16	592.15	6.58	"	"
44	0161	धुवघट	20	20	37.13	30.32	10.32	77.77	3499.75	38.89	"	"
45	0162	खेरी	6	22	5.54	4.53	3.80	13.87	624.13	6.93	"	"
46	0165	सिंहपुर	21	25	34.73	28.36	13.36	76.45	3440.03	38.22	"	"
47	0166	डेडवारा	16	18	4.58	3.74	1.82	10.15	456.55	5.07	"	"
48	0167	सिमरिया (सिंहपुर क्षेत्र)	21	20	15.00	12.25	4.86	32.11	1444.95	16.06	"	"
49	0168	नदवारा	16	24	8.09	6.61	11.22	25.92	1166.23	12.96	"	"
50	0169	कुन्डी	0	24	25.27	20.64	13.65	59.56	2680.37	29.78	"	"
51	0177	बहादुरपुर	25	15	4.06	3.31	1.22	8.58	386.25	4.29	"	"
52	0201	मुगावानी	35	15	20.71	16.91	23.21	60.84	2737.70	30.42	"	"



क्रमांक	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	प.इ.न.	कारखाने से दूरी (किमी.)	आच्छादित गन्ना फसल का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			कुल योग (हेक्टेयर में)	उत्पादकता @ 45 टन / हेक्टेयर	पेराई हेतु उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल (हे.मै.)	परिवहन का साधन	क्रय केन्द्र का नाम
					नोरपा	जडी	मडी					
53	0202	भंडारदेव	34	8	7.22	5.90	10.77	23.90	1075.35	11.95	ट्रेक्टर ट्राली	फैक्ट्री गेट
54	0203	बकोरी	34	10	7.97	6.51	16.08	30.56	1375.12	15.28	"	"
55	0204	मढपिपरिया	34	10	30.02	24.52	24.28	78.83	3547.15	39.41	"	"
56	0205	केकडा	34	10	9.26	7.57	7.28	24.11	1084.98	12.06	"	"
57	0206	देवनगर	34	12	57.65	47.08	45.83	150.56	6774.98	75.28	"	"
58	0207	भालपानी	34	12	4.64	3.79	4.86	13.30	598.35	6.65	"	"
59	0209	सलैया (देवनगर)	34	13	11.50	9.39	6.98	27.86	1253.67	13.93	"	"
60	0210	पिंडरई (पस्ताना)	33	15	17.29	14.12	9.56	40.97	1843.73	20.49	"	"
61	0211	पस्ताना	35	15	27.89	22.78	13.36	64.02	2880.86	32.01	"	"
62	0212	करहैया (देवनगर)	34	15	10.90	8.90	14.57	34.37	1546.44	17.18	"	"
63	0213	टोला (मुगवानी)	0	17	5.18	4.23	2.73	12.14	546.51	6.07	"	"
64	0214	पटनिया	35	18	8.78	7.17	0.91	16.87	759.00	8.43	"	"
65	0216	मुडरई कला	33	18	13.92	11.37	4.25	29.54	1329.12	14.77	"	"
66	0218	गडरिया	36	18	1.57	1.28	4.40	7.26	326.56	3.63	"	"
67	0220	खमारिया (देवनगर)	35	22	6.29	5.14	10.01	21.43	964.40	10.72	"	"
68	0223	भोती	36	22	13.87	11.33	17.60	42.80	1926.22	21.40	"	"
69	0226	नारिया	31	23	5.58	4.56	0.00	10.14	456.17	5.07	"	"
70	0227	डुडवारा	37	23	19.22	15.70	0.00	34.92	1571.56	17.46	"	"
71	0229	कठोतिया (मुगवानी)	22	25	2.51	2.05	4.25	8.80	396.19	4.40	"	"
72	0237	लवेरी	0	26	8.44	6.89	2.43	17.76	798.99	8.88	"	"
73	0238	लिधारी	0	26	7.69	6.28	2.43	16.40	738.17	8.20	"	"
74	0240	गोगावरी	22	27	17.33	14.15	3.03	34.51	1553.05	17.26	"	"
75	0243	पिपरिया	33	30	7.38	6.03	2.12	15.53	698.90	7.77	ट्रक	"
76	0245	गोरखपुर	29	35	38.24	31.23	11.38	80.85	3638.37	40.43	"	"
77	0253	पाला मुडरई	32	47	10.04	8.20	2.73	20.97	943.81	10.49	"	"
78	0254	उसरी	28	50	10.09	8.24	10.32	28.66	1289.56	14.33	"	"




क्रमक	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	प.ह.न.	कारखाने से दूरी (किमी.)	आवृत्तित गन्ना फसल का क्षेत्रफल (हेक्टर में)			कुल योग (हेक्टर में)	उत्पादकता @ 45 टन / हेक्टर	वर्षाई शुद्ध उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल (हे.मै.)	परिवहन का साधन	अग्रय केन्द्र का नाम
					नोरगा	जडी	मडी					
79	0267	कछरा	0	19	5.02	4.10	0.00	9.11	410.06	4.56	ट्रेक्टर ट्राली	फेवरी गेट
80	0302	लोकीपार	21	32	15.82	12.92	4.25	32.98	1484.12	16.49	ट्रक	"
81	0308	बरखेडा	21	29	6.22	5.08	7.28	18.57	835.80	9.29	ट्रेक्टर ट्राली	"
82	0313	कल्यानपुर	22	32	67.82	55.39	16.08	139.30	6268.35	69.65	ट्रक	"
83	0314	बैसापाला	22	32	18.65	15.23	6.08	39.95	1797.85	19.98	"	"
84	0315	भूत-पिपरिया	22	35	34.26	27.98	3.65	65.88	2964.78	32.94	"	"
85	0318	नरसिंहपुर	17	16	16.91	13.81	12.44	43.15	1941.94	21.58	ट्रेक्टर ट्राली	"
86	0407	तिदनी (बहारी)	9	35	1.12	0.91	3.65	5.67	255.26	2.84	ट्रक	"
87	0414	सुपला	9	25	30.73	25.10	5.46	61.29	2758.18	30.65	ट्रेक्टर ट्राली	"
88	0415	धमना	10	28	26.62	21.74	31.26	79.61	3582.42	39.80	"	"
89	0416	सगोनी (सुपला)	8	28	16.91	13.81	9.11	39.82	1792.09	19.91	"	"
90	0417	डुडी-पिडरई	9	29	6.02	4.92	6.37	17.32	779.20	8.66	"	"
91	0419	खापा	10	30	26.57	21.70	6.98	55.24	2485.81	27.62	"	"
92	0420	सगोनी लकडहाड	11	30	4.09	3.34	4.86	12.29	553.22	6.15	"	"
93	0421	नयागांव (धमना)	11	30	66.53	54.33	10.62	131.48	5916.56	65.74	"	"
94	0422	बहारी (तिदनी)	6	32	12.41	10.13	8.80	31.34	1410.44	15.67	ट्रक	"
95	0424	मचवारा	11	32	13.90	11.35	10.32	35.57	1600.53	17.78	"	"
96	0425	घाट-पिडरई	13	34	3.29	2.69	2.12	8.10	364.37	4.05	"	"
97	0427	मुराच	6	36	8.75	7.14	6.37	22.26	1001.89	11.13	"	"
98	0428	महादेव-पिपरिया	5	38	3.05	2.49	0.30	5.83	262.54	2.92	"	"
99	0429	करहैया (नर्मदा)	6	38	2.51	2.05	2.73	7.28	327.74	3.64	"	"
100	0431	गुटोरी	13	32	2.87	2.34	2.43	7.64	343.81	3.82	"	"
101	0432	झिरी	13	32	13.92	11.37	9.71	35.00	1574.96	17.50	"	"
102	0433	अंडिया	15	22	11.42	9.33	3.94	24.70	1111.30	12.35	ट्रेक्टर ट्राली	"
103	0434	डोगरगांव	15	32	66.86	54.61	27.32	148.78	6695.31	74.39	ट्रक	"
104	0435	खमरिया (जरजोला)	16	21	31.28	25.55	23.68	80.51	3623.02	40.26	ट्रेक्टर ट्राली	"



M

क्रमांक	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	प.इ.न.	कारखाने से दूरी (कि.मी.)	आच्छादित गन्ना फसल का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			कुल योग (हेक्टेयर में)	उत्पादकता @ 45 टन / हेक्टेयर	पेराई हेतु उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल (हे.मे.)	परिवहन का साधन	क्रय केंद्र का नाम
					तोरण	जड़ी	मड़ी					
105	0436	सैंहका	28	0	5.54	4.53	3.94	14.01	630.61	7.01	ट्रक	(11) फैक्ट्री गेट
106	0437	घुधरी	4	0	4.49	3.67	3.34	11.49	517.15	5.75	"	"
107	0438	करहेयाखंडा	15	0	15.16	12.38	10.32	37.86	1703.54	18.93	ट्रेक्टर ट्राली	"
108	0517	मल्लाह-पिपरिया	12	35	21.71	17.73	39.45	78.88	3549.74	39.44	ट्रक	"
109	0528	बद्रपुरा	4	40	7.51	6.13	20.03	33.68	1515.64	16.84	"	"
110	0532	गडरियाखंडा	4	44	4.91	4.01	20.03	28.95	1302.76	14.48	"	"
111	0539	गुडवारा	0	45	3.95	3.22	30.81	37.98	1709.06	18.99	"	"
					2841.12	2320.25	1519.25	6680.62	300627.99	3340.31		

योग -



तहसील - गोटेगाँव

क्रमांक	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	प.ह.न.	कारखाने से दूरी (किमी.)	आवृद्धित गन्ना फसल का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			कुल योग (हेक्टेयर में)	उत्पादकता @ 45 टन / हेक्टेयर	पेराई हेतु उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल (हे.मे)	परिवहन का साधन	क्रय केन्द्र का नाम
					नोरया	जड़ी	मड़ी					
1	0137	शेड-बेलखेडी	30	20	126.35	103.18	73.14	302.68	13620.38	151.34	ट्रेक्टर ट्राली	फेक्ट्री गेट
2	0139	खानापुर	30	23	3.95	3.22	2.12	9.30	418.33	4.65	"	"
3	0141	शेड-मगरधा	30	24	164.03	133.96	49.01	347.00	15614.92	173.50	"	"
4	0142	सूरवारी	11	25	67.43	55.07	25.79	148.29	6672.97	74.14	"	"
5	0143	रीछा	31	25	29.05	23.73	26.41	79.18	3563.27	39.59	"	"
6	0144	बेदू	29	27	80.83	66.01	19.73	166.57	7495.78	83.29	"	"
7	0145	छिताघाट	30	27	3.24	2.65	2.73	8.61	387.59	4.31	"	"
8	0146	नयागाँव (रीछा)	31	27	5.72	4.67	5.46	15.86	713.77	7.93	"	"
9	0147	बरहटा	31	28	81.00	66.15	19.73	166.88	7509.51	83.44	"	"
10	0148	वावली	29	28	24.92	20.35	11.84	57.11	2570.11	28.56	"	"
11	0149	चिराचिटा	30	28	11.51	9.40	3.34	24.25	1091.03	12.12	"	"
12	0150	नोनिया (बरहटा)	32	30	15.77	12.88	2.73	31.37	1411.75	15.69	"	"
13	0151	दौन (कछुआ)	29	32	31.45	25.69	10.93	68.06	3062.87	34.03	"	"
14	0152	रोसरा	29	32	4.09	3.34	2.73	10.16	457.24	5.08	"	"
15	0173	रोसरी	0	35	10.48	8.56	3.94	22.97	1033.80	11.49	"	"
16	0217	गाडारवाडा खेडा	33	18	7.07	5.77	10.93	23.77	1069.48	11.88	"	"
17	0225	सिलवानी	0	23	0.73	0.60	0.30	1.63	73.21	0.81	"	"
18	0235	सिवनी (पटी)	32	40	2.96	2.42	0.30	5.68	255.67	2.84	ट्रक	"
19	0236	अधियारी	33	26	5.57	4.55	1.22	11.33	509.86	5.67	ट्रेक्टर ट्राली	"
20	0260	बधा	0	40	16.37	13.37	3.65	33.38	1502.11	16.69	ट्रक	"
21	0501	वासमयानी	11	27	131.24	107.18	56.91	295.33	13290.01	147.67	ट्रेक्टर ट्राली	"
22	0502	बोछार	10	30	71.72	58.57	34.29	164.59	7406.49	82.29	"	"
23	0503	कच्छरापुर (रेनी)	8	38	8.41	6.87	16.08	31.36	1411.42	15.68	ट्रक	"
24	0504	मानगाँव	14	31	33.14	27.07	21.55	81.76	3679.09	40.88	"	"
25	0505	कापखेडा	30	33	5.76	4.70	15.79	26.25	1181.25	13.13	"	"
26	0506	छिवामानी	9	33	11.78	9.62	12.74	34.15	1536.82	17.08	"	"
27	0507	करकबेल	9	34	31.31	25.57	31.56	88.44	3979.76	44.22	"	"



क्रमांक	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	प.ह.न.	कारखाने से दूरी (किमी.)	आच्छादित गन्ना फसल का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			कुल योग (हेक्टेयर में)	उत्पादकता @ 45 टन / हेक्टेयर	पोस्ट हेतु उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल (हे.से.)	परिवहन का साधन	क्रय केंद्र का नाम
					नोरपा	जडी	मडी					
28	0508	मुगली	13	34	41.46	33.86	34.29	109.61	4932.41	54.80	ट्रक	फेवरी गेट
29	0509	सेख	12	34	36.41	29.73	34.90	101.04	4546.94	50.52	"	"
30	0510	नन्हेगांव	8	34	6.98	5.70	12.44	25.13	1130.65	12.56	"	"
31	0511	कमता	14	34	1.80	1.47	5.76	9.03	406.35	4.52	"	"
32	0512	लोहारी	10	34	6.49	5.30	6.37	18.17	817.46	9.08	"	"
33	0513	ठेमी	8	35	27.05	22.09	57.66	106.80	4806.01	53.40	"	"
34	0514	बारगी	12	35	3.53	2.88	22.46	28.87	1299.29	14.44	"	"
35	0515	मुशरान-पियरिया	9	35	12.24	10.00	13.36	35.59	1601.64	17.80	"	"
36	0516	बेलखेडा	0	35	26.51	21.65	38.55	86.70	3901.64	43.35	"	"
37	0518	मलहऊआ	0	37	7.42	6.06	9.11	22.58	1016.12	11.29	"	"
38	0519	टपरिया (ठेमी)	9	37	14.65	11.97	10.01	36.63	1648.16	18.31	"	"
39	0520	अकोला	7	37	7.46	6.10	6.68	20.24	910.69	10.12	"	"
40	0521	बड़गुआ करकबेल	0	37	4.54	3.70	13.65	21.89	985.20	10.95	"	"
41	0522	देवरी	9	38	26.71	21.81	25.50	74.02	3331.07	37.01	"	"
42	0523	बहनी	13	39	21.71	17.73	15.48	54.92	2471.23	27.46	"	"
43	0524	जटलापुर	9	40	7.61	6.21	6.08	19.90	895.33	9.95	"	"
44	0525	सिवनी (मुगली)	13	40	1.98	1.62	15.79	19.38	872.24	9.69	"	"
45	0526	सगरा	9	40	8.87	7.24	7.28	23.39	1052.60	11.70	"	"
46	0529	खमरिया (कन्धरपुर)	0	42	11.63	9.50	20.94	42.07	1893.02	21.03	"	"
47	0530	झामर (सांकल)	4	42	17.02	13.90	13.51	44.42	1998.96	22.21	"	"
48	0533	सांकल	1	43	33.32	27.21	16.24	76.77	2454.86	38.39	"	"
49	0534	बुधागांव	2	46	14.33	11.70	6.83	32.86	1478.71	16.43	"	"
50	0536	रिमझा	2	52	12.22	9.98	16.39	38.58	1736.16	19.29	"	"
51	0537	मोहास	1	54	1.22	1.00	25.50	27.72	1247.43	13.86	"	"
52	0538	गनगापुर	9	55	9.96	8.13	9.71	27.81	1251.23	13.90	"	"

क्रमांक	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	प.ह.न.	कारखाने से दूरी (किमी.)	आच्छादित गन्ना फसल का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			कुल योग (हेक्टेयर में)	उत्पादकता @ 45 टन / हेक्टेयर	पेराई हेतु उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल (हे.मै.)	परिवहन का साधन	अन्य केन्द्र का नाम
					नोरपा	जड़ी	सड़ी					
53	0540	बिछुआ	11	35	23.26	18.99	13.51	55.76	2509.08	27.88	ट्रक	फेवरी गेट
54	0541	बरखेडा	0	32	5.87	4.79	4.86	15.52	698.41	7.76	"	"
55	0601	गुंदरई	4	28	79.19	64.67	20.94	164.80	7416.05	82.40	"	"
56	0602	गुप्पी	27	44	7.85	6.41	6.37	20.63	928.31	10.31	"	"
57	0603	विछिया	28	34	5.87	4.79	1.90	12.56	565.16	6.28	"	"
58	0604	इमलिया	14	32	30.04	24.53	20.03	74.60	3356.97	37.30	"	"
59	0605	बटोरी	13	38	9.91	8.09	17.00	35.01	1575.35	17.50	"	"
60	0606	कमती	14	33	26.51	21.65	36.72	84.88	3819.43	42.44	"	"
61	0607	गडपेहरा	36	33	9.74	7.96	7.28	24.98	1124.22	12.49	"	"
62	0609	खमरिया (तिघरा)	0	42	5.06	4.14	3.65	12.84	578.01	6.42	"	"
63	0610	पथरोडा	12	35	27.18	22.20	6.68	56.06	2522.48	28.03	"	"
64	0611	टिकरी	13	35	21.53	17.58	31.56	70.67	3180.25	35.34	"	"
65	0612	खमरिया (पिपरसरा)	28	36	5.06	4.14	3.65	12.84	578.01	6.42	"	"
66	0613	बेलखेडी (टिकरी)	6	37	16.67	13.61	23.36	53.64	2413.99	26.82	"	"
67	0614	पिपरसरा	25	37	11.78	9.62	10.01	31.42	1413.70	15.71	"	"
68	0615	दिधारी	6	43	4.91	4.01	34.29	43.21	1944.28	21.60	"	"
69	0616	गोहघर	6	37	0.00	0.00	1.82	1.82	81.81	0.91	"	"
70	0617	नोन-पिपरिया	28	38	10.82	8.84	8.50	28.16	1267.18	14.08	"	"
71	0618	साकली	28	38	16.48	13.46	7.28	37.21	1674.56	18.61	"	"
72	0619	चांदनखेडा	28	38	19.31	15.77	20.03	55.11	2479.96	27.56	"	"
73	0620	पिडरई (सिधई)	7	38	16.97	13.86	10.01	40.83	1837.49	20.42	"	"
74	0621	तिघरा (खमरिया)	6	40	2.04	1.67	2.12	5.83	262.35	2.92	"	"
75	0622	बालई	6	41	2.51	2.05	7.28	11.84	532.67	5.92	"	"
76	0623	तिरका	27	40	4.20	3.43	12.44	20.07	903.06	10.03	"	"
77	0624	सिरकोना	36	40	3.14	2.57	0.60	6.31	284.16	3.16	"	"
78	0625	देवनगर (गोटेगांव)	27	40	31.46	25.70	76.18	133.34	6000.10	66.67	"	"
	0626	सिमरी छोटी	7	42	3.80	3.11	12.44	19.35	870.69	9.67	"	"



MMW

क्रमांक	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	प.ह. नं. कारखाने से दूरी (कि. मी.)	आच्छादित गन्ना फसल का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		कुल योग (हेक्टेयर में)	उत्पादकता @ 45 टन हेक्टेयर क्षेत्रफल (हे. में.)	पैराई हेतु उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल (हे. में.)	परिवहन का साधन	क्रय केन्द्र का नाम		
				नोरपा	जड़ी मड़ी							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
80	0627	राजा कछार	27	43	17.02	13.90	15.17	46.09	2073.89	23.04	ट्रक	फैक्ट्री गेट
81	0628	कमोद	5	45	4.25	3.47	7.59	15.30	688.69	7.65	"	"
82	0633	परसवाड़ा (खोबी)	9	50	14.00	11.44	8.80	34.23	1540.92	17.12	"	"
83	0634	सिमरी बडी	7	50	10.73	8.76	8.85	28.34	1275.13	14.17	"	"
84	0635	उमरा	7	51	8.27	6.75	6.37	21.39	962.65	10.70	"	"
85	0636	राखी	3	52	5.98	4.88	12.14	23.00	1034.88	11.50	"	"
86	0639	पोनिया (टिकरी)	24	42	13.98	11.42	13.05	38.45	1730.12	19.22	"	"
87	0641	कुम्डाखेडा	0	38	4.06	3.31	0.60	7.97	358.71	3.99	"	"
88	0643	तिघरा (अतरिया)	25	47	3.14	2.57	6.37	12.08	543.76	6.04	"	"
89	0644	रामनिवारी	15	42	2.57	2.10	0.60	5.27	237.07	2.63	"	"
90	0645	बड़ोदा	15	42	4.06	3.31	0.68	8.05	362.36	4.03	"	"
91	0649	पड़रिया	4	45	3.10	2.53	1.51	7.14	321.14	3.57	"	"
92	0653	गरा	17	47	2.66	2.18	1.82	6.66	299.59	3.33	"	"
93	0655	बगासपुर	26	48	16.80	13.72	24.28	54.80	2466.09	27.40	"	"
94	0661	बहरोड़ा	25	48	4.15	3.39	1.51	9.05	407.47	4.53	"	"
95	0666	बंडोल	22	49	2.52	2.06	1.90	6.48	291.47	3.24	"	"
96	0673	रिमझा	19	50	6.02	4.92	3.03	13.98	628.95	6.99	"	"

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
97	0674	पोनिया (कुकलाह)	32	50	4.06	3.31	10.62	17.99	809.48	8.99	ट्रक	फैक्ट्री गेट
98	0680	पिपरिया (लाटागांव)	39	52	10.80	8.82	17.00	36.62	1647.95	18.31	"	"
99	0681	श्री नगर	38	53	6.84	5.59	7.89	20.32	914.36	10.16	"	"
100	0682	नरवारा कुकलाह	24	53	4.58	3.74	2.73	11.05	497.46	5.53	"	"
101	0684	लाटागांव	39	53	4.08	3.33	8.50	15.91	715.86	7.95	"	"
102	0685	मनकवारा	24	54	3.62	2.96	17.90	24.48	1101.81	12.24	"	"
103	0687	तरवारा (श्रीनगर)	37	55	2.76	2.25	1.22	6.23	280.31	3.11	"	"
104	0691	उमरिया (श्रीनगर)	42	57	12.29	10.04	19.12	41.44	1864.76	20.72	"	"
105	0694	सुकरी	0	57	4.03	3.29	4.86	12.18	548.32	6.09	"	"
106	0695	झिरी (नगवारा)	36	60	2.54	2.08	0.91	5.53	248.88	2.77	"	"
107	0724	हिडकी पिपरिया	5	0	5.04	4.12	3.94	13.10	589.41	6.55	"	"
108	0725	जमुनिया	0	0	6.05	4.94	4.55	15.53	698.95	7.77	"	"
109	0731	गढ़ाघाट	25	0	3.58	2.92	1.51	8.01	360.38	4.00	"	"
110	0737	नेगुवा	13	0	3.07	2.51	7.89	13.47	606.32	6.74	"	"
111	0738	नादिया	36	0	2.64	2.16	4.25	9.04	406.98	4.52	"	"
112	0739	केसली	36	0	5.93	4.84	0.00	10.77	484.61	5.38	"	"
		योग—			2138.10	1746.12	1737.52	5115.52	252978.17	2810.87		
					5022.41	4101.63	3300.77	11796.14	559116.41	6212.40		

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2016

क्र. गन्ना-एस.-3-क्षे.आ.-नवलसिंह-2015-16-20.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मैं, मोहनलाल गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल गन्ना पेराई मौसम वर्ष 2015-16 हेतु नवलसिंह सह. शक्कर कारखाना, नवलनगर, जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :—

क्र. (1)	जिला/तहसील (2)	क्रय केन्द्र (3)	ग्रामों की संख्या (4)	क्षेत्र (हेक्टेयर में) (5)
1.	बुरहानपुर	बुरहानपुर	23	801.1
2.	बुरहानपुर	शाहपुर	15	85.0
3.	बुरहानपुर	दरियापुर	34	1105.3
4.	बुरहानपुर	खकनार	29	756.6
5.	बुरहानपुर	तुकईथड	33	687.8
6.	बुरहानपुर	हैदरपुर	36	1971.8
7.	खंडवा	पंधाना	15	181.2
8.	खंडवा	खंडवा	21	63.6
9.	खण्डवा	पुनासा	11	50.6
10	खंडवा	चनेरा	07	27.9
		योग	224	5730.9

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पेराई कार्य में प्रभावशील रहेगा.

मोहनलाल, गन्ना आयुक्त.

नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना, मर्यादित
नवलनगर, जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश

अ.नं.	गट का नाम	सेन्टर का नाम	ग्राम का नाम	गन्ने का प्रकार (हेक्टर)			योग
				रोपा	जडी (दुरी)	तिरी	
	बुरहानपुर	बुरहानपुर					
1			बुरहानपुर	0.000	2.000	0.000	2.000
2			बोरगांव खुर्द	49.200	53.900	6.000	109.100
3			बाडाबुजुर्ग	1.200	2.000	1.400	4.600
4			चिचाला	6.800	4.400	0.000	11.200
5			ऐमागिर्द	3.300	5.000	1.400	9.700
6			फतेहपुर	16.600	25.200	4.200	46.000
7			लालबाग	0.800	0.000	0.000	0.800
8			रहीपुरा(बुरहानपुर)	8.200	7.400	0.000	15.600
9			लोधीपुरा	0.000	2.000	0.000	2.000
		योग -	बुरहानपुर	86.100	101.900	13.000	201.000
		बहादरपुर					
10			बिरोदा	1.100	0.000	0.000	1.100
11			बोहरडा	0.400	3.600	0.000	4.000
12			मोहम्मदपुरा	6.000	3.300	0.000	9.300
		योग -	बहादरपुर	7.500	6.900	0.000	14.400
		निम्बोला-अ					
13			बसाड़	2.400	5.800	0.000	8.200
14			मगरूल	47.200	68.300	2.900	118.400
15			मचलपुरा	10.600	11.600	3.300	25.500
16			निम्बोला	12.100	26.900	2.600	41.600
17			रहीपुरा(निम्बोला)	7.300	16.000	1.600	24.900
		योग -	निम्बोला-अ	79.600	128.600	10.400	218.600
		निम्बोला-ब					
18			बोरी खुर्द	8.900	30.700	2.200	41.800
19			चुलखान	34.700	49.800	18.300	102.800
20			नसीराबाद	38.800	72.600	12.300	123.700
21			निम्ना	15.100	17.700	2.000	34.800
22			झीरी	16.200	19.900	2.000	38.100
23			झांझर	6.200	14.900	4.800	25.900
		योग -	निम्बोला-ब	119.900	205.600	41.600	367.100
		योग -	बुरहानपुर	293.100	443.000	65.000	801.100

नं.	गट का नाम	सेन्टर का नाम	ग्राम का नाम	गन्ने का प्रकार (हेक्टर)			योग
				रोपा	जडी (दुरी)	तिरी	
25			बादखेडा (नाचनखेड)	0.000	1.200	0.000	1.200
26			मोहद	1.000	1.800	0.000	2.800
27			शाहपुर	4.400	11.700	0.000	16.100
28			सिरसोदा	0.000	6.100	0.000	6.100
		योग -	शाहपुर	7.400	21.800	0.000	29.200
		फोपनार					
29			बडसिंगी	0.000	1.400	0.000	1.400
30			फोपनार	0.000	0.800	0.000	0.800
31			संग्रामपुर	0.000	4.800	0.000	4.800
32			तुरकगुराडा	6.200	11.200	0.000	17.400
		योग -	फोपनार	6.200	18.200	0.000	24.400
		चापोरा					
33			अडगाँव	0.000	2.600	0.000	2.600
34			भोटा	0.000	5.000	0.000	5.000
35			धामनगाँव	4.600	12.000	0.000	16.600
36			इच्छापुर	2.200	2.000	0.000	4.200
37			वारोली	0.000	0.000	0.800	0.800
38			गोलखेडा वीरान	2.200	0.000	0.000	2.200
		योग -	चापोरा	9.000	21.600	0.800	31.400
		योग -	शाहपुर	22.600	61.600	0.800	85.000
		दर्यापुर					
		दर्यापुर					
39			बडगाँव (गुलई)	9.600	9.400	0.000	19.000
40			दर्यापुर	40.000	30.900	2.400	73.300
41			खडकोद	2.600	16.700	0.000	19.300
42			टिटगाँवखुर्द	5.800	11.000	0.000	16.800
		योग -	दर्यापुर	58.000	68.000	2.400	128.400
		बोदरली					
43			अंजनबडी	0.000	0.800	0.000	0.800
44			बोदरली	0.000	0.500	0.500	1.000
45			बडझीरी	3.600	5.000	0.000	8.600
46			चमकबारा	0.800	2.200	0.000	3.000
47			जसौंदी	0.000	1.200	0.000	1.200
48			पिपलगाँव	4.000	0.000	0.000	4.000
49			बिरापाटी	0.000	0.700	0.000	0.700
			(बि)	8.400	10.400	0.500	19.300

अ.नं.	गट का नाम	सेन्टर का नाम	ग्राम का नाम	गन्ने का प्रकार (हेक्टर)			योग
				रोपा	जडी (दुरी)	तिरी	
		सारोला					
50			एकलारा	8.200	20.700	0.000	28.900
51			हनुमंतखेडा	11.600	12.800	0.000	24.400
52			सारोला	57.600	57.000	19.800	134.400
53			टिटगांवकला	39.700	46.100	3.200	89.000
54			उमरदा	19.600	26.500	3.600	49.700
		योग -	सारोला	136.700	163.100	26.600	326.400
		अम्बाडा					
55			अम्बाडा	9.300	25.200	0.000	34.500
56			बाँड़ा जैनाबाद	9.200	10.700	0.000	19.900
57			देवरी	12.700	14.700	0.000	27.400
58			हिंगना	14.200	31.000	0.000	45.200
59			लिगा	1.400	6.800	0.000	8.200
60			नेवरी	5.800	25.000	0.400	31.200
61			सांडसकला	5.800	2.000	0.000	7.800
62			शंकरपुरा	0.000	1.000	0.000	1.000
63			सांडसखुर्द	13.100	17.100	0.600	30.800
		योग -	अम्बाडा	71.500	133.500	1.000	206.000
		सिरपुर					
64			हसीनाबाद	5.600	9.500	0.200	15.300
65			निम्बापुर	4.700	6.700	1.100	12.500
66			नांदखेडा	6.400	8.000	0.000	14.400
67			सिरपुर	8.900	8.100	2.100	19.100
		योग -	सिरपुर	25.600	32.300	3.400	61.300
		सिधखेडा					
68			गुलई	0.700	2.800	0.000	3.500
69			महलगुराडा	14.500	23.500	0.000	38.000
70			सिधखेडा	54.100	44.600	0.000	98.700
71			हनुमंतखेडा-अ	12.600	4.800	0.000	17.400
		योग -	सिधखेडा	81.900	75.700	0.000	157.600
		जैनाबाद					
72			जैनाबाद	86.300	108.300	11.700	206.300
		योग -	जैनाबाद	86.300	108.300	11.700	206.300
		योग -	दर्यापुर ✓	468.400	591.300	45.600	1105.300

अ.नं.	गट का नाम	सेन्टर का नाम	ग्राम का नाम	गन्ने का प्रकार (हेक्टर)			योग
				रोपा	जड़ी (दुरी)	तिरी	
73			बोरखेडा	0.600	0.900	0.000	1.500
74			भैराघाट	0.500	3.900	0.000	4.400
75			धाबा	13.200	13.800	0.000	27.000
76			जामन्या	27.900	25.400	0.000	53.300
77			खकनार	22.100	19.400	0.000	41.500
78			खकनार खुर्द	5.700	4.800	0.000	10.500
79			पांगरी	8.400	4.700	0.800	13.900
		योग -	खकनार	78.400	72.900	0.800	152.100
		डोईफोडीया					
80			बसाली	11.800	8.500	0.000	20.30
81			डोईफोडिया	10.600	12.600	1.900	25.10
82			कारखेडा	18.300	16.700	1.100	36.10
83			नांदुरा खुर्द	1.300	3.500	0.000	4.80
84			नांदुरा कला	0.800	1.000	0.000	1.80
85			नागझिरी	3.500	1.200	0.000	4.70
86			साईखेडा (डोईफो)	0.800	6.500	1.700	9.00
87			सायर	0.000	0.600	0.000	0.60
88			सामरया	0.400	2.900	0.400	3.70
89			ताजनापुर	9.200	6.800	0.000	16.00
		योग -	डोईफोडीया	56.700	60.300	5.100	122.10
		मांजरोद					
90			कानापुर	18.100	20.800	0.000	38.90
91			मांजरोद कला	40.200	41.300	1.100	82.60
92			टेंभी	7.300	5.100	0.000	12.40
		योग -	मांजरोद	65.600	67.200	1.100	133.9
		शेखापुर					
93			खडकी	9.800	5.100	0.400	15.3
94			मोहनगढ	3.200	15.900	0.000	19.1
95			निमंदड़	8.000	9.400	0.000	17.4
96			रघई	25.700	35.400	0.000	61.1
97			सावली	6.200	10.100	0.000	16.3
98			शेखापुर	22.300	24.200	0.000	46.5
		योग -	शेखापुर	75.200	100.100	0.400	175.7
		मांजरोद-बी					
99			बिजोरी	27.500	44.900	5.500	77.9
100			दसघाट	22.400	11.000	0.000	33.4

अ.नं.	गट का नाम	सेन्टर का नाम	ग्राम का नाम	गन्ने का प्रकार (हेक्टर)			योग
				रोपा	जडी (दुरी)	तिरी	
101			मांजरोद खुर्द	24.900	30.000	6.600	61.500
		योग -	मांजरोद-बी	74.800	85.900	12.100	172.800
		योग -	खकनार ✓	350.700	386.400	19.500	756.600
	तुकईथड						
		तुकईथड					
102			चिड़ियामाल	7.300	7.200	0.000	14.500
103			खोदरी	4.600	5.500	2.600	12.700
104			मोन्डा	3.600	17.000	3.000	23.600
105			मेलचुका	6.300	13.700	7.300	27.300
106			पीपलपानी	21.200	24.700	11.400	57.300
107			रायतलाई	7.700	9.100	2.600	19.400
108			रामघड	4.000	16.100	0.600	20.700
109			तुकईथड	46.200	60.300	10.600	117.100
110			झिरमिटी	6.100	6.100	0.800	13.000
111			पांढरी	2.000	0.800	0.000	2.800
		योग -	तुकईथड	109.000	160.500	38.900	308.400
		देडतलाई					
112			बालापाट	3.600	2.800	0.000	6.400
113			पीपरी बोरबन	2.900	19.800	4.500	27.200
114			धावटी	0.000	0.900	0.000	0.900
115			देडतलाई	5.600	6.900	0.000	12.500
116			धार(बेलथड)	30.200	55.700	16.200	102.100
117			सागमली	19.900	24.500	5.000	49.400
118			सातोड	0.000	1.200	0.000	1.200
119			चौखंडा	0.000	0.600	0.200	0.800
		योग -	देडतलाई	62.200	112.400	25.900	200.500
		शेखपुरा					
120			दाहिन्दा	10.600	7.900	1.400	19.900
121			दैय्यत	7.400	13.600	5.000	26.000
122			डवाली	2.200	3.200	0.000	5.400
123			ढाकना	3.400	0.600	0.000	4.000
124			गोद्री	1.400	4.700	3.000	9.100
125			परेठा	3.400	10.600	2.000	16.000
126			रायपुर	17.200	9.000	0.000	26.200
127			रामाखेडा	0.000	1.000	1.600	2.600
128			साजनी	11.400	17.800	0.800	30.000

अ.नं.	गट का नाम	सेन्टर का नाम	ग्राम का नाम	गट्टे का प्रकार (हेक्टर) *			योग
				रोपा	जडी (दुरी)	तिरी	
129			सेधवाल	5.400	9.800	0.000	15.200
130			गोंडी	0.000	1.200	0.000	1.200
131			शेखपुरा	4.800	6.800	1.600	13.200
132			डांगुल्ला	1.200	3.800	0.400	5.400
133			झोलपुरा	1.000	2.800	0.000	3.800
134			खैरमाल	0.900	0.000	0.000	0.900
		योग -	शेखपुरा	70.300	92.800	15.800	178.900
		योग -	तुकईथड़ ✓	241.500	365.700	80.600	687.800
	हैदरपुर	हैदरपुर					
135			डालमहू	14.600	0.800	0.000	15.400
136			घाघरला	13.300	10.100	0.000	23.400
137			हैदरपुर	75.800	27.300	0.000	103.100
138			हिवरा	40.300	20.300	0.000	60.600
		योग -	हैदरपुर	144.000	58.500	0.000	202.500
		डाभियाखेडा					
139			बडीखेडा	82.300	43.200	1.000	126.500
140			डाभियाखेडा	45.900	34.300	3.900	84.100
141			पांचइमली	29.100	15.800	0.000	44.900
		योग -	डाभियाखेडा	157.300	93.300	4.900	255.500
		नावरा - A					
142			नावरा	67.200	34.400	1.200	102.800
143			रहमानपुरा	34.100	32.800	1.200	68.100
144			सिधखेडा (नावरा)	7.000	7.200	0.000	14.200
145			घमनपुर	0.700	0.000	0.000	0.700
		योग -	नावरा - A	109.000	74.400	2.400	185.800
		नावरा - B					
146			दूधिया	37.300	41.000	0.800	79.100
147			दर्यापुर (नावरा)	21.200	17.200	0.000	38.400
148			गोराडिया	57.700	49.100	0.000	106.800
149			नयाखेडा	34.900	25.900	0.000	60.800
		योग -	नावरा - B	151.100	133.200	0.800	285.100
		नेपानगर - A					
150			अंधारवाडी	76.100	40.400	0.000	116.500
151			भातखेडा (सीवल)	13.900	19.100	0.000	63.000
152			बीड़ (नेपा)	4.600	9.200	0.000	13.800

अ.नं.	गट का नाम	सेन्टर का नाम	ग्राम का नाम	गन्ने का प्रकार (हेक्टर)			योग
				रोपा	जडी (दुरी)	तिरी	
153			सातपायरी	48.000	32.100	2.400	82.500
		योग -	नेपानगर - A	172.600	100.800	2.400	275.800
		सीवल					
154			बदनापुर	34.400	15.600	0.000	50.000
155			बाकडी	12.600	16.500	0.000	29.100
156			सीवल	74.500	39.100	1.600	115.200
157			चैनपुरा	2.400	1.700	0.000	4.100
		योग -	सीवल	123.900	72.900	1.600	198.400
		पलासुर					
158			पलासुर	112.800	20.500	0.000	133.300
159			साईखेड़ा (सीवल)	100.200	11.700	0.000	111.900
160			सोनूद	1.600	0.000	0.000	1.600
		योग -	पलासुर	214.600	32.200	0.000	246.800
		नेपानगर - B					
161			बोरसल (चांदनी)	13.300	8.200	0.000	21.500
162			चाँदनी	4.200	2.600	1.000	7.800
163			डवाली	22.300	23.200	0.000	45.500
164			नावथा	33.700	47.900	0.500	82.100
165			रतागढ	12.900	7.100	0.000	20.000
		योग -	नेपानगर - B	86.400	89.000	1.500	176.900
		केरपानी					
166			अमुल्ला	5.300	5.900	0.000	11.200
167			गौलखेड़ा	12.800	22.400	0.000	35.200
168			केरपानी	29.000	21.600	0.000	50.600
169			मचगांव	11.300	19.900	0.000	31.200
170			रत्नापुर	8.200	8.600	0.000	16.800
		योग -	केरपानी	66.600	78.400	0.000	145.000
		योग -	हैदरपुर	1225.500	732.700	13.600	1971.800
	पंधाना	आरूद					
171			आरूद	37.200	6.300	0.400	43.900
172			अंजनगाव	12.500	2.000	0.000	14.500
173			घनोरा	2.400	4.700	0.000	7.100
174			हीरापुर	14.300	6.900	0.000	21.200
175			पंधाना	0.400	0.000	0.000	0.400
176			पोखर	2.100	0.000	0.000	0.100

अ.नं.	गट का नाम	सेन्टर का नाम	ग्राम का नाम	गत्र का प्रकार (हक्टर)			योग
				रोपा	जडी (दुरी)	तिरी	
		योग -	आरुद	66.900	19.900	0.400	87.200
		कुमठी					
177			बांदरला	0.600	0.000	0.000	0.600
178			पावईकला	0.000	0.200	0.000	0.200
179			रुस्तमपुर	1.600	0.000	0.000	1.600
		योग -	कुमठी	2.200	0.200	0.000	2.400
		बोरगांव बुजुर्ग					
180			बोरगांव बुजुर्ग	6.500	8.600	0.400	15.500
181			हेमगीर	21.200	27.600	0.000	48.800
182			खिराला	2.100	2.500	0.000	4.600
183			पिपरहट्टी	7.800	13.200	0.000	21.000
184			डोंगरगांव	0.700	0.000	0.000	0.700
185			हरदा (खातला)	1.000	0.000	0.000	1.000
		योग -	बोरगांव बुजुर्ग	39.300	51.900	0.400	91.600
		योग -	पंधाना ✓	108.400	72.000	0.800	181.200
	पुनासा						
		पुनासा					
186			अदूटखास	2.000	2.600	5.800	10.400
187			धारकवाडी	6.200	0.000	0.000	6.200
188			गुजरखेडी	2.000	0.000	0.000	2.000
189			खेडीबुजुर्ग	1.600	2.400	1.600	5.600
190			मुन्दी	8.400	0.000	0.000	8.400
191			नवलगांव	1.000	2.000	0.000	3.000
192			कालियाखेडी	0.800	0.000	0.000	0.800
193			खुटलाकला	2.800	0.800	0.000	3.600
194			अमोदा	1.600	0.000	0.000	1.600
		योग -	पुनासा	26.400	7.800	7.400	41.600
		सुलगांव					
195			हरवंशपुरा	5.600	0.800	0.000	6.400
196			टेमाचा	0.000	2.600	0.000	2.600
		योग -	सुलगांव	5.600	3.400	0.000	9.000
		योग -	पुनासा ✓	32.000	11.200	7.400	50.600
	खण्डवा						
		खण्डवा					
197			बलवाडा (जसवाडी)	0.800	1.800	0.000	2.600

अ.नं.	गट का नाम	सेन्टर का नाम	ग्राम का नाम	गन्ने का प्रकार (गन्ने का प्रकार)			
				रोपा	जड़ी (दुरी)	तिरी	योग
198			भामगढ	0.000	1.400	0.000	1.400
199			जसवाडी	1.400	2.800	0.000	4.200
200			ललवाडा	4.200	0.500	0.000	4.700
201			जामलीकला	9.000	3.400	0.000	12.400
		योग-	खण्डवा	15.400	9.900	0.000	25.300
		सिंगोट					
202			अम्बापाट	2.800	1.000	1.400	5.200
203			बामंदा (खंडवा)	2.800	0.000	1.200	4.000
204			गोंडवाडीर	1.200	0.000	0.000	1.200
205			हांडिया	1.000	0.000	0.000	1.000
206			खिडगांव	0.000	0.900	0.000	0.900
207			कालपाट (गान्धवा)	0.500	0.000	0.000	0.500
208			लछोरा खुर्द	2.500	0.000	0.000	2.500
209			पिपल्याकला	1.000	0.000	0.000	1.000
210			सिंगोट	2.800	2.100	0.000	4.900
211			सेमल्या (हांडीया)	2.000	0.000	0.000	2.000
212			चिचखेडा	0.000	1.400	0.000	1.400
		योग-	सिंगोट	16.600	5.400	2.600	24.600
		छैगांवमाखन					
213			अवलिया	1.200	0.000	0.000	1.200
214			बरुड	5.600	2.200	0.000	7.800
215			भोजाखेडी	2.500	0.000	0.000	2.500
216			डामी	1.200	0.000	0.000	1.200
217			कौंडावद	1.000	0.000	0.000	1.000
		योग-	छैगांवमाखन	11.500	2.200	0.000	13.700
		योग-	खण्डवा	43.500	17.500	2.600	63.600
	छनेरा	छनेरा					
218			बोरीसराय	1.600	1.800	0.000	3.400
219			जामन्याखुर्द	2.400	0.000	0.000	2.400
220			खालबा	1.200	0.000	0.000	1.200
221			सुरगांव बंजारी	11.400	2.600	0.800	14.800
222			बाथियाखुर्द	2.000	0.400	0.000	2.400
223			समेश्वर	0.700	0.000	0.000	0.700
224			साल्याखेडा	1.000	2.000	0.000	3.000
		योग-	छनेरा	20.300	6.800	0.800	27.900
		कुल योग-		2806.000	2688.200	236.700	5730.900

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 5 अगस्त 2015

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. 10-पत्र क्र. 46-भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	लालपुर	0.101	कार्यपालन यंत्री, ना. वि. संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर सतना जिला म. प्र.	बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उप शाखा नहर नं. 2 के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 23 अगस्त 2015

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. 10-पत्र क्र. 94- भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	बर्रह बड़ा	0.176	कार्यपालन यंत्री, ना. वि. संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर, सतना, जिला म. प्र.	बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 2 के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 15 दिसम्बर 2015

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. . . . 10-पत्र क्र. 296- भू-अर्जन-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. म. प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा.2ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर	बाघेलान खेरिया पैपखार	2.842	कार्यपालन यंत्री, ना. वि. संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर, सतना जिला म. प्र.	बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 2 के माइनर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. . . . 10-पत्र क्र. 297- भू-अर्जन-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. म. प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा.2ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर	बाघेलान सेमरा	2.327	कार्यपालन यंत्री, ना. वि. संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर, सतना जिला म. प्र.	बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 2 के माइनर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. . . . 10-पत्र क्र. 298- भू-अर्जन-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. म. प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश

क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा.2ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	खेरिया कोठार	3.551	कार्यपालन यंत्री, ना. वि. संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर, सतना जिला सतना म. प्र.	बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोन्नौरा उपशाखा नहर नं. 2 के माइनर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. 10-पत्र क्र. 299- भू-अर्जन-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. म. प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा.2ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	वीदा	6.313	कार्यपालन यंत्री, ना. वि. संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर, सतना जिला म. प्र.	बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोन्नौरा उपशाखा नहर नं. 2 के माइनर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. 10-पत्र क्र. 300- भू-अर्जन-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. म. प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा.2ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों

का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	जमताल	1.595	कार्यपालन यंत्री, ना. वि. संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर, सतना जिला म. प्र.	बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 2 के माइनर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. 10-पत्र क्र. 301- भू-अर्जन-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. म. प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा.2ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान.	सोनौरा कोठार	3.049	कार्यपालन यंत्री, ना. वि. संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर, सतना जिला म. प्र.	बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 2 के माइनर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. 10-पत्र क्र. 302- भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	नादनटोला	0.101	कार्यपालन यंत्री, ना. वि. संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर, सतना जिला म. प्र.	बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उप शाखा नहर नं. 2 के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. . . . 10-पत्र क्र. 307- भू-अर्जन-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. म. प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा.2ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान.	इटमा कोठार.	1.342	कार्यपालन यंत्री, ना. वि. संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर, सतना जिला म. प्र.	बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 2 के माइनर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 5 जनवरी 2016

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. . . . 10-पत्र क्र. 337- भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. म. प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा.2ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	पटना	4.495	उप मुख्य अभियंता (नि.) पश्चिम मध्य रेलवे छतरपुर म. प्र.	ललितपुर-सतना-रीवा- सिंगरौली महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. . . . 10-पत्र क्र. 332- भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. म. प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा.2ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन,

इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	बड़खेर उबारी	1.977	उप मुख्य अभियंता (नि.) पश्चिम मध्य रेलवे छतरपुर म. प्र.	ललितपुर-सतना-रीवा- सिंगरौली महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. . . . 10-पत्र क्र. 333- भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. म. प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा.2ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	बारापत्थर	0.952	उप मुख्य अभियंता (नि.) पश्चिम मध्य रेलवे छतरपुर म. प्र.	ललितपुर-सतना-रीवा- सिंगरौली महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. . . . 10-पत्र क्र. 334- भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. म. प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा.2ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	नामतारा	0.771	उप मुख्य अभियंता (नि.) पश्चिम मध्य रेलवे छतरपुर म. प्र.	ललितपुर-सतना-रीवा- सिंगरौली महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. 10-पत्र क्र. 335- भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. म. प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा.2ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	तिलौरा	2.786	उप मुख्य अभियंता (नि.) पश्चिम मध्य रेलवे छतरपुर म. प्र.	ललितपुर-सतना-रीवा- सिंगरौली महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल लाइन निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. 10-पत्र क्र. 336- भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. म. प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा.2ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	सलईया कोठार.	1.833	उप मुख्य अभियंता (नि.) पश्चिम मध्य रेलवे छतरपुर म. प्र.	ललितपुर-सतना-रीवा- सिंगरौली महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल लाइन निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 28 दिसम्बर 2015

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. 10-पत्र क्र. 317- भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के

अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। म. प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा.2ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	खमरेही	2.077	उप मुख्य अभियंता (नि.) पश्चिम मध्य रेलवे छतरपुर म. प्र.	ललितपुर-सतना-रीवा- सिंगरौली महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 23 दिसम्बर 2015

प्र. क्र. 09-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	जखारा	68	0.170	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय. हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला नहर संभाग क्र. 2 डबरा जिला ग्वालियर. माता शाखा मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
			52	0.050	
			313/1	0.240	
			योग . .	0.460	

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 17-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। मुख्य नहर/माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	चकसोनपुर	142/2 मिन 2	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 डबरा जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 31 दिसम्बर 2015

क्र. 473-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू-अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है। अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	करहिया-81	1.876	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रीवा.	रीवा जिले के बोदाबाग करहिया मण्डी मार्ग में बीहर नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गोहद, दिनांक 5 जनवरी 2016

क्र. 01-अ-82-15-16-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. परियोजना की मुख्य नहर/माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

संपत्ति का विवरण				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हैक्टर्स में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भिण्ड	गोहद	बांकेपुर	0.88 संलग्न सूची अनुसार.	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक-2, डबरा जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की टेल एक्सटेंशन माईनर के निर्माण हेतु.

(2) सर्वे नम्बरान की सूची संलग्न है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी गोहद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इलैया राजा टी. कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

सूची

फार्म एक(3)

जिला—भिण्ड
ग्राम—बांकेपुर
तहसील—गोहद

हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता उप-शाखा के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

स. क.	नहर का नाम एवं ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	सर्वे का कुल रकबा	नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	हरसी उच्चस्तरीय नहर क्र.-02 संभाग डबरा.	283	0.750	0.13	
2		281	0.420	0.12	
3		280	0.540	0.01	
4		279	1.760	0.12	
5		277	2.120	0.09	
6		247	0.570	0.08	
7		246	0.550	0.07	
8		245	1.230	0.12	
9		244	0.280	0.06	
10		243	0.280	0.08	
				कुल . . .	0.88 हेक्टेयर

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 15 दिसम्बर 2015

प्र. क्र. 16574-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—कुशी
(ग) ग्राम—काकड़वा
(घ) अर्जित रकबा—4.337 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
329/1	1.156
329/2	0.965
329/3	1.284
330	0.305
318	0.627
योग . .	<u>4.337</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—थाना तालाब योजना के निर्माण कार्य हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान), का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी कुशी तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 16576-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन

में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—कुशी
(ग) ग्राम—करचट
(घ) अर्जित रकबा—0.743 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
305	0.743
योग . .	<u>0.743</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—थाना तालाब योजना के निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान), का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी कुशी तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

धार, दिनांक 30 दिसम्बर 2015

प्र. क्र. 19036-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—कुशी
(ग) ग्राम—धुडदल्या
(घ) अर्जित रकबा—15.672 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
105/1	0.626
79/1/1	0.284

(1)	(2)
76/2/1	0.074
103/1	0.975
79/2/1	1.532
80/1	0.089
70/1	0.070
75/1/1	0.771
75/2/1	0.250
75/3/1	0.586
147/1/1	1.745
80/2/1	0.853
85/1/1	1.000
132/1	0.916
119/1	0.084
127	0.364
128	1.000
152	0.514
153/1	0.700
66/2	0.500
2	0.500
4	0.336
5	0.754
20/1	0.200
28/2	0.417
28/3	0.471
3	0.061
योग . . .	15.672

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—थाना तालाब योजना के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान), का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 31 दिसम्बर 2015

(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—मुड़ियारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.909 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
(अ) निजी पट्टे की भूमि		
474	0.010	-
470	0.103	-
465	0.005	-
467	0.053	-
466	0.020	-
464	0.043	-
463	0.127	-
440	0.019	-
437	0.019	-
439	0.245	-
407	0.005	-
173	0.142	-
174	0.010	-
176	0.149	-
177	0.005	-
179	0.012	-
182	0.004	-
164	0.016	-
165	0.138	-
139	0.055	-
140	0.070	-
143	0.084	-
144	0.041	-
145	0.110	-
146	0.008	-
148	0.029	-

पत्र क्र. 2474-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद

(1)	(2)	(3)
149	0.055	-
127	0.038	-
152	0.004	-
153	0.067	-
125	0.005	-
122	0.117	-
123	0.019	-
117	0.082	-
योग . .	<u>1.909</u>	
(ब) शासकीय भूमि . .		निरंक
महायोग . .	<u>1.909</u>	

(1)	(2)	(3)
431	0.010	-
429	0.144	-
377	0.034	-
378	0.154	-
380	0.036	-
381	0.035	-
382	0.045	-
357, 358	0.122	-
योग . .	<u>0.735</u>	
(ब) शासकीय भूमि . .		निरंक
महायोग . .	<u>0.735</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “मुड़ियारी माइनर नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “कटकी माइनर नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2476-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—बगढ़ा 337
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.735 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

432	0.096	-
433	0.051	-

पत्र क्र. 2478-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—डिहवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.284 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

280	0.187	-
279	0.067	-

(1)	(2)	(3)	(ग) ग्राम—दुगवा	(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.385 हेक्टेयर.	
292	0.075	-	खसरा	अर्जित रकबा (हेक्टेयर)	
167	0.060	-	नम्बर	निजी	शासकीय
273	0.013	-		भूमि	भूमि
169	0.110	-	(1)	(2)	(3)
171	0.072	-	(अ) निजी पट्टे की भूमि		
172	0.043	-	563	0.020	-
173	0.034	-	562	0.112	-
174	0.034	-	558	0.101	-
176	0.043	-	544	0.034	-
179	0.043	-	536	0.113	-
178	0.040	-	535	0.007	-
177	0.010	-	522	0.017	-
128	0.152	-	521	0.086	-
127	0.012	-	520	0.006	-
110	0.201	-	526	0.005	-
111	0.008	-	527	0.053	-
109	0.010	-	518	0.072	-
योग . .	1.214		511	0.121	-
(ब) शासकीय भूमि . .			501	0.108	-
212	-	0.070	657	0.106	-
महायोग . .	1.284		506	0.106	-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “कटकी माइनर नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.			459	0.082	-
			460	0.062	-
			462	0.032	-
			463	0.038	-
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.			464	0.033	-
			471	0.043	-
			472	0.010	-
			473	0.016	-
			388	0.002	-
			योग . .	1.385	
			(ब) शासकीय भूमि . .		
			महायोग . .	1.385	
			(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “कटकी माइनर नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.		
			(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		

पत्र क्र. 2480-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

पत्र क्र. 2482-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—मनवाही 453
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.369 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

61	0.108	-
62	0.048	-
63	0.067	-
64	0.058	-
65	0.019	-
77	0.050	-
76	0.062	-
85	0.106	-
88	0.008	-
89	0.115	-
90	0.166	-
191	0.002	-
91	0.060	-
146	0.097	-
143	0.014	-
142	0.034	-
141	0.029	-
140	0.053	-
136	0.028	-
135	0.026	-
134	0.026	-
132	0.031	-
130	0.023	-
128	0.029	-
125	0.049	-

(1)	(2)	(3)
121	0.048	-
120	0.008	-
योग . .	1.364	-

(ब) शासकीय भूमि . .

87	-	0.005
महायोग . .	1.369	-

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “कटकी माइनर नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2484-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—मनवाही 452
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.663 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

219/2क/2	0.072	-
219/2क/1	0.067	-
220	0.005	-
235	0.062	-
236	0.262	-
239	0.178	-

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
240	0.010	-	593	0.070	-
238	0.007	-	192	0.010	-
योग . .	<u>0.663</u>	-	198	0.043	-
(ब) शासकीय भूमि . .		निरंक	201	0.106	-
महायोग . .		0.663	199	0.002	-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "कटकी माइनर नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.			200	0.096	-
			164	0.030	-
			173	0.103	-
			175	0.144	-
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.			146	0.048	-
			127	0.023	-
			126	0.038	-
			130	0.264	-
			1004	0.010	-
			1028	0.045	-
			134	0.195	-
			135	0.077	-
			138	0.014	-
			136	0.010	-
			166	0.002	-
			161	0.019	-
			163	0.036	-
			160	0.006	-
			162	0.004	-
			योग . .	<u>1.872</u>	-
			(ब) शासकीय भूमि . .		निरंक
			महायोग . .	<u>1.872</u>	
			(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "कटकी माइनर नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.		
			(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		
			पत्र क्र. 2488-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—		
			अनुसूची		
			(1) भूमि का वर्णन—		
			(क) जिला—रीवा		
			(ख) तहसील—सिरमौर		
			(ग) ग्राम—पटेहरा		
			(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.872 हेक्टेयर.		
			खसरा	अर्जित रकबा (हेक्टेयर)	
			नम्बर	निजी भूमि	शासकीय भूमि
			(1)	(2)	(3)
(अ) निजी पट्टे की भूमि			440	0.192	-
			439	0.010	-
			438	0.198	-
			585	0.008	-
			586	0.005	-
			590	0.058	-
			589	0.006	-

पत्र क्र. 2488-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार

अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—गभुआनी 125
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.958 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
(अ) निजी पट्टे की भूमि		
87/1, 87/2	0.115	-
69	0.051	-
68	0.087	-
64/1	0.077	-
61	0.079	-
59	0.005	-
52	0.058	-
48	0.058	-
49	0.012	-
50/1, 50/2	0.005	-
24/1	0.039	-
24/2	0.039	-
25/1, 25/22	0.079	-
22	0.010	-
11/1, 11/2, 11/2ख	0.034	-
14	0.039	-
13	0.058	-
4/1, 4/2क, 4/2ख, 4/2ग	0.005	-
3/1, 3/2	0.045	-
15	0.003	-
16	0.045	-
योग .	0.943	
(ब) शासकीय भूमि		
66	-	0.015
योग . .		0.015
महायोग . .		0.958

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “कटकी माइनर नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2490-प्रका.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामनगर
(ग) ग्राम—डागा जगदीश
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.456 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
141/1, 141/2	1.456
141/3क, 141/3ख	
योग : 1.456	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती फीडर नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2492-प्रका.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा

घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रामनगर

(ग) ग्राम—अमझौरी रामाधीन

(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.818 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा

नंबर

(हे. में)

(1)

(2)

128/1/क, 128/1/ख

0.526

129/1, 129/2

1.292

136/1, 136/2

योग : 1.818

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती फीडर नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि क नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2494-प्रका.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रामनगर

(ग) ग्राम—गुलवार गुजारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल —4.656 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा

नंबर

(हे. में)

(1)

(2)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

412

0.021

413

0.007

(1)

(2)

436

0.180

438

0.073

439

0.056

454

0.377

455

0.161

458

0.133

459/1, 459/2

0.318

462

0.244

469, 469/846

0.065

470

0.517

474

0.081

475/1, 475/2, 475/3

475/4, 475/5,

0.094

475/5/1, 475/5/2

476/1, 476/2,

0.087

476/3, 476/4

476/5/क, 476/5/ख

477/1, 477/2

0.023

485/1/ख, 485/1/ग

0.034

485/2

486/1/क, 486/1/ख

486/2, 486/3,

486/4, 486/5,

486/5/क

0.180

486/5/क/1, 486/5/क/2,

486/5/ख, 486/5/ङ

487/1, 487/2, 487/2/क

0.112

489/2, 489/2/1,

489/2/क, 489/2/क/1,

0.259

489/3, 489/4

490

0.032

492, 494/1/क,

494/1/ख, 494/1/ग,

494/2, 494/3,

494/4, 494/5,

0.440

494/5/2, 494/5/क,

494/5/क/1, 494/5/ख

(1)	(2)	जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—
830, 830/1,	0.410	
833/1 बगार 2	0.346	अनुसूची
833/856		
837/854/1/क	0.264	(1) भूमि का वर्णन—
837/854/1/ख		(क) जिला—रीवा
837/854/2/क		(ख) तहसील—सेमरिया
837/854/2ख		(ग) ग्राम—मऊ कोठार
837/854/2/ग/ख		(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.035 हेक्टेयर.
837/855/1/क		
837/855/1/ख		नंबर
837/855/2/क		(1)
837/855/2/ख		अर्जित रकबा
838/3, 838/4/क,	0.031	(हे. में)
838/4/ख		(2)
योग . .	<u>4.544</u>	अ—निजी पट्टे की भूमि
		32
		33
		36
		37
		57
		58
		61
		62
		64
		66
		69
		73
		75
		76
		77
		78
		79
		80
		150
		151
		योग . .
		<u>1.035</u>
(ब) शासकीय भूमि की भूमि		(ब) शासकीय भूमि की भूमि
437, 838/2/क,	0.112	योग . .
838/2/ख		<u>0.000</u>
योग . .	0.112	महायोग . .
महायोग . .	<u>4.656</u>	<u>1.035</u>
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती फीडर नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चचाई वितरक नहर कछवारा टेल माइनर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		
रीवा, दिनांक 2 जनवरी 2016		
पत्र क्र. 13-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया		

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 1 जनवरी 2016

क्र. 13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—चौरई
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-केदारपुरखुर्द, प.ह.नं. 14, ब.नं. 28, प.ह.नं. 14, रा.नि.मंडल-चौरई.

- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.190 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
218/2	0.190
योग . .	0.190 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.

- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 04 चौरई तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 14-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—चौरई
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-सलकनी, ब.नं. 269, प.ह.नं. 15, रा.नि.मंडल-चौरई

- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-01.892 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
101/7	0.049
113/1	0.144

(1)	(2)
98, 99	0.066
96/1	0.201
92/2, 96/2, 114	0.006
135/1	0.034
132, 133, 134/1, 135/2	0.091
141/1, 142/1	0.120
143	0.072
147/1	0.139
148/1	0.030
148/2	0.068
149/1	0.244
369/2	0.062
369/3	0.139
369/1	0.172
371/1	0.125
389/2, 389/5,	0.130
392/2, 397, 398	

योग . . 01.892 हेक्टेयर एवं
प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर
आने वाली
संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 04 चौरई तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—चौरई
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-कपूर्दा, ब.नं. 14, प.ह.नं. 12, रा.नि.मंडल-चौरई.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.330 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
697/3	0.008
717/2	0.086
701/2	0.064
704/1, 705/1	0.062
704/2, 705/2	0.048
711	0.062

योग . . 0.330 हेक्टेयर एवं
प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर
आने वाली
संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पंच व्यपवर्तन परियोजना, बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 04 चौरई तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

छिन्दवाड़ा, दिनांक 5 जनवरी 2016

क्र. 132-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—चौरई
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-बिलंदा, ब.नं. 210, प.ह.नं. 15, रा.नि.मंडल-कपूर्दा,
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 02.405 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
56/1	0.446
52/2	0.456
54/1	0.154
54/2	0.340
94/1	0.168
168/1	0.091
171	0.091
169/3	0.082
169/1-2	0.100
194/3	0.096
194/2	0.170
196/3	0.070

(1)

(2)

196/5
200/40.106
0.035

योग . . 02.405 हेक्टेयर एवं
प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर
आने वाली
संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पंच व्यपवर्तन परियोजना के बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mpvenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पंच व्यपवर्तन परियोजना, बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 04 चौरई तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 133-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—चौरई

- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-सुरजना, ब.नं. 297, प.ह.नं. 15./23, रा.नि.मंडल-कपूर्दा.
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 02.576 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
32/1	0.031
33/1	0.036
44/2	0.080
44/3	0.080
45,46/1, 46/3	0.149
48/2	0.060
48/1	0.090
250/2	0.145
52/2, 53	0.280
57/1	0.090
57/2	0.210
57/3	0.160
63/2	0.170
62	0.060
121/1-3	0.160
121/2क, 122	0.130
206/1-2	0.090
207	0.030
208/1	0.050
208/2	0.070
199	0.040
197, 198	0.220
250/1	0.145

योग . . 02.576 हेक्टेयर एवं
 प्रस्तावित
 क्षेत्रफल पर
 आने वाली
 संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पंच व्यपवर्तन परियोजना के बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
 (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
 (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा

सकता है.

- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
 (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पंच व्यपवर्तन परियोजना, बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 04 चौरई तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 134-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चौरई

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-सर्दा, ब.नं. 267, प.ह.नं. 15, रा.नि.मंडल-कपूर्दा.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 01.486 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
85/1क	0.050
83/1ख	0.120
83/2	0.070
84/2	0.180
84/3	0.170
90/1	0.030
5/2-6/1-7-8/1	0.072
11/2-12/1-13/1-14/1	0.144
8/2-9-11/1-70/2	0.029
10	0.077
32/1	0.100
29/2-30/2-31/2	0.158
29/1-30-31/1	0.120
33/4 ख, 34/5-6 ख	0.072
85/2	0.034
83/1 क	0.040

(1)	(2)	प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
82/3	0.020	(1)	(2)
	योग . . . 01.486 हेक्टेयर एवं	578/1, 578/2	0.576
	प्रस्तावित	385/3क, 386/3 क, 399/3 क	0.092
	क्षेत्रफल पर	384/2, 385/1, 386/1,	0.108
	आने वाली	399/1	
	संपत्तियां.	385/3 ख, 386/3 ख,	0.215
		399/3 ख	
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.	384/3	0.085
		388/1	0.120
		388/2, 368/2	0.082
		367/3	0.072
		367/2	0.029
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.	306, 307, 308, 309/4	0.156
		312/1	0.134
		312/2	0.096
		309/2	0.072
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.	311/1	0.036
		योग . . . 01.873 हेक्टेयर एवं	
			प्रस्तावित
			क्षेत्रफल पर
			आने वाली
			संपत्तियां.
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.	(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(6)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 04 चौरई तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.	(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
		(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
		(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
		(6)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 04 चौरई तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 135-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चौरई

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-बींझावाडा, ब.नं. 212, प.ह.नं. 14, रा.नि.मंडल-कपूर्दा.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 01.873 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.